बृहस्पतिवार, ८ अप्रैल, १९५४



# संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)



भाग १-प्रश्न और उत्तर

# संसदीय वाद विवाद

(सार १-प्रश्न और उत्तर)

# शासकीय वृत्तान्त

२२४५

# लोक सभा

बृहस्पतिवार, ८ अप्रैल, १९५४ सभा दो बजे समवेत हुई [अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौिखक उत्तर दूर-संचार का विस्तार

\*१६६०. श्री झूलन सिन्हा : वया संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) देश में सामान्यतया, और बिहार राज्य में विशिष्ट रूप से, जिला हैड नवाटर्स में तारघर खोलने और सब-डिवीजनल हैंड न्वार्टर्स में टेलीफोन करने के सार्वजनिक स्थान खोलने के कार्यक्रम में नया प्रगति हुई है; और
- (ख) सारन में बरहरिया स्थान पर
  एक तारघर खोलने तथा सारन के सबडिवीजनल हड क्वार्टर्स गोपीगंज में सार्वजिनक टेलीफोन स्थान खोलने के सम्बन्ध
  में क्या स्थिति हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)ः (क) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६,अनुबन्ध संस्या ६५]

:51 P.S.D

२२४६

(ख) बरहरिया के लिए तारघर के स्वीकृति दी जा चुकी है; गोपालगंज एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ४ मार्च. १९५४ को खोल दिया गया था।

श्री झूलन सिन्हा : क्या यह ४ मार्च को खोला गया था?

श्री राज बहाबुर: जी हां, यह ४ मार्च को खोला गया था।

#### एक-पटरी की रेल गाड़ियां

\*१६६१. श्री दाभी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) क्या सरकार 'अलवेगंबह्मन' नामक एक-पटरी की रेल गाड़ियों की नवीन प्रणाली से अवगत हैं; और
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस नई प्रणाली के बारे में कोई पूछनाछ की हैं?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रणाली अभी प्रयोग अवस्था में है।

श्री दाभी : इसका आविष्कार किसने किया है ?

श्री शाहनवाज खां : जहां तक मुझे मालूम है, यह सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारम्भ की गई थी।

श्री दाभी : क्या यह सच है कि यह, दो पटरियों की प्रणाली की अपेक्षा अधिक सस्ती तथा सक्षम है ?

श्री शाहनवाज खां : हमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक नहीं मालूम। योरुप में मी अभी यह प्रयोग अवस्था में है।

#### चलते डाकघर

\*१६६२, श्री एस० सी० सामन्तः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या सरकारी कोच फैक्टरी मद्रास द्वारा बनायो गयी चलते डाकघरों की गाड़ियां ठीक काम दे रही है; और
- (ख) यदि हां, तो इस समय कितनी ऐसी गाड़ियां प्रयुक्त की जा रही हैं और कहां-कहां ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) केवल एक मद्रास में।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या में माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि मद्रास कोच फैक्टरी मद्रास में मोबाइल पोस्ट आफिस वेहिक्त्स के बनारे के पहले दूसरे देशों के ढांचों पर विचार किया गया था या नहीं ?

श्री राज बहादुर: जी हा दूसरे देशों के जो वैन्स हैं उन के डिजाइन की भी देखा गया था । उसी के आधार पर और कुछ अपनी सूझ बूझ से इनको तैयार किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या में जान सकता हूं कि कर्मचारियों के लिये इन

नये वैन्स से क्या क्या नया फायदा पहुंचेगा ?

श्री राज बहादुर: यह काफी कुशादा हैं और इन में कर्मचारी लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं ग्रीर काम कर सकते है। जनता के लिये यह फायदा है कि हर मौसम में यह इस्तेमाल की जा सक्ती हैं। बरसात के मौसम में आदिमियौं के इस में खड़े होने का प्रबन्ध है।

श्री एस० सी० सामन्तः क्या में जान सकता हूं कि कब तक यह वैन्स सब शहरों में हो जायेंगे ?

श्री राज बहादुर: यह कहना तो बिल्कुल असम्भव है कि कब तक यह वैन्स सब शहरों में हो जायेंगे । हमारी योजना यह है कि जिन जिन शहरों से नाइट एअर मेल जाती है उन में हम <sup>पहले</sup> इन को दें और इस के लिए नई गाडियां तैयार करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री बी० के० दास : ऐसी एक गाड़ी की लागत क्या है ?

श्री राज बहादुर: सरकारी कीच फैक्टरी में प्रारूपित तथर निर्मित गाड़ी की लागत ३२,९७१ रु० है।

उत्तर रेलवे पर बी० सी० जी० दल

**\*१६६३. श्री मुनिस्वामी** : क्यो रेकवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर दो बी० सी० जी० दल कार्यः कर रहे हैं;
- (ख) क्या बी० सी० जी० दलों को समस्त भारतीय रेलों पर रक्खे जाने का कोई प्रस्ताव था; और

(ग) यदि हां, तो वे कब से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

- (ख) जीहां।
- (ग) पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम रेलों पर दो-दो दल कार्य कर रहे हैं। मध्य उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलों पर बी० सी० जी० दलों को शीघ्र प्रशिक्षित किया चाएगा।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि ये दल कब से कार्य कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे ठीक ताराखें तो नहीं याद हैं, किन्तु पहली दोनों रेलों पर वे करोब-करोब डेढ़ वर्ष से कार्य कर रहे हैं।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन दलों से अब तक कितने ब्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सब ब्यौरा मेरे पास नहीं हैं; मुझे पूर्व सूचना की ग्रावश्यकता होगी।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि बी० सी० जी० टीकों की प्रतिकिया के सम्बन्ध में शिकायतें हैं ?

श्री शाहनवाज खां: में समझता हूं कि स्व।स्थ्य मंत्रालय इसका उत्तर दे सकता है।

डाक के दावों का निबटारा

\*१६६४, पंडित डो० एन० तिवारी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) बचत प्रमाण-पत्र तथा सेविंग्स

बैंक हिसाब छोड़ कर जो लोग मर जाते हैं उन के उत्तराधिकारियों को ग्रपने दावों के निबटारे में होने वाले अनुचित विलम्ब के कारण उत्पन्न किठनांइयों के सम्बन्ध में विभिन्न शिकायतों की ओर क्या सरकार का ध्यान अकिषित हुन्ना है;

- (ख) दोनों में से प्रत्येक के अन्तर्गत गत दो वर्षों से निलम्बित दावों की संख्या; और
- (ग) गत एक वर्ष से निलम्बित दावों की संख्या ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सरकार इस बात से अवगत है कि कभी-कभी विलम्ब हो जाता है।

- (ख) सेविंग्स् बैंक के दावे......२३५० वचत प्रमाण पत्रों .के दावे ..... ७४३
- (ग) सेविंग्स् बैंक के दावे.....१९११ बचत प्रमाण पत्रों के दावे ..... ४१४

पंडित डी॰ एन॰ तिवारी: क्या कोई ऐसा संगठन कायम किया गया है जो सिर्फ क्लेम्स की बातों को देखें?

श्रो राज बहादुर: जो व्यवस्था है वह इस प्रकार की है कि यदि किसी डिपाजिटर का देहान्त हो जाता है तो जो उस के उत्तराधिकारी उस के रुपये को लेना चाहते हैं उनको विरासत का सिंटिफिकेट पेश करना पड़ता है। अगर वह न पेश करें और ऐनाउन्ट पांच हज़ार से कम हो, तो पोस्ट मास्टर जैनरल की स्राज्ञा से कुछ शर्ते पूरी होने पर वह उस को मिल जाता है।

पंडित डी॰ एन॰ तिवारी: एक क्लेम की सेटल करने में कितने दिन लगते हैं?

श्री राज बहादुर: उत्तराधिकार के के लिये जिस प्रमाण की आवश्यकता होती है जब वह मिल जाता है तो सेटल हो जाता है।

२२५१

श्री बी० के० दास: दावे की तय करते में किन किन बातों की अपेक्षा की जाती है ?

श्री राज बहादुर: मैं एक बार फिर दौहरा दूं। उत्तराधिकारी को विरासत का प्रमाण-पत्र पेश करना पड़ता है और इसके पेश करने पर भुगतान कर दिया जाता है।

पंडित डो० एन० तिवारी: क्या यह बात सही नहीं हैं कि क्लेम के ठीक उत्तराधिकारी के क्लेम करते के बाद भी इस में बरसों लग जाते हैं।

श्री राज बहादुर: जो आंकड़े मेरे पास हैं, उन से यह मालूम होता है कि लगभग ३५ प्रति शत केसों में जो देर होती हैं, वह उत्तराधिकारी होने का प्रमाण न देने के कारण होती है, लगभग १३ या १४ प्रतिशत देर इन्डेंम्निटी बान्ड न भरने के कारण होती हैं, ५० प्रतिशत केसों में और कारणों से देर होती हैं, इस में कुछ देर डिपार्टमेंटल हो सकती है।

श्री एच एन० मुकर्जी: हस्ताक्षरों के हूं बहू मिलने पर ज़ोर देने के कारण लोगों को जो कठिनाई होती है कैया उसे कम करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है, चूकि अधिकतर व्यक्ति कभी चैक पर हस्ताक्षर नहीं करते और कुछ वर्षों के बाद लिखावट में थोड़ा अंतर आ ही जाता है ?

श्री राज बहादुर: इस प्रश्न का सम्बन्ध उन लोगों के उत्तराधिकारियों को होने वाली काठनाई से है जो हिसाब

अथवा बचत प्रमाण-पत्र छोड़ कर मर जाते हैं। इस बारे में मैं बतला चुका हूं कि विभिन्न प्रित्रया बरतनी पड़ती है।

#### भारतीय टेलीफोन उद्योग

\*१६६५, श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिभिटेड, बंगलोर के लिए किस प्रकार के इस्पात की आवश्यकता होती है ;
- (ख) ऐसे इस्पात का प्रति टन मूल्य क्या है;
- (ग) यह बाहर से आयात किया जाता है अथवा देश में उपलब्ध है;
- (घ) यदि यह देश में उपलब्ध नहीं है तो क्या इसे देश में उगलब्ध कराने के लिए कोई पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं; और
- (ङ) देशी उत्पादन के लिए किन सुविधाओं की आवश्यकता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख), एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है विलिये परिशिष्ट ९. अन् बन्ध संख्या ६६ ]

- (ग) बलैक माइल्ड इस्पात की छोड़-कर, जो कि देश में उगलब्ध है, अन्य समस्त किस्में आयात की जाती हैं।
- (घ) और (इ)। ये अत्यंत विशेषीकृत चीजें हैं और चूंकि भारतीय टेलीफोन उद्योग की आवश्यकता थोड़ी है, स्थानीय उत्पादन मितव्यय नहीं होगा । किन्तु इस मामले पर सम्बन्धित उद्योगों के साथ विचार किया जा रहा है।

श्री एम॰ एल॰ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय बतलानं की कृपा करेंगे कि कितानी

तादाद में या कितने वजन में यह स्टील बाहर से मंगाया जाता है?

मौखिक उत्तर

श्री राज बहादुर: हमारी कुल आव-श्यकता जो है वह २८० टन है भिन्न भिन्न प्रकार के स्टीलों की, और उन स्टीलों की डिफरेन्ट टाइप्स ग्रौर साइजेज जो हैं उन की संस्या ९१ है। इस में से ५० टन के लगभग हम लोग अपने देश में से तैयार करा लेते हैं और शेष को हमें बाहर से मंगाना पड़ता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब कि स्टील का मूल्य लगभग तीन हजार से लेकर पौने आठ हजार रुपये प्रति टन तक होता है तो क्या वह सही है कि टाटा आयरन स्ठील वर्क्स से इस बारे में समझौता करने की कोशिश हुई है। अगर हुई है तो कौन सी शर्ते हैं जिन पर वह इस काम को करना चाहते हैं और जिनको सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिस की वजह से उन को काम नहीं मिल सका?

श्री राज बहादुर : उन से बातचीत हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस मात्रा में हमें स्टील चाहिये, उस को बनाने में उन को नुकसान होगा। इसके अति-रिक्त उन्होंने कहा कि जहां तक विभाग का सम्बन्ध है वह चाहता है 'टालरेन्स आन दि वेसिस आफ़ थिकनेस' और उन का स्टैन्डर्ड है 'टालरेन्स आन दि वेसिस आफ वेट'। इस अन्तर के कारण और इस कारण भी कि टाटा में जो शीट मैनु फैक्चर होते हैं वह बीमघम शीट गेज के हिसाब से चाहिये। और टेलिफोन के लिये स्टैन्डर्ड वायर गेज के हिसाब से होते हैं। यह कारण हैं जिनकी वजह से यह काम वहां नहीं दिया जा सका।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चहता हूं कि भारतीय स्टील या दूसरे किस्य की स्टील जिनकी भारत के अन्दर बनाये जाने की सम्भावना है, उन के बनने को बढ़ाने के लिये भविष्य में सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री राज बहादुर : हम ने अपनी आवश्यकताओं की उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को दे दिया है और आशा करते हैं कि वह इस पर विचार कर रहा है और हमारी कठिनाई को दूर करेगा।

#### बिहार के गन्ना उत्पादक

\*१६६६. श्री विभूति मिश्र (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फसल में चीनी के उत्पादन से होने वाले ग्रधिक लाभ के कुछ भाग को बिहार के गन्ना-उत्पादकों में बांटने के लिये यदि कोई व्यवस्था की गई है, तो क्या ?

(ख) गन्ना-उत्पादकों का कब भृगतान होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम॰ वी॰ कृष्णप्पा)ः (क) तथा (ख). वह सिद्धान्त, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखानों द्वारा प्राप्त ग्रधिक लाभ विभक्त हो सकता है, अभी तक नहीं बन पाया है। सिद्धान्त निश्चित होने पर, उसे बिहार में कारखानों पर लागू करने के प्रश्न तथा सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये विभाग की व्यवस्था करने के प्रश्न पर मामले का निश्चय होने के पश्चात, विचार किया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्रः इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः यह गन्ते की फसल से पहिले करना होगा।

श्री विभूति मिश्रः यह शुगरकेन सीजन तो अब समाप्त हो गया है और दूसरा सीजन ६-७ महीने में श्रायेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस के लिये कितना समय निश्चित किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्याः शुगरकेन सीजन अभी नहीं समाप्त हुआ है। श्रभी अक्टूबर तक शुगरकेन सीजन है।

श्री बोगावतः क्या सरकार अधिक लाभ कमाने वाले चीनी के कारखानों के मालिकों पर कोई प्रतिबन्ध रखेगी?

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः हम उनके खातों की जांच करेंगे श्रीर यह पता लगायेंगे कि उन्होंने अपनी चीनी किस भाव बेची है। निश्चय ही यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी तथा इन पर विभागीय सम्मेलन में विचार विमर्श होगा।

श्री एल० एंन० मिश्रः क्या मामले में रुद्योग से आवश्यक सहयोग की ग्रावश्यक्ता है और क्या यही विलम्ब का कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णपाः हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था तथा उन्होंने बताया है कि इस मामले पर विभागीय सम्मेलन में विचार किया जायेगा तथा एक उपयुक्त सिद्धान्त बनाया जायेगा।

श्री वी० पी० नायर: बिहार में चीनी के कारखानों ने जो श्रीधक लाभ कमाया है उसके संबंध में, क्या यह सच है कि खाद्य मंत्रालय का एक उच्च अधिकारी प्राप्त लाभ की मात्रा का पता लगाने के लिये भेजा गया था, तथा इस अधिकारी ने उन झूटे ढंगों की कार्यपद्धित का भी एक प्रतिवेदन भेजा है जिनसे कारखानों में बनी चीनी का अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से, ग्रिग्रम विक्रय किया जाता है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः हमारे विभाग के बहुत से ग्रिधिकारी भ्रमण करेंगे तथा अपना श्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और वह उन में से एक हो सकता है।

#### छोटे बन्दरगाहों का विकास

\*१६६७, श्री रघुनाथ सिहं: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्र से लिंगने वाले प्रत्येक राज्य को छोटे छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिये कितनी धनराशि दी जा रही हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सिचव (श्री शाहनवाज खां) : एक विवरण जिसमें अपेक्षिक सूचना दी है, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]

श्री रघुनाथ सिंहः इस योजना में कितने पोर्टस शामिल हैं ?

अधयक्ष महोदयः क्या यह विवरण में नहीं दिया हुआ है 🤆

श्री रघुनाथ सिंहः नहीं श्रीमान ! केवल धन राशि दी है ।

श्री **शाहनवाज खांः इ**समें बन्दरगाहों के नाम भी दिये हैं।

श्री टी॰ एन॰ सिंहः इसका संबंध राज्यों से हैं न कि बन्दरगाहों से।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)ः विवरण में बन्दरगाहों के नाम नहीं दिये हैं, परन्तु यह एक बहुत स्रम्बी नामावली है।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा, मैं समझता हूं कि नामावली को पढ़ने की भ्रावश्यकता नहीं है अपितु वह पटल पर रखी जा सकती है ।

श्री जोकीम आल्वाः बन्दरगाहों की नामावली कैसे बनाई गई थी ? क्या यह राज्यों अथवा केन्द्र की सिफारिशों पर बनाई गई थी ? यदि नामावली बन गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वया इसमें मेरे राज्य के दो बन्दरगाह सम्मिलित हैं तथा तीसरा 'हनोवर' क्यों छोड़ दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदयः नामावली किस आधार पर बनाई जाती है

श्री शाहनवाज खां: एक अधिकारी को, विशेष रूप से, म्राप्तण करने तथा यह सिफारिश करते का काम दिया गया था कि किन किन बन्दरगाहों में सुधार की आवश्य-कता है और वे बन्दरगाह लगभग इस सिफा-रिश के ग्राधार पर सम्मिलित किये गये थे । मैं नहीं जानता कि वे बन्दरगाह, जिनका उल्लेख मेरे माननीय मित्र कर रहे हैं, उसमें है या नहीं हैं।

#### केन्द्रीय वन बोर्ड

\*१६६८. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हाः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वन बोर्ड की स्थायी समिति क्या कार्य करती है ?

साद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६८]

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : विवरण की कंडिका (३) से उत्पन्न होने पर क्या किसी राज्य सरकार ने अब तक वंजर भूमि में बन की बृद्धि के लिये योजनायें **प्र**स्तुत की हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णपा : तीसरी कंडिका में कहा गया है; "राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार की कठिनाइयों पर विचार करने के लिये ..... अर्थात्, जब इस सिमिति की बैठक होगी, उस समय यह बहुत सी राज्यों की बहुत सी सिफारिशों या प्रस्तावों पर विचार करेगी?

श्री नागे क्वर प्रसाद सिन्हा : क्या यह समिति बन-क्षेत्र के विकास के लिये प्रस्तावों की सिफारिश करते या उन्हें अस्वीकार करने से पहले बहुत से क्षेत्रों का भ्रमण करेगी?

श्री एम॰ वी॰ कृष्णप्पा: महा समिति को बैठक दो वर्ष में एक बार होती है तथा स्थायी समिति क। उद्देश्य यह देखना है कि कार्य शीघ्र होता है। अतः यह भ्रमण नहीं करेगी, परन्तु यदि कोई विशेष अवसर म्राता है तो यह भ्रमण करःसकती है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हाः वया यह सिमति बन-विकास में रुचि रखने वाले तथा अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों संस्थाओं के सुझावों तथा प्रस्तावों का स्वागत करेगो ?

श्री एम० वी० कृष्णपाः वृक्षारोपण के संबन्ध में यह समिति या तो सरकार के या गैर सरकारी संस्थाओं के प्रस्तावों तथा सुझावों का स्वागत करती है।

श्री के के बसु: क्या इस बेकार बन महोत्सव की सिफारिश इस संस्था ने की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह संस्था हाल में ही बनाई गई है परन्तु बन-महोत्सव एक बहुत पुरानी बात है।

#### रलव सहकारी संस्थाये

\*१६६९ श्री वी० पी० नायरः (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे मंत्रालय के अन्तर्गत विशेष कार्य-अधिकारी (सहकारिता) ने रेलवे सहकारी संस्थाओं; के कार्य के संबन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सिचव (श्री शाहनवाज खां) (क): हां ।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में जिसुसे उक्त उद्देश्य पूर्ण होता है, रखी गई है।

श्री बी॰ पी॰ नायर: प्रक्त मैं ने इस लिये पूछा था किं, सूचना पटलई पर रखी जा सके । क्योंकिः यह सदन पटल पर नहीं रखी गई है, मैं पूरक प्रश्न करने में असमर्थ हूं।

**महोद**यः वह संसद अध्यक्ष पुस्तकाल्य में प्रतिवेदन का अध्ययन कर सकते हैं । और तब अपने प्रश्न की सूचना दें।

श्री वी० पी० नायर : मैं प्रश्न के प्रथम भाग पर पूरक प्रश्न करना चहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि में चुका हूं, पहिले वह प्रतिवेदन का अघ्य**य**न करें और फिर प्रश्न कदें।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे

कि रेलवे कोपरेटिव सोसाईटी किन किन जोन्स में अपनी सोसायटि**यों** के **ज**रिय कार्य कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां: में प्रकृत की पूर्व सूचना चाहता हूं।

#### मजुरी भुगतन अधिनियमी

\*१६७०. श्री संगण्णाः क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

- (क) क्या सरकार मजूरी भुगतान ग्रिधिनियम, १९३६, के संशोधन प्रश्न पर विचार कर रही हैं तथा
- (ख) यदि हां, तो निश्चय क्या हुआ है ?ॄै

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) हां।

(ख) जो सुझाव प्राप्त हुये हैं वे विचाराधीन है।

श्री संगण्णा : यदि योजना कार्या-न्वित की जायें तो उसके क्या क्या वैत्तिक परिणाम होंगे.?

श्री आबिद अली: यह प्रश्न अभी नहीं उठा है । सरकार पर<sup>्</sup>कोई विशेष ध्यान देने योग्य उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि यह भार अधिकतर उद्योग पर होगा ।

#### अधिक अन्न उपजाओ, योजनाएं

\*१६७२. श्री सूर्य प्रसाद: क्या खाध तथा कृषि मंत्री १९५३-५४ की 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के वारे में विभिन्न राज्यों के वे प्रस्ताव जिन्हें सहायता देना केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया हो तथा मंजूर किये गये ऋणों अथवा अनुदानों की राशियां देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखने की कृषा करेंगे ?

मौखिक उत्तर

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता हे । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६९]

श्री सूर्य्य प्रसाद: जिन जिन लोगों को इस राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती हैं क्या राज्य सरकारें इन की कोई सूची भेजती हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः विभिन्न सरकारें अन्तूबर में अपनी योजनाएं हमारे पास भेजती हैं और हम सारी बातों की छान बीन करने के बाद मंजूरी देतें हैं।

श्री एस० एन० दास: मंजूर की गुई राशियों में से विभिन्न राज्यों ने कितना प्रतिशत खर्च किया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्याः मंजूर की गई संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया । दृष्टान्त के तौर पर, गत वर्ष हमने लगभग ३१ करोड़ रुपये मंजूर किये थे जिन में से उन्होंने दिसम्बर के अन्त तक केवल २५ करोड़ रुपये ही खर्च किए और अवशिष्ट राशि खर्च नहीं की गई।

#### रेलों पर हत्याएं तथा डकैतियां

\*१६७३. श्री आर० एन० सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में केन्द्रीय रेलवे पर झांसी तथा खंडवा के बीच चलती गाड़ियों में कितनी हत्याएं तथा डकैतियां ईं ? रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां):

> १६५२-५३ १९५३-५४ हत्याएं कोई नहीं १ डकेतियां कोई नहीं कोई नहीं

श्री आर ० एन ० सिंह: जो भी खून जी पातियों को बचाने के लिये सरकार ने कोई उपाय किया है?

श्री शाहनवाज खां: एक ही हुआ है, बहुत सारे तो हुए नहीं।

श्री आर॰ एन॰ सिंह: जो भी हुआ उसी के लिये तो मैंने पूछा है।

#### रेलवे सामान का उत्सर्जन

\*१६७४. श्री के० सी० सोधिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) १९५३-५४ में भारतीय रेलों द्वारा उत्सर्जित अनुपयुक्त लोहे तथा इस्पात की मात्रा एवं मूल्य; तथा
- (ख) इस उत्सर्जन की क्या प्रांकया होती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) :

- (क) मात्रा (टनों में) मूल्य (लाख रुपयों म) ८१९६१ ११२.९
- (ख) अनुपयुक्त लोहा तथा इस्पात दो प्रकारों का होता है : (१) नियंत्रित तथा (२) अनियंत्रित ।

नियंत्रित तथा अतुपयुक्त टुकड़ों के अतिरिक्त मात्रा की सूचना रेलवे द्वारा लोहे तथा इस्पात के नियंत्रक को दी जाती है, जो इसका वितरण उन री-रोलर्स, मेल्टर्स तथा शस्त्रास्त्र कारखानों जैसे

देशी उद्योगों में कर देता है। जिनके नाम उसके पंजी में दर्ज हुए हों। यह उन्हें लोहे तथा इस्पात के नियंत्रक द्वारा निश्चित भाव पर बेचा जाता है।

वेकार डिब्बों म्रादि समवेत सारा अनियंत्रित लोहा तथा इस्पात आम नीलाम अथवा विज्ञापित ठेकीं द्वारा वेचा जाता है।

श्री कें ० सी० सिध्या: क्या यह खंडों (जोतों) द्वारा बेचा जाता है ग्रथवा केन्द्र द्वारा?

श्री **शाहनवाज खां**: यह रेलवे द्वारा बेचा जाता है।

श्री कें ली सोधिया: यह ग्राय किस मद में जमा की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के प्रश्न का स्पष्ट आशय क्या है ?

श्री के० सी० सोधिया: रेलवे आय-व्ययक में किसी न किसी मद में यह ग्राय जमा अवश्य की गई होगी । मैं जानना चाहता हूं कि किस मद के अन्दर यह दिखाई गई है।

श्री शाहनवाज खां : संभवतः अनुपयुक्त -सामान का उत्सर्जन के मद में ।

श्री एस० एन० दासः कितने लोगों को इस सामान की छोटी या बड़ी मात्रा खरीदने में सफलता मिली ?

श्री शाहनवाज खां: यह जानकारी मेरे पास नहीं है। किन्तु जैसा कि मेंने कहा है नियंत्रित लोहे तथा इस्पात का उत्सर्जन सरकारी व्यवस्थानुसार होता है। अनियंत्रित बीजें आम नीलाम ग्रथवा ठेकों द्वारा बेची ााती है। मुझे उन लोगों की निश्चित संख्या मालूम नहीं जो इन में बोलियां देते हैं। श्री टो॰ एन॰ सिंह: क्या यह सच हैं कि बेचे जाने वाले सारे ग्रनियंत्रित एवं अनुपयुक्त लोहे का निर्यात किया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां: जब कि एक वार कोई व्यक्ति हम से वह खरीद लेता है तो फिर हम यह नहीं जानते कि बाद में उसका क्या होता है।

#### चीनी

\*१६७५. श्री विश्वनाथ रायः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी कारखानों को निर्देश दिया हुँ कि अनिर्देश बिकी के लिये मुक्त की गई चीनी तत्सम्बद्ध श्रादेश जारी किये जाने से २ महीनों के अन्दर ग्राहकों के पास भेज दी जाय; तथा
- (ख) क्या यह सच है कि माल डिब्बों की कमी के कारण चीनी भेजने में .कुछ कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ रहीं हैं?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम॰ वी॰ कृष्णप्पा): (क) हो।

(ख) नहीं।

श्री विश्वनाथ रायः क्या ऐसे कुछ प्रबन्ध किये गये हैं कि कारखानों को इससे जो पैसा मिलेगा उसमें से गन्नों की कीमत की वृहत राशि का तथा श्रमिकों के देयों का भुगतान किया जाय?

श्री एमं वी कृष्णपा: प्रश्न चीनी कारखानों द्वारा अपना अभ्यंश दो महीनों के अन्दर भेज जाने के बारे में है। ग्रर्थात हम उन्हें चीनी बेचने को कहते हैं। ग्राज कल, यदि कारखाने वाले चीनी बेचना नाहें, तो खरीदने वालों की कमी नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय: मेरा प्रश्न यह था कि क्या कारखानीं की इस विकी सें जो पैसा मिलेगा उस में से गन्ने की कीमत तथा श्रमिकों के देय वेतनों के भुगतान का कोई प्रबन्ध किया गया है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः हम ग्राशा करते हैं कि उन्हें पैसा मिलते ही वह गन्ना के उप्पादकों का तथा कारखानों के श्रमिकों का हिसाब चुकता कर देंगे।

श्री विश्वनाथ-राय: क्या कोई विशेष आदेश जारी किया गया है या नहीं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री विश्वनाथ राय: क्या कमी वाले क्षेत्रों के चीनी कारखानों की, जिन्हें कि श्रमिकों तथा गन्ना उत्पादकों की वृहत देय राशि देनी है, अपना माल बेचने के विषय में कोई विशेष सुविधा दी जा रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णपा: मैं माननीय सदस्य का आशय समझ गया हूं। हमने कुछ कारखानों को खास कर कुछ छोटी इकाइयों को, जो कि किश्तों के आधार पर नहीं बेच सकते थे, उन्हें अपना माल इकट्ठा बेचने की रियायतें दी हैं, ऐसे कुछ विशेष मामले हमारे सामने आये श्रीर हमने उन्हें कुछ रियायतें दी हैं।

#### हैदराबाद में छोटी छोटी सिचाई परियोजनायें

\*१६८० श्री शिवमूर्ति स्वामी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार ने हैं दराबद राज्य को १९५२ से लेकर १९५४ तक की कालावधि में छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी हैं;

- (ख) कित ी छोटी सिंचाई परि-योजनाओं के सम्बन्ध में काम शुरू किया गया ; तथा
- (ग) इन परियोजनाम्रों की सहायता से लगभग कितनी एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्या): (क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के वर्षों में ५५,०१५ रुपये का ग्रनुदान तथा १,०९,००,००० रुपये के ऋण मंजूर किये गयेथे।

- (ख) विभिन्त प्रकार की अलग ग्रलग परियोजनाओं की ठीक ठीक संख्या उपलब्ध नहीं।
- (ग) गत दो वर्षों में लगभग २,११,५०० एकड़।

श्री शिवमूर्ति स्वामी: क्या राज्य सरकार ने नल-कूप परियोजनाओं का काम शुरू करने के हेतु केन्द्र से टेक्निकल सहायता अथवा उपकरण के लिये प्रार्थना की है, तथा यदि की है, तो केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एम॰ वी॰ कृष्णप्पाः उन्होंने प्रार्थना की है तथा हम खोज सम्बन्धी नल- कूप संयंत्र देने के विषय पर विचार कर रहे हैं?

श्री शिवमूर्ति स्वामी: कितनी एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई है क्या उसमें वह जमीन भी शामिल है जिस की सिचाई पुराने तालाबों की मरम्मत करके की जा रही है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः वह एक मुख्य मद है। उदाहरणतः १९५२-५३ में जो ३५ लाख रुपया मंजूर किया गया था उस में से लगभग ३० लाख रुपया पुराने

नष्ट भ्रष्ट तालाबों की मरम्मत के लिए था। अथित हैदराबाद को हम ने इस उद्देश्य के लिए जो भी धन दिया है उसका ग्रधिकांश भाग पराने तालाबों की मरम्मत पर खर्च किया गया है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी: नई छोटी सिचाई परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कुल कितनी भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई

श्री एम० वी० कृष्णपा: मैंने कुल क्षेत्र बता दिया है। मेरे पास सिवस्तार सूचना नहीं ।

#### पूर्वी रेलवे में नियुक्तियां

\*१६८१ श्री के० सी० जेना : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) १९५३ में पूर्वी रेलवे में कुल कितनी अराजपित्रत नियुवितयां की गई हैं;
- (ख) उन में से ऋमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने व्यक्ति हैं;
- (ग) क्या उनका कोटा यथोचित रूप से भर दिया गया है; तथा
- (घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (स्त)। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७०]

- (ग) हां, श्रीमान, अनुसूचित ग्रादिम-जातियों को छोड़ कर।
- (भ) उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निश्चित किया गया कोटा भरा नहीं जा सका है।

श्री कें ० सी० जेना : उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों से कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास यह सूचना नहीं ।

श्री गणपति राम : वया मैं यह जान सकता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड ने इस विषय में उन शिड्यूल्ड कास्ट संस्थात्रों से भी सूचना मांगी है जो कि नान आफिशियल बाडिज हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी॰ शास्त्री): कुछ संस्थायें शिड्यूल्ड कास्ट की हैं की जिनके पास एडवरटाइजमैंट की नोटिस निकलने पर सूचना भेजी जाती है। अब यह उनका काम है कि वह दरस्वास्ते भिजवायें।

श्री गगदित रामः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी तक उन संस्थाओं ने आपके पास कुछ नाम भेजे ग्रौर यदि भेज तो उनमैं से कितनों को लिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: उनके नाम भेजने के यह साती नहीं है कि हम उन को लेंगे ही। वह नाम भेजते हैं और रेलवे किमशन उन पर गौर करके उनको लेता है।

सरदार ए० एस० सहगल : नया में जान सकता हूं कि क्या डी० टी० एस० के अफसरों को गैर गजटेड श्रफसर नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार देने पर सरकार फिर से विचार कर रही है ?

श्री एल॰ बी॰ शास्त्री: जहां तक चौथे दर्जे के स्टाफ का ताल्लुक है उन्हें उनके भर्ती करने का अस्तियार है लेकिन तीसरे दर्जे की भर्ती रेलवे कमीशन ही करता है।

श्री आर० एन० सिंह: क्या में जान सकता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारियों के लिए जो नये एपाइंट किये जाते हैं क्या क्वालीफिकेशन हैं?

श्री शाहनवाज खां ः जो दूसरों के लिए होती है ।

काली पहाड़ी कोयला खान में दुर्घटना

\*१६८३. श्री एस० एन० दास: क्या
श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या यह सत्य है कि काली पहाड़ी कोयला खान (पश्चिमी बंगाल) में २१ मार्च, १९५४ को हुई एक दुर्घटना में दस व्यक्ति मर गए;
- (ख) यदि पर गए तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में घटी थी, तथा
  - (ग) इस दुर्घटना के कारण क्या थे?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद ब्रुअली)ः (क) जी हां। ह्यह दुर्घटना १४ मार्च, १९५४ को हुई थीन कि २१ मार्च, १९५४ को।

- (ख) दो बिजली वालों, दो फिटरों तथा चार मज़दूरों का एक कार्यकारी दल जब वायु अन्दर भेजने के मार्ग के सम्बन्ध में एक पम्प लगवा रहा थातो ज्वलनशील गेस का एक हल्का सा विस्फोट हुआ। एक अर्हत सिरदार तथा एक पम्प-माइंडर घटनास्थल पर उपिस्थित थे। मरे हुये सभी व्यक्ति बुरी तरह झुलस गए थे किन्तु मृत्यु कार्वन मानाक्साइड गैस का विष फैलने के कारण हई थी।
- (ग) घटनास्थल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने से पम्प के निचले प्लेट पर एक बीड़ी पड़ी मिली, मरे हुये व्यक्तियों के कपड़ों से दियासलाई की एक डिबिया तथा

बीडी का एक बंडल भी मिला है। अतः अनुमान लगाया जाता है कि मरे हए व्यक्तियों में से एक अथवा एक से ज्यादा व्यक्ति बीड़ी पी रहे थे, जिस से ज्वलनशील गैस भडक पड़ी थी।

श्री एस॰ एन॰ दास: खानो के अन्दर चले जाने से पूर्व क्या कमकरों की इस उद्देश्य से कोई तलाशी ली जाती है कि कहीं वह इस प्रकार की सामग्री अपने साथ न ले रहे हों?

श्री आबिद अली: त्रिनियमों के अनुसार उनकी तलाशी लेनी पड़ती है। सरकार की मालूम नहीं कि इस विशेष मामले में तलाशी ली गई थी या नहीं। खान निरीक्षक इस मामले की जांच कर रहा है तथा हम उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्रीपी० सी० बोसः खान के वायु मंडल में कित री प्रतिशत गैस थी ?

श्री आबिद अली: इस दुर्घटना से चार घंटे पूर्व इस सम्बन्ध में परीक्षण किया गया था और यह पता चलाथा कि इस में २½ प्रतिशत ज्वलनशील गैस थी।

श्री पी० सी० बोस: क्या कमकरों को बचाने के लिए परित्राणकर्मचारी दल समय पर ही बुलाया गया था?

श्री आबिद अली: जो हां, यह वहां लगभग साढ़े चा बजे पहुंचा जब कि दुर्घटना ढाई बजे हुई थी।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या यह सत्य है कि खान में गैस का परिमान इतना अधिक था कि उस में काम करना खतरनाक था तथा इन कमकरों को छुट्टी के दिन मरम्मत के काम के लिए भेजा गया था जब कि प्राधिकारियों को मरम्मत के लिए इस खान को खतरे से पूर्ण घोषित किया जाना चाहिये था ? श्री आबिद अली: मैं ने पहले ही वताया है कि इस दुर्घटना से चार घंटे पूर्व गैस का टेस्ट किया गया था। यह ठीक है कि घटना का दिन रिववार था तथा इसलिए कनकरों की कम संख्या उपस्थित थी।

श्री एव० एन० मुकर्जी: क्या यह सत्य है कि एम्बूलेन्स पार्टी सहायता के लिए समय पर न पहुंच सकी तथा मृतक शरीरों को पहचाना नहीं जा सका है क्योंकि विस्फोट की घटना बड़ी भया-नक थी?

श्री आबिद अली: एम्बुलेन्स पार्टी दुर्घटना के समय से दो घंटे के श्रन्दर श्रन्दर घटनास्थल पर पहुंची तथा इस से जो कुछ हुग्रा वह इस ने किया।

श्रो एच० एन० मुकर्जी: क्या यह सत्य है कि सारे मृतक शरीर पहचाने नहीं जा सके हैं ?

श्री आबिद अली: मेरे पास जो कागज़ हैं उन में यह बात नहीं दी गई है। हो सकता है कि यह सूचना उस रिपोर्ट में दी गई हो जिसकी कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

#### कोयले तथा सोने की खानों में दुर्घटनाएं

\*१६८४. डा० रामा राव: (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से ग्रब तक कोयले तथा सोने की खानों में कुल किननी दुर्घटनाएं हुई हैं?

(ख) उन म से लापरवाही से कितनी दुर्घटनाएं हुईं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) तथा (ख)। १९५३ में कीयले की सातों में २५७ घातक दुर्घटनाएं हुईं। १९५४ में कोयले की खानों में चार वड़ी वड़ी दुर्घटनाएं हुई जिन में से प्रत्येक दुर्घटना में चार अथवा इस से अधिक व्यक्ति मर गए।

दूसरी बातों के सम्बन्ध में सूचना एक त्र की जा रही है तथा इसे यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

डा० रामा राव: १९४२ के मुकाबले में १९५३ नें मृत्यु दर कैसी रही हैं ?

श्री आबिद अली: १९५१ में यह दर ०.९ प्रति एक हजार सेवायुक्त व्यक्ति थी; १९५३ में यह दर १ प्रति एक हजार सेवायुक्त व्यक्ति थी।

श्री पी० सी० बोस: क्या यह सत्य है कि ज्यों ज्यों खानें गहरी होती जाती हैं त्यों त्यों दुर्घटनाएं बढ़ती जाती हैं ?

श्री आबिद अली : खानें गहरी होती जा रही हों परन्तु दुर्वटनाएं बढ़ नहीं रही हैं।

डा० रामा राव: माननीय उपमंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या में जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात की ओर ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही की है कि यह दुर्घटनाएं लापरवाही तथा ग्रन्य ऐसी बातों के कारण न होने पायें जिन का कि निवारण किया जा सकता है।

श्री आबिद अली: हम दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए और श्रविक निरीक्षक नियुक्त कर रहे हैं तथा विनियमों का संशोधन कर रहे हैं।

श्री के के बसु: क्या सरकारी निरीक्षक ने ऐसे किसी मामले की सूचनाः दी है जहां कि अधिकारियों ने खान अधि-नियम के अन्तर्गत नियमों आदि का पालन न किया हो ?

श्री आबिद अली: यदि प्रबन्धक अथवा खानों के प्रभारी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

#### चीनी का आयात

\*१६८५ श्री झूलन सिन्हा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि वर्ष १६५३-५४ में आयात की जाने वाली चीनी की मात्रा किस आधार पर निर्इचित की गई है?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्रो (श्री एम० वी० कृष्ण प्पा) : वर्ष १९५३-५४ में आयात की जाने वाली चीनी की मात्रा फैक्टरियों के पास पड़े पुराने स्टाक, वर्तमान उत्पादन तथा उसी काल में प्राक्कित ग्रपेक्षाग्रों के आधार पर निश्चित की जायेगी।

श्री झूलन सिन्हा: मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीनी की शनैं: शनैं: और दृढतापूर्वक बढ़ती हुई कीमतों की ओर सरकार का , ध्यान गया है और क्या उन्होंने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की हैं जिन में सरकार की समस्त आयात नीति के संशोवन और पुनिवचार की आवश्यक्ता है ?

श्री एम॰ वी॰ कृष्णपा: चीनी की कीमत में इतनी ग्रसामान्य वृद्धि नहीं हुई है। कन्ट्रोल समाप्त होने की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन कीमत बढ़ने की कोई गुजांयश नहीं है क्योंकि फैक्टरियों में पर्याप्त स्टाक है तथा आयात कार्यक्रम के अधीन हमारे पास बहुत चीनी है। कीमतों के अत्यधिक बढ़ जाने के विचार से आयात कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने के लिये कोई स्थान नहीं है। जैसा मैं ने कहा कन्ट्रोल न रहने पर इस के मूल्यों में थोड़ी सी घटती बढ़ती होती रहेगी।

श्री झूलन सिन्हाः क्या मैं इस वर्ष के प्रारम्भ से अन्त तक चीनी की कीमत में वृद्धि की दर जान सकता हूं? क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में आकड़े हैं?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : हां,
मेरे पास पिछले दो वर्षो के आकड़े हैं।
कलकत्ता में नवम्बर १६५३ में मूल्य
२८ रुपये ८ आने था, दिसम्बर में २८ रु०
८ आने, जनवरी १९५४ में ३० रुपये,
फरवरी में ३० रु० और मार्च में लगभग यही
मूल्य था। कीमतों में भारी वृद्धि नहीं
हुई है।

श्री बोगावत : क्या यह सन है कि वायदा बाजार के सौदों तथा फैक्टरी मालिकों द्वारा बाजार में चीनी न लाने के कारण चीनी की कीमत में वृद्धि हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णपा: अभी कुछ समय पहले श्री सिन्हा के प्रश्न के उत्तर में में ने कहा था कि हम ने फैक्टरियों से बाजार में चीनी लाने के लिये कहा है और यदि दो महीने के भीतर जितनी चीनी बाजार में लाने के लिये कहा है उननी नहीं आई तो हम स्टाक की अपने अधिकार में लेकर उसे खुले बाजार में बेच देंगे।

श्री राधेलाल व्यास: मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भारत में शकर की पैदावार कम थी उस समय कभी बाहर

से शकर नहीं मंगाई गई और अब जब कि शकर की पैदावार बढ़ गई है तो गवर्नमेंट ने क्यों बाहर से शकर मंगा कर यहां का रुपया बाहर भेजना शुरू किया है ?

मौखिक उत्तर

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : लोगों ने डीकंट्रोल होने पर बहुत ज्यादा खाना .शुरू किया है।

केन्द्रीय सहकारी विऋय विकास बोर्ड \* १६८६ श्री विभूति मिश्रः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की क्पा करेंगे :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सहकारी विकय विकास बोर्ड की स्थापना का विचार रखती है ; और
- (ख) यदि हाँ, तो कब तक ऐसा किया जायेगा?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम॰ वी० कृष्णप्पा): (क) इस संद्स में ्एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री विभूति मिश्र**ः यह प्रपोजल सरकार कब तक काम में लावेगी?

श्री एम० बी० कृष्णपा: हम बहुत जल्दी एक कमेटी बनायेंगे।

सरदार ए० एस० सहगल: मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों में काम करने वाले सहकारी विकय बोर्डों ने सरकार के सम्झ एक केन्द्रीय सहकारी विकय बोर्ड बनाने का सुझाव रखा है; ग्रौरयदि हां, तो किन किन राज्यों ने ?

श्री एम० बो०ं कृष्णप्पा : यह सच है कि विभिन्त राज्यों में काम करते ्वाली संस्थाओं ने अपने अपने कृषि मंत्रियों

द्वारा जिन का एक सम्मेलन १९५३ में हुआ था, यह सुझाव रखा था विभिन्न राज्यों के विक्रय बोर्डों के कार्य को मिलाने के लिये एक केन्द्रीय विकस्य बोर्ड की स्थापना करनी पड़ेगी। मंत्रियों को इस राय पर यह करना पड़ा।

सरदार ए० एस० सहगल : वह कौन से राज्य हैं जिन्होंने केन्द्रीय बोर्ड की रचना का सुझाव रखा है?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : इस प्रश्नके उतर के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास: क्या में जान सकता हूं कि प्रस्तावित संस्था एक संविहित संस्था होगी अथवा वह सरकार का विभाग रहेगी?

श्री एम० बीं० कृष्णपाः केन्द्रीय कृषि मंत्री के सभापतित्व में एक समिति का निर्माण किया जायेगा। वह विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और इस तरह की एवं अन्य बातों पर निर्णय करेंगे कि यह संस्था संविहित होगी अथवा अनुसंविहित।

#### चलती रेलगाड़ियों पर हमले

\*१६८७. श्री रघुनाथ सिंह : रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि १९५३ में चलती रेलगाड़ियों पर हुए हमलों के परिणाम स्वरूप कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रेल तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज स्तां) : मृत ः ে ८ घायल \*\*\* ४८

श्री रघुनाथ सिहः में यह जानना चाहता हूं कि जिन ट्रेनों में आर० पी० पी० थी उनमें कितनी हत्याएं हुई ?

श्री शाहनवाज् खां : उनकी कोई पूरी डिटेल इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आनरेबिल मेम्बर जानना चाहेंगे तो मैं बाद में उनको बता सक्ंगा।

मौखिक उत्तर

श्री रघुनाथ सिंह : जिन ट्रेनों में अ।र० पी० पी० वाले थे ग्रौर उनमें हत्याएं हुई तो क्या उन आर० पी पी० वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री शाहनवाज खां: गाड़ी में जो आर० पी० पी० वाले चलते हैं वह तीन चार आदमी ही होतें हैं ग्रार वह एक ही डब्बे में होते हैं। अगर चलती गाड़ी के किसी एक डब्बे में वारदात हो जाय तो यह ज़रूरी नहीं है कि ग्रार० पी० पी० वाले वहीं मौजूद हों।

श्री रघुनाथ सिंह: जिन ट्रेनों में आर० पो० पी० थी ग्रीर हत्याएं हुई उन में कितनी हत्याग्रों की सूचना अधिकारियों को आर० पी० पी० ने दी ?

रेलवे तथा परिवहनः मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): अगर कोई जर्म होता है ग्रोर अब उस में आर० पी० पी० ने ठीक कोम किया या नहीं, या उसको सन्। दी जाय या नहीं, इसका फैसला रेठवे के हाथ में नहीं है, उस का कंट्रोल उस प्रदेश के जनरल आफ पुलिस के हाथ में है ग्रौर वही उसका निर्णय करता है।

#### अखिल भारतीय व्यवसाय प्रमापीकरण जांच समिति

\*१६८८ श्री एस० सी० सामन्त : श्रम मंत्री दिनांक १७ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ 51 P.S.D.

के उत्तर की ब्रोर निर्देश करने की कृपा करेंगे ग्रौर बतायेंगे:

- (क) नया अखिल भारतीय व्यवसाय प्रमापीकरण जांच समिति की सिफा-रिशों का परीक्षण किया गया है; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किये हैं और क्या उक्त निर्ण्य कार्यान्वित किये गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ग्रौर (ख) । इन सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : विगत १७ अगस्त को माननीय मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह उचित ध्यान देंगे तथा उन्होंने एक अन्य माननीय सदस्य को भी आश्वासन दिया था कि वह इसे शीघ्र ही करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री आबिद अली: यह विषय प्रशिक्षरा तथा रोजगार पुनर्सगठन समिति सम्बंधी कार्य के प्रश्न से परस्पर सम्बंधित है जिसके विषय में कुछ दिनों पूर्व मैं ने कहा था कि उनका प्रतिवेदन अभी नहीं आया है। ज्योंही वह प्रतिवेदन आ जाय, इस प्रश्न पर भी निर्णय किया जायेमा।

श्री एस० सी० सामन्त: यह सिफारिशें १९५१ के उत्तराई में प्रस्तुत की गई थीं, चार वर्ष बीत गये हैं और दुसरी असैनिक, प्रशिक्षण परियोजनात्रों में डिप्लोमा प्राप्त बहुत से व्यक्तियों को अनेक राज्य सरकारों द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही है। क्या यह सच नहीं है कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित न करने से उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री आबिद अली : इ विषय से सम्बंधित सिफारिशें नवम्बर १९५२ में प्राप्त की गई थीं। प्रश्न के दूसरे भाग का जहां तक सम्बंध है, हमने स्वयं इस प्रश्न को लेलिया है ग्रौर डिप्लोमा को मान्यता देने के लिये हम कुछ राज्य सरकारों को प्रेरित कर सके हैं।

मौखिक उत्तर

#### उड़ीसा का चावल

\*१६८९ श्री संगण्णाः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या उड़ीसा से दक्षिण भारत श्रौर पश्चिमी बंगाल में चावल ले जाने के लिये कोई योजना है ;
- (ख) यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्योरा क्या है; भ्रौर
- (ग) किस तिथि से वह कार्यान्वित हुई हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णपा): (क) से (ग)। आवश्य-कता से अधिक चावल पैदा करने वाले राज्यों से अभाव वाले राज्यों में ले जाने की साधारण परियोजना में देश में चावल वितरण की वर्तमान व्यवस्था नियत है श्रीर उड़ीसा से दक्षिए। भारत श्रीर पश्चिमी बंगाल में चावल ले जाना उसी योजना का भ्रंग है। चावल ले जाने की किया अभाव वाले राज्यों की समय समय की आवश्यकतास्रो पर निर्भर है। आवश्यकता होने पर केन्द्रीय संचिति में भी उड़ीसा से भी चावल जायेगा। आवश्यकता से अधिक चावल वाले राज्यों से अभावप्रस्त राज्यों को चावल ले जाने की सामान्य परियोजना पिछले कई वर्षी से चालू है।

श्री संगण्णाः में जानना चाहता हूं कि चालू वर्ष में उड़ीसा से चावल कितनी म चा में निर्यात किया गया है ?

श्री एमः वीः कृष्णमाः उन्होंने १,५४,००० टन फालतू चावल की घोषराा की है ग्रौर इसका अधिकांश भाग आयात कर दिया गया है। त्रावनकोर-कोचीन में चावल ले जाने के लिये हम ४४ स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं जिनमें एक स्पेशल ट्रेन १,००० ट₁ चावउ ले जा रही है ।

भी संगण्णा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा की खाद्य स्थिति को देखते हुए नियति के अपने वचन में कमी करने का सुझाव रखा है ?

श्री एम० वी० कृष्णपाः यथार्थ तो यह है कि वह हम से अधिक से अधिक खरीदने का अनुग्रह कर रहे हैं। हम उड़ीसा से साढ़े तीन लाख टन चावल की आशा करते हैं। बर्मा से चावल के समझौते के बाद उनका कहना है कि उन्हें आशा से ग्रधिक मिल सकेगा वह अपने चावलों को निबटाने के लिये बड़े उत्सुक है।

श्री एस० सी० सामन्तः क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार चावल के स्थान पर धार चाहती थी और उड़ीसा सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः प्रारम्भ में ऐसा ही हुआ । वह चाहते थे कि उन्हें **धान और चावल दो**ों का ही सम्भरण किया जाये। उन्होंने केवल २५,००० टन चावल उठाया और अधिक चावल लेते से इन्कार कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि स्वयं पश्चिमी बंगाल में पर्याप्त चावल है जो आवश्यकता से अधिक है।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या में जान सकता हूं कि १९५४-५५ में मद्रास राज्य को चावल के कितने परिमाण का घाटा रहेगा !

श्री एम० वी० कृष्णपाः वर्तमान में मद्रास राज्य में कमी है। मैं नहीं कह सकता कि १९५४ में क्या स्थिति होगी। यदि सामान्य वर्षा हुई तो इसमें सुधार हो सकता है ग्रौर यदि अधिक बरस।त हुई तो अत्यधिक फसल पैदा होगी जिस से राज्य आत्मभरित हो सकेगा।

#### कृषि उत्पादनों के मृत्य

\* १६९३ श्री विभूति मिश्र : वया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कृषि उत्पादनों के मूल्य के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित करने के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है;
- (ख) यदि की है, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;
- (ग) क्या इस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है; तथा
- (घ) यदि की है, तो इसकी सिफा-रिशें क्या हैं ?

लाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)ः (क) केवल एक पूछताछ समिति नियुक्तं की गई है जो कृषि उत्पादकों के मूल्यों का प्रतिवेदन करने वाले वर्तमान कर्मचारीवर्ग की छानबीन करेगी, और सभी ग्रावश्यक मुधारों के सम्बन्ध में सुझाव देगी।

- (१) श्री पी० एन० थापर आई० सी० एस्०, सलाहकार, योजना आयोग---(अध्यक्ष);
- (२) डा० एस० आर० सेन आर्थिक एवं सांख्यकीय सलाहकार, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली——(सदस्य),

- (३) डा० बी० राममूर्ति, संयुक्त निदें-शक, केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था-(सदस्य) ;
- (४) जिस राज्य में जितने समय तक पूछताछ रहे, उतने समय के उसी राज्य का एक प्रतिनिधि।
- (५) श्री जे० एस० शर्मा, अधशास्त्र एवं सांख्यकी निदेशालय, खाद्य तथा कृषि मंत्रामय---(सचिव)।
- (ग) और (घ) नहीं। आशा है कि यह रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी।

श्री विभृति मिश्र: क्या यह जो सर-कार कमेटी क़ायम कर रही है, इस में खेती से उत्पन्न होते वाले सामानों की कीमत इंडस्ट्रीज़ के जरिये पैदा होते वाली चीजों की कीमत में कोई तारतम्यता रहेगी?

श्री एम० वी० कृष्णपाः उस सूचना के जाने के बाद उधर स्टेट से एक अफसर इसमें आता है, उनकी एडवाइस पर वह लोग काम कर सकते हैं।

श्री एन० वी० चौधरी: क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कृषि उत्पादनों के मूल्य की साप्ताहिक विवरिएाका में कई राज्य के उत्पादनों के दिये गये मूल्य, उन राज्यों के किन्हीं विशेष क्षेत्रों में चल रहे न्यूनतम मूल्य हैं?

श्री एम ० वी ० कृष्णप्पाः यह भी एक कारण है कि हम इस समिति को नियुक्त कर रहे हैं । विभिन्न राज्यों में मूल्य की रिपोर्ट देने वाली एजेन्सियों की विभिन्त पद्धतियां हैं। कई राज्यों में राजस्व अधि--कारी रिपोट देते है; कई राज्यों में मटवारी (लेखपाल) रिपोर्ट देते हैं 🐠

अन्य राज्यों में वहां के बाजार से मूल्यों से सम्बन्धित रिपोट मिलती हैं। हम एक ही रूप की नीति बनाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने इस समिति को नियुक्त किया है। जो इस सारे मामले की छान बीन करेगी और सुझाव देगी।

श्री विभूति मिश्र: क्या कमेटी की रिपोर्ट मेम्बरों को मिलेगी?

एक माननीय सदस्य : जरूर ।

श्री एन० एल० जोशी: क्या यह कमेटी कृषि के उत्गाद में की लागत के सम्बन्ध में भी जांच करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णपाः इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिए; मैं ठीक से कह नहीं सकता, किन्तु हो सकता है कि उत्पादन की लागत की भी जांच करें।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कृषि उत्पादनों से सम्बन्धित आंकड़े संकलित करना मान लिया है?

श्री एम० बी० कृष्णपाः राज्यों के सम्बन्ध में तो आंकड़े मौजूद हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या वे इस समिति के लिए नये आंकड़े संकलित करेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पाः उन्हें करना ्होगा, इसी में उनका हित है।

पंडित ठाकुर दास भागवः क्या में यह दरियापत कर सकता हूं कि इस कमेटी में किसी नान-आफ़िश्यल को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री एम० बी० कृष्णप्याः में ने नाम तो सुनाये हैं; वे सभी पदाधिकारी हैं।

्षंडित ठाकुर दास भार्गवः में यह पूछना चाहता हूं कि इस में नान-ग्राफ़िश्यल क्यों नहीं लिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस में कोई दलीलबाजी नहीं हो सकती कि ऐसा क्यों नहीं किया गया । मान नीय सदस्य केवल सुचना मांग सकते हैं।

#### प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा में फालतू पानी का निकासी-मार्ग

\* १६७१. श्री दशरथ देव : क्या लाह तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या दलाईचरा से त्रिपुरा स्थित कमालपुर में घुसने वाले फालत् यानी का निकासी-मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में सर-कार के पास कोई अभ्यावेदन ग्रा पहुंचा हुं; भ्रौर
- (ख) यदि पहुंचा है, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यदाही करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) त्रिपुरा सरकार के पास एक अम्या-वेदन पहुंचा है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है, और कृषि के इंजीनियर की नियुक्ति होने पर कार्यवाही की जाएगी।

#### मद्रास में चीनी की खपत

\* १६७६. श्री एच० एस० प्रसाद: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह इताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२, १९५२-५३ ग्रौर १९५३-५४ में मद्रास राज्य में चीती की कुल कितनी खपत हुई?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मद्रास राज्य में खप गई चीनी के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अन्त**र्देशीय एवं** तटीय व्यापार के आंकड़ों के ग्राधार पर

यह अनुमान लगाया गया है कि १९५१-५२ और १९५२-५३ में ऋमशः १ लाख १५ हजार टन और १ लाख ३० हजार टन चीनी की खपत हुई है। इस सम्बन्ध में १९५२ ५३ के उत्तराई और १९५३-५४ के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं। यों तो ३१-३-१९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष की खपत कां ग्रनुमान १ लाख ८४ हजार टन है।

#### कोयला खान सार्यांडग

\*१६७७. श्री टी० बी० विट्ठल रावः क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या मध्य रेलवे पर कोयला खान सायडिंग तक के भद्राचलम् रोड़ एक्सटेंशन का निर्माण-कार्य शुरू हुआ है;
- (ख) यदि नहीं, तो कब से काम शुरू होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) श्रीमान्, अभी नहीं ।

(ख) एक सविस्तार इंजीनियरिंग परि-माप पूरा किया गया है । पुलों, मेरहा,-बदार नालियों, मोड़ों, ग्रादि के सम्बन्ध में आवश्यक खाके तैयार किये जा रहे हैं। एक संक्षिप्त अनुमान भी बनाया गया है, स्रौर सशक्त पदाधिकारी की मंजूरी के बाद ही यह काम शुरू किया जाएगा।

#### राजस्थान में परीक्षात्मक नलकूव

\*१६७८. श्री मुरारका : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारत परीक्षात्मक कार्य क्रम के अन्तर्गत राजस्थान में कितने परी-क्षात्मक नलकूप बनाए जाएंगे ?

(ख) इन नलकूपों की कुल लागत क्या होगी श्रौर उन्हें राजस्थान के किस भाग में बनाया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (ख) परीक्षात्मक परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान के अच्छे क्षेत्रों में पांच परीक्षात्मक नलकुप बनाने का विचार है।

- (ख) (१) परीक्षात्मक नलकूपों की कुल लागत उनकी गहराई, नीचे के भूस्तरों के गुण प्रकार तथा उन पर काम आने वाले सामान की लागत पर निर्भर होगी। जलोढ भूमि में ३०० फुट गहरा प्रमाप-नलकूप बनाने की वर्तमान ग्रौसत लागत लगभग २६,००० रुपये होती है।
- (२) इन पांच परीक्षात्मक नलकूपों के बनाने के लिये अभी बीकानेर डिवीजन को चुनागयाहै। विशेष स्थानों के बारे में अन्तिम निश्चय एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा जिस में भारत भूतत्वीय परिमाप विभाग टी० सी० एम० तथा खाद्य तथा कृषि मंत्री के प्रतिनिधि तथा राज्य के चीफ इंजीनियर सम्मिछित होंगे ।

#### देहरादून बन गवेषणा इन्स्टीट्यूट

\*१६७९ श्री कृष्ण चन्द्रः क्या **लाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्राक्कलन समिति द्वारा १९५३-५४ की छटी रिपोर्ट के पैरा १९ में की गई इस सिपारिश पर कि देहरादून को बन गवेषणा इनःटीट्यूट में बेकार पड़े एक करोड़ रुपये की लागत के भिन्न प्रकार के संयन्त्रों का पूर्ण उपयोग किया जाय क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): इस सिपारिश के बारे में बन उपयोग मंत्रणा समिति से परामर्श किया गया था। उक्त बोर्ड द्वारा इस विषय में स्वीकृत संकल्प की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७१] भारत सरकार उस में व्यक्त विचारों से सहमत है।

२२८७

#### आंन्घ्र में छोटे छोटे पत्तन

\*१६८२ श्री बी० एस० मूर्ति: क्या परिवहन मंत्री २६ मार्व, १९५४, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२० के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) काकीनाडा तथा मसूलीपटनम के पत्तनों पर कुल कितनी राशि व्यय की जानी है;
- (ख) इस व्यय में केन्द्रीय सरकार का भाग; तथा
  - (ग) यह काम कब आरम्भ होगा?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) क्रमश: २ ७५ लाख रुपया तथा १ ६५ लाख रुपया।

- (ख) यह अभी तक निश्चित नहीं हुआ है।
- (ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार को ज्ञात है काकीनाडा में काम फरवरी, १९५४, में आरम्भ हुन्ना था। मसूलीपटनम में काम अभी आरम्भ नहीं हुन्ना।

#### त्रिपुरा के छात्रों को छात्रवृत्तियां

\*१६९०. श्री दशरथ देव: (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री त्रिपुरा के उन छात्रों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्हों ने १९५२ तथा १९५३ में डाक्टरी चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये आवेदन दिया था?

(ख) उन में से कित तों को छात्र-वृत्तियां देदी गई थीं और किसी एक छात्र को दी गई प्रति मास न्यूनतम तथा अधिकतम राशि क्या थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुतारी अमृतकोर):
(क) त्रिपुरा के दो छात्रों ने १९५२ में
ग्रौर दो ने १९५३ में भारा सरकार द्वारा
डाक्टरी चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में
प्रवेश के लिए आवेदन दिए थे।

(ख) उन में से किसी को छात्रवृत्ति नहीं मिली किन्तु १९५२-१९५३ तथा १९५३-१९५४ इन दो विक्तिय वर्शों में से प्रत्येक के लिए त्रिपुरा के एक छात्र की जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज इन्दोर में प्रवृष्ट हुआ था, १,३०० रुपये वार्षिक फीस भारत सरकार ने दी थी।

#### खाद्यान्न तथा नकदी की फसलों की आयोजित कृषि

\*१६९१. ठाकुर युगल किशोर सिंहः वय खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या सरकार की यह ने ति हैं कि और अधिक भूमि को खाद्यान्न की फसलों से गन्ने की फ़सल में परिवर्तित करने को रोका जाये;
- (ख) यदि ऐसा है तो ऐसा परिवर्तन किस सीमा तक आपत्तिजनक नहीं, और
- (ग) खाद्यान्न और नकदी की फसलों की आयोजित कृषि के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

# खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) । सरकार का नीति खाद्यान्न का फस क वाली अधिक भूमियों को परिवर्तित कर के नहीं वरन मुख्यतः प्रति एकड़ गन्ने की उपज बढ़ा कर गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने की है।

(ग) वर्तमान परिस्थितियों में खाद्यानन और नकद फसलों की आयोजित कृषि सब महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साधनों में आ जाती है। ये साधन उपयुक्त मूल्य की नीति को अपनाना, ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाना, जिस में कृषि नहीं होती हो, सुधरे हुए बीज का प्रयोग खाद और उर्वरक ग्रौर कृषि के उत्तम ढंग अपनाना है।

#### रेलवे क्वार्टर

\*१६९२. श्री टी० बी० विट्ठल रावः क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या केन्द्रीय रेलवे के लेखा विभाग, सिकंदराबाद के तृतीय श्रेणी के कर्ममचारियों के लिये द्वितीय प्रकार के १५० क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया गया है;
- (ख) यदि ऐसा है तो यह काम कब पूरा होगा?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी ग्रभी नहीं। यह कार्य १९५४-५५ के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

(ख) मार्च १९५५ के अन्त तक।

#### नाविक पंजीयन

३५१. श्री कृष्णः चार्य जोशीः वया परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः

- (क) क्या नाविकों के पंजीयन का कार्य जो १९५२ में आरम्भ किया गया था पूरा हो गया है; और
- (ख) यदि ऐसा है तो कुल कितने नादिकों ने अपने नाम पंजीबद्ध करवाये हैं?

रलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) तथा (ख)। कार्य पूरा होने वाला है। इस वर्ष के फरवरी सास के अन्त तक ६१,०४३ नाविकों ने अपने नाम पंजीबद्ध करवाये थे।

#### पत्थर कूटने की मशीनें

३५२. श्री कृष्णाचार्य जोशीः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः

- (क) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस की उप-समिति ने भारत में पत्थर कूटने की मशीनें बनाने की सिफारिश की है; ग्रीर
- (ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने उस की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख)। उप-सिमिति ने सिफारिश की है कि भारत में पत्थर कूटने की मशीनें बनाने की संभाव्यता का अन्वेषण किया जाये। यह अन्वेषण किया जा रहा है।

#### कलकत्ता में डाक विभाग के कर्मचारियों की भर्ती

३५३. डा० हिर मोहनः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) १९५३ में कलकत्ता में कुल कितने क्लर्क, डािकये, पैकर और चप-रासी लड़के भर्ती किये गये; और
- (ख) उन में अनुसूचित जातियों के कितने हैं?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)ः (क) १६५३ में ६११ श्रेणी ३ श्रीर श्रेणी ४ के कर्मचारी नियुक्त किये गये।

#### (ख) १४९ ।

#### हाथियों द्वारा फसलों की हानि

३५४. श्री दशरथ देव: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५३ में केलाशहर (त्रिपुरा) में जंगली हाथियों ने कितने एकड़ भूमि की धान की फसल को नष्ट किया; और

रे२९१

(ख) इस प्रकार धान के नाश को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

#### खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) लगभग एक सौ पचास एकड़।

(ख) हाथियों का करधरा बनाने और सूचना मिलने पर, जंगली हाथियों को दूर भगाने के लिए प्रबन्ध किया गया है।

#### अनाज के भाव

३५५ श्री एस० एन० दासः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश के विभिन्त भागों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अनाज की कीमतों में कितनी कमी हुई है;
- (ख) क्या देश की सभी मुख्य मंडियों में अनाज की कीमतें गिर रही हैं ; तथा
- (ग) क्या देश के किसी भाग में ये कीमतें बंढ़ भी रही है अथवा ज्यों की त्यों हैं?

#### खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) इस वर्ष अनाज के मूल्य सामान्यतः गत वर्ष की अपेक्षा कम हैं। कुछ चुते हुए केन्द्रों में मार्च १९५३ की अपेक्षा मार्च १९५४ में मूल्यों में जितनी कमी हुई है यह सदन-पटल पर रखे विवरण १ में देखी जा सकती है।

(ख) जी हां, मुख्य मंडियों में से बहुतों में मूल्य कम हुए हैं।

[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध सं० ७२]

(ग) सामान्यतः मूल्य घट रहे हैं । तो भी कुछ केन्द्रों में, जसा कि भारत जैसे बड़े देश में स्वाभाविक ही है,

मूल्य या तो स्थायी हैं, या अधिकतया स्थानीय ग्रौर ऋतु सम्बन्धी कारणों से वे कुछ बढ़े हैं।

#### मलेरिया विरोधी आन्दोलन

३५६ श्री विभूति मिश्रः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:

- (क) बिहार राज्य को मलेरिया विरोधो आन्दोलन के लिए क्या सहायता दी गई है; स्रौर
- (ख) क्या बिहार सरकार ने इस योजना की कार्यन्विति के सम्बंध में कोई प्रतिवेदन भेजा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर): (क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्य में मलेरिया विरोधी आन्दोलन चलाने के लिए बिहार राज्य को केन्द्रीय सरकार से पहले ही डी० डी० टी० उपकरणों के मुप्त संभरण, परिवहन ग्रौर रेसोशिन गोलियों के रूप में निम्नलिखित सहायता मिल चुकी है:

- (१) १९५२-५३ में लगभग ९१,५४० रूपये के मूल्य का सामान ।
- (२) १९५३-५४ में लगभग १६,१६,१६९ रुपये के मूल्य का सामान १९५३-५४ के ग्रम्यंश में से ४,२३,६४० के मूर्य के सामान का संभरण शीघ्र किया जायेगा।
- (ख) बिहार सरकार की ग्रोर से ग्रब तक मिले प्रतिवेदनों के अनुसार दिसम्बर १९५३ तक ४३८८३ घरों में डी० डी० टी० छिड़का गया जिस से लगभग २,२०,००० लोग खतरे से बचे ग्रौर लगभग ३२००० मलेरियाग्रस्त लोगों का उपचार किया गया।

#### बिहार में मीन-क्षेत्रों की गवेषणा

३५७. श्री विभूति मिश्रः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय ग्रन्तर्देंशीय मीन-क्षेत्र गवेषणा केन्द्र कलकत्ता के मुख्य गवेषणा पदाधिकारी ने बिहार में बधी गंडक नदी (सिकालगन) में जीवित कम्बुकों के जीब-विज्ञान का अन्वेषण आरम्भ किया हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): अभी नहीं, योजना के विवरणों पर विचार किया जा रहा है।

#### उड़ीसा राज्य में डाक तथा तारघर

३५८ श्री संगण्णाः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में उड़ीसा राज्य में विभागीय और विभागातिरिक्त कितने डाक तथा तार घर खोले गये?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर):
जानकारी विवरण में दी गई है जो सदन
पटल पर रखा जाता है। [देखिए
परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० ७३]

रेलों पर ऊपर और नीचे के पुल

३५९. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में रेलवे विभाग ने सड़कों के ऊपर और सड़कों के नीचे के कितने पुल बनाये ;
- (ख) ऐसे कितने पुल बनाये जा रहे हैं ; और
- (ग) यह निर्माण कार्य किन स्थानों पर पूरा हो गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासिव (श्री शाहनवाज खां) (क) १९५२-५३ में पांच और १९५३-५४ में एक ।

- (ख) चार।
- (ग) ग्वालियर, इंदौर, गौंडिया, पटना।

#### अवनाशी सड़क और सत्यमंगलम सड़क विशाखापटनम पत्तन

३६० डा० नटवर पांडे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- (क) विशाखापटनम पत्तन का प्रति दिन लादने ग्रौर उतारने का टनभार सामर्थ्यं क्या है ;
  - (ख) गत पांच वर्षों में लादे और उतारे गये सामान के कुल वार्षिक टनभार की ग्रीसत क्या है?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)

दन

(क) लादने का ७,४०० उतारने का ४,४००

(ख) लादने का ८,३५,६५० उतारने का १,६४,२६५

#### रजिस्टर हुई मोटर कारें तथा मोटर साईकलें

३६१ श्री अनिरूद्ध सिंह: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितनी मोटर कारें तथा मोटर साईकलें रजिस्टर हुईं?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सिवव (श्री शाहनवाज खां): जानकारी अभी प्राप्य नहीं ग्रौर एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सदन पटल पर रखी जायेगी।

Par. S. 18. III. 41. 54 285

200

बृहस्पतिवार

८ अप्रैल १९५४

अंक ३ सं<del>ख</del>्या ४१



1st Lok Sabha

# संसदीय वाद विवाद

# लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्कृरण) (श्रंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

# भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

#### विषय-सूची

भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) विधेयक—प्राप्त याचिकायें

[पृष्ठ भाग ३०२१]

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

ब्रह्मा संघ के भारत सरकार के प्रति बकाया दायित्वों का

समायोजन

टिन प्लेट का धारण मूल्य आदि

प्रज्ञक सायोग अविनियम

[पृष्ठ भाग ३०२२[

[पृष्ठ भाग ३०२२—३०२३]

[बैंहर साग ३०५३]

समिति के लिये चुनाव--

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति

[पृष्ठ भाग ३०२३---३०२४]

संसर् सिचवालय, नई दिल्ली। ( मूल्य ६ आने )

# ग्रनुदानों की मांगें ---

मांग	संख्या	५६—–सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	[पृष्ठ भाग	३०२४३०७०]
मांग	संख्या	६०—प्रसारण	[पृष्ठ भाग	३०२४—३०७०]
मांग	संख्या	१२७प्रसारण पर पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग	३०२४३०७०]
मांग	संख्या	९६—परिवहन मंत्रालय	[पृष्ठ भाग	३०७०—,३११६]
मांग	संख्या	९७पत्तन तथा पोतमार्ग प्रदर्शन	[पृष्ठ भाग	३०७०—३११६]
मांग	संख्या	९८प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पोत	[पृष्ठ भाग	३०७०३११६]
मांग	संख्या	९९—केन्द्रीय सड़क निधि	[पृष्ठ भाग	३०७०३११६]
मांग	संख्या	१००यातायात (राष्ट्रीय राज पथों समेत)	[पृष्ठ भाग	३०७०—३११६]
मांग	संख्या	१०१परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	[पृष्ठ भाग	३०७०—३११६]
मांग	संख्या	१३५पत्तनों पर पूंजी व्यय	[पृष्ट भाग	३०७०—३११६]
मांग	संख्या	१३६-—सड़कों पर पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग	३०७०—्रै११६
मांग	संख्या	१३७—परिवहन मंत्रालय का ग्रन्य पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग	३०७०३११६]

# संसदीय वाद विवाद

# (भाग २-+प्रवन श्रीर उत्तर से पृथक् कायेवाही)

### शासकीय वतान्त

३०२१

# लोक सभा

बृहस्पतिवार, ८ अप्रैल १९५४

्सभा दो बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
प्रश्नोत्तर
(देखिये भाग १)

२-४८ म० प०

भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन)

विधेयक प्राप्त याचिकायें

सिचवः श्री दशरथ देव द्वारा ११ दिसम्बर १९५३ को श्रीर श्री बीरेन दत्त द्वारा १२ मार्च १९५४ को पुरःस्थापित भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में दो याचिकायें प्राप्त हुई हैं, जो पटल पर रक्खे गये विवरण के ग्रनुसार हैं।

#### विवरण

श्री दशरथ देव द्वारा ११, दिसम्बर १९५३ को ग्रौर श्री बीरेन दत्त द्वारा १२ मार्च १९५४ को पुरःस्थापित भाग 'ग' राज्य शासन ग्रिधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित याचिकायें:

•	तर कर्ता संख्या	जिलाया नगर	राज्य
(8)	४४	पथरकंडी ग्रौर करीमगंज	त्रिपुरा
(२) 87 P.	<b>₹</b> S. D.	कचार	त्रिपुरा

३०२२

सदन पटल पर रखे गये पत्र

ब्रह्मा संघ के भारत सरकार के प्रति बकाया दायित्वों का समायोजन

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)ः श्रीमान्, मैं सदन पटल पर उन पत्रों की एक प्रतिलिपि रखना चाहता हं जो वित्त मंत्री श्रीर ब्रह्मा संघ के राजदूत के बीच ब्रह्मा के भारत से पृथक् होने के कारण बनने वाले ब्रह्मा संघ सरकार के भारत सरकार के प्रति बकाया दायित्वों के अन्तिम समायोजन के संत्रीध में लिखे गये थे । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ४४]

टिनप्लेट का घारण मूल्य, आदि

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी॰ टी॰ कृष्णमाचारी) : प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन में सदन पटल पर इन पत्रों की एक एक प्रतिलिपि रखना चाहता हूं, ग्रर्थात् :—

- (१) टिनप्लेट कम्पनी आफ्न इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित टिनप्लेट के १९५२ के घट बढ के बाद के स्थायी भावों के पुनर्विलोकन पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन,
- (२) भारत सरकार के उपसचिव वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली का लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता को

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी] लिखा गया पत्र संख्या एम० सी० (ए)-२ (११०)/५३, दिनांक १८ मार्च १९५४; तथा

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की घारा १६ (२) के परन्तुक के आ∳ध्†न दिया गया वक्तव्या जिसमें यह बताया गया है कि उक्त (१) और (२) में निर्देशित दस्तावेजों की एक एक प्रतिलिपियां विहित काल में सदन पटल पर क्यों नहीं सकी थीं। पुस्तकालय में देखिये संख्या गया । एस०-११०/५४]

# समिति के लिये चुनाव

भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णपा) : मै प्रस्ताव करता हूं :

"िक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० ७-३२/५३ सी० ओ० एम० १, दिनांकं २४ दिसम्बर, १९५३ की कंडिका ३-२९ से ३१ के अनुसार जिसके द्वारा भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति बनाई गई है, इस सदन के सदस्य भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की सदस्यता के लिये, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : भारतीय केन्द्रीय समित ्र ने चुनाव के संबंध निर्देशन पत्र प्राप्त करने,

वापस लेने ग्रौर चुनाव की तिथियां इस प्रकार निश्चित की गई हैं:

चुनाव की नामनिर्देशन नाम वापस की तिथीं लेने की तिथीं तिश्री

१२-४-१९५४ १४-४-१९५४ १७-४-१९५४

समिति के लिये नामनिर्देशन नाम वापस लेने के प्रार्थना पत्र संसद सूचनालय में उक्त तिथियों को ४ म० प० तक लिये जायेंगे।

चुनाव, जोकि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जायेगा, संसद भवन पहली मंजिल पर समिति कपरा संख्या ६२ में ३ से ५-३० म० प० के बीच होगा।

# अनुदानों की मांगें\*

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगा । साथ ही साथ कटौती' प्रस्तावों पर भी विचार किया जायेगा।

पंडित बालकृष्ण शर्मा कानपुर दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व) : कल शाम को इस सदन में एक अत्यन्त निम्न स्तर का भाषण दिया गया था, जिसमें कुछ ऐसे सज्जनों के संबंध में उन के नाम लेकर निर्देश किये गये थे, जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं। आप इस प्रकार के व्यवहार के विरुद्ध अपना निर्णय दे चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट कर दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं कई बार यह बता चुका हूं कि ऐसे व्यक्तियों के नामों का हवाला देना, जो सदन में उपस्थित

<sup>\*</sup>राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तुत ।

नहीं हैं और अतः जिन्हें इस सदन में ग्रपनी सफाई देने का ग्रवसर प्राप्त नहीं है, ग़लत और ग्रनुचित है। यदि किसी विभाग के किसी कर्मचारी की आप को आलोचना करनी है, तो आप उस विभाग के मंत्री की आलोचना कर सकते हैं--उस कर्मचारी की नहीं। यदि किसी सदस्य ने इस प्रकार से नाम लिये हैं, तो यह दुःख की बात है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे ।

श्री फ़ैक एन्थनी (नामनि देंशित--न्थांग्ल-भारतीय) : मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । किसी मंत्री को आलोचना करते समय क्या कोई सदस्य यह कह सकता है कि उस मंत्री ने ग्रमुक व्यक्ति को इस कारण नियुक्त किया है क्योंकि वह उनका संबंधी है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि मैंने कभी भी ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की अनुमति नहीं दी है। यदि कोई सदस्य इस प्रकार का कोई आरोप लगाना चाहता है तो उसे पहले अध्यक्ष से मिलना चाहिये। जब अध्यक्ष आरोप की सचाई के संबंध में संतुष्ट हो जाये तभी सदन में ऐसा आरोप लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं । केवल रिश्तेदारी के आधार पर यह बात नहीं मान ली जा सकती है कि नियुक्ति के मामले में बेईमानी की गई है।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : माननीय सदस्य ने कल भारतीय आकाश-वाणी के महा संचालक के विरुद्ध कुछ ऐसी बाते कही थीं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को बहुत हानि पहुंची हैं। उक्त महा-संचालक को इस सदन में ग्रपनी सफाई

देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। इस संबंध में अब क्या होना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): उन आरोपों ग्रथवा बातों की अभिलेख में से निकाल क्यों न दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पूरे भाषण को पढूंगा और यदि मैं उसमें कोई शब्द या ग्रभिव्यक्ति ऐसी पाऊंगा जो स्पष्टतः असंसदीय होगी, तो मैं उसे निकाल दूंगा, अन्यथा नहीं। चूंकि उसमें कुछ ग्रारोप हैं, केवल इसी लिये वह असंसदीय नहीं हो जाता है ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य श्री चट्टोपाध्याय ने अपने भाषण में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की जो कटु आलोचना की है, उसे न्यायोचित आलोचना नहीं कहा जा फिहा) सकता है। उनका सारा भाषण बड़े बड़े शब्दों एक उलझा हुआ जाल और शाब्दिक बाजीगरी मात्र कहा जा सकता है, और इस कला में निस्सन्देह वह बहुत प्रवीण हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वह एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, परन्तु कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके सिर पर भूत सवार हो जाता है और तब वह, एक बिलकुल ही भिन्न व्यक्ति हो जाते हैं। उनके अनर्गेल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोगों ने उनके कान बहुत भरे हैं और उन्हें बहकाया गया है।

#### [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने कहा कि सूचना तथा प्रसारण मंत्री एक बिलकुल अयोग्य व्यक्ति हैं.।

[पंडित बालकृष्ण शर्मा]

उन के विरुद्ध उन्होंने ग्रौर भी बहुत सी भद्दी बातें कहीं । हमें देखना यह है कि श्री चट्टोपाध्याय द्वारा लगाये गये आरोपों में सचाई का ग्रंश कितना है। उन्होंने डा० केसकर के विरुद्ध आरोप यह लगाया कि वह म्राकाशवाणी की नीति को नया रूप देने में असमर्थ रहे हैं। इस बात का निर्णय करने के लिये यह आवश्यक है कि पहले हम यह देखें कि डा० केसकर के कार्यभार संभालने से पूर्व आकाशवाणी के कार्यक्रमों दशा क्या थी।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के साथ मेरा गैरसरकारी तौर पर सम्बन्ध रहा है। मैं कार्यक्रमों की उस केन्द्रीय मंत्रणा समिति का एक सदस्य हूं, जो माननीय मंत्री द्वारा बनाई गई थी । इस समिति में इस देश के विभिन्त राज्यों के सार्वजनिक जीवन के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व है। इसके सदस्यों की नामा-वली को देखने ही से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सच्चे अर्थों में एक प्रतिनिधि समिति है। इसमें किसी प्रकारका भेदभाव या पक्षपात नहीं किया गया है । यह समिति आकाशवाणी को कार्यक्रमों के बनाने में सलाह देती है।

श्रव मैं आप लोगों की संक्षेप में यह बताऊंगा कि वस्तुतः प्रोग्राम किस प्रकार के होते हैं। ग्राकाशवाणी के कार्य-कम दो आधारों पर बनाये जाते हैं--एक आधार अभिव्यक्ति का और दूसरा श्रोताओं का । इन दोनों ही प्रकार के कार्यकमों को दो दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। श्रोताओं के आधार पर बनाये गये कार्यक्रम दो प्रकार के होते हैं--एक तो सामान्य कार्यक्रम और दूसरा **अ**ल्पसंख्यकों के लिये कार्यक्रम । **य**ह

आवश्यक नहीं है कि ग्रल्पसंस्यकों में धार्मिक ग्रथवा साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक ही सम्मिलित हों । वस्तुतः यहां पर अल्पसंख्यक महिला गें, बच्चे, सैनिक आदि हैं। पिछले दो वर्षों में जब से कि डा० केसकर ने इस मंत्रालय का भार संभाला है म्राकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को यदि माननीय सदस्य धैर्यपूर्वक देखें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि रेडियो के कार्यक्रम में निस्संदेह सुधार हुआ है। डा० केसकर के मंत्री होने के बाद से श्रोताओं के सामने अधिक से ग्रधिक प्रकार के कार्यक्रम उपस्थित किये हैं जिनकी प्रंशसा सभी ने मुक्तकंठ से की है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में श्री चट्टोपाध्याय ने जो कुछ भी कहा है वह निष्पक्ष भावना की दृष्टि से नहीं कहा है। यदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आप देश की संस्कृति की दृष्टि से देखेंगे तो निस्संदेह श्राप इनकी प्रशंसा ही करेंगे।

सत् १६५३ में 'प्रजातंत्र को चुनौती', 'सामान्य जनता केन्लिये विधि' और 'शिक्षा भविष्य' ग्रादि शीर्षकों के ग्रधीन व्याख्यान मालायें प्रारम्भ की गई थीं जिनमें देश के गणमान्य एवं विख्यात व्यक्तियों ने भाग लिया था। मैं समझता हूं कि श्री चट्टोपाध्याय ने इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में इतनी गम्भीरता से नहीं सोचा है जितना कि उन्हें सोचना चाहिये था । उन्होंने कहा था कि डा० केसकर आकाशवाणी में कोई नवोनीकरण नहीं लाये हैं। मैं कृहता हूं कि डा० केसकर ने कई ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे आकाशवाणी की नीति में श्रच्छाई की

श्रोर परिवर्तन हो गया है। संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो डा० केंसकर के प्रामुख्य के कारण ही हुम्रा था, सम्पूर्ण भारत के संजीतज्ञों ने भाग लिया था। श्रतः यह कहना कि यह कार्य कम बोगस श्रीर बेकार था ग्रनुचित है, इससे प्रकट होता है किया तो श्री चट्टोपाध्याय ने उसे सुना नहीं, यदि सुना है तो उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। अथवा ऐसा उन्होंने पक्षपात से कहा है।

अनुदानों की मांगें

केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति का सदस्य .होने के नाते मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आगामी जुलाई से 'हिन्दी' के बारे में व्याख्यान माला आरम्भ की जायगो । इस परामर्शदात्री समिति ने निश्चय किया है कि पटेल व्याख्यान माला भी प्रारम्भ की जाय। अतः यह कहना कि डा० केसकर ने आकाशवाणी की नीति में कोई नवीतीकरण नहीं किया है बिल्कुल निराधार है । मुझे ऐसा अनुभव होता है कि श्री चट्टोपाध्याय के मानो किसी ने कान भर दिये हों।

डा० केसकर द्वारा इस विभागको अपने हाथ में लिये जाने से पूर्व--सन् १९५२ के प्रथम महीनों तक--आकाशवाणी कार्यक्रम में ३१.५ प्रतिशत फिल्मी गाने होते थे। जैसा कि म्राप सभी जानते हैं फिल्मी संगीत ही हमारी संगीत रुचि के ह्रास का कारण रहा है। डा० केसकर के कार्यभार संभालते से पूर्व ही से आकाशवाणी से मेरा सम्बन्ध रहा है, पहले ही से फिल्मी संगीत का मैं विरोधी रहा हूं। किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। फिल्मी संगीत से न केवल संगीत रुचि का द्वीस होता है अपितु यह ऐसी भावना उत्पन्न करता है जो अच्छा नागरिक बनने में रुकावट डालती है और विशेष रूप

से इसका प्रभाव यह होता है कि यह बच्चों में खराब रुचि पैदा करता है। मैं चाहता था कि इसे रोकने के लिए रेडियो कदम उठाये। उस समय के प्रसार मंत्री भी इसके पक्ष में थे किन्तु वे कोई रास्ता नहीं सोच पाते थे कि इसके स्थान पर किस प्रकार का संगीत रखी जाय। वह कहते थे कि हल्के फुल्के गाने कैसे तैयार कराये जा सकेंगे क्योंकि फ़िल्म वाले ऐसा गाना तैयार करने में ५-६ हजार रुपया व्यय कर देते हैं । स्राकाशवाणी इतना व्यय नहीं कर सकता है । डा० केसकर ने इस सम्बन्ध में साहसपूर्णकदम उठाया और हल्के फुल्**के** गाने तैयार कराने का निर्णय किया। इस प्रकार तैयार किये गये हल्के संगीत का स्तर बहुत ऊंचा है, चुने हुए सरल शब्द रखे जाते हैं ग्रौर बाजे पर उन्हें जमाया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब आकाशवाणी कार्यंक्रम भें ६.८ प्रतिशत फिल्मी संगीत रह गया है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : गोग्रा, श्रीलंका, और पाकिस्तान रेडियो को कितने लोग सुनते हैं ?

पंडित बालकृष्ण शर्मा : श्रीलंका के रेडियो स्टेशन से भारत के लिए ८ घंटे का कार्यक्रम होता है जिसमें से केवल ३ घंटा फिल्मी संगीत ग्रौर विज्ञापन के लिए हैं, ३ घंटा अन्य हल्के संगीत के लिए, एक घंटा दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत के लिए ग्रौर एक घंटा उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत के लिए है । इससे आप सोच सकते हैं कि वह आकाशवाणी केन्द्र भी हल्के संगीत को कितना महत्व देता है। हम स्वतः हल्का संगीत तैयार कराते हैं। पिछले नौूमहीनों में ऐसे २७० गाने तैयार कराये गये हैं, जिनमें से कुछ प्रसारित भी किये जा चुके हैं। [पंडित बालकृष्ण शर्मा]

कोई भी सदस्य वहां जाकर उनके बारे में जानकारी प्रान्त कर सकते हैं। ये गाने बहुत ऊंचे स्तर के हैं। क्योंकि इनके तैयार करने वाले व्यक्ति बहुत उच्च कोटि के कवि हैं--जैसे श्री सुमित्रानन्दन पंत, श्री भगैवतीचरण वर्मा, श्री नरेन्द्र शर्मा । श्री चट्टोपाध्याय ने कहा है कि श्री भगवती चरण वर्मा तो गद्य लेखक हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो श्री वर्मा गद्य लेखक होने से पूर्व ही पद्यलेखन में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। ग्रतः हलके संगीत के बारे में जो ग्रालोचना की गई है वह बिल्कुल ही ग्रनुचित है।

श्री चट्टोपाध्याय ने कहा था कि श्राकाशवाणी तो 'श्रखिल मराठा रेडियो' हो गया है, श्रीर श्रीमती मुटार्रकर का उदाहरण दिया था । किन्तु ऐसा कहना उस योग्य महिला के प्रति भारी अन्याय करना है। वह संगीत की डाक्टर है ग्रौर वह भी एसे वैसे विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि लखनऊ के प्रख्यात संगीत विद्यालय की डाक्टर हैं। वह संगीत विभाग की अध्यक्षा है। वह निस्संदेह ऊंचे दर्जे का संगीत जानती हैं, उन्होंने संगीत को अपना जीवन अर्पित कर दिया है। संगीत के कार्यक्रम में प्रांतीयता की कोई बु नहीं है लेकिन वैज्ञानिकन किया गया है। माननीय मंत्री द्वारा नियुक्त 'केन्द्रीय संगीत के बोर्ड' तथा 'स्की-नींग (स्वर परीक्षण) समिति' के कारण माननीय मित्र बड़े रुष्ट हैं। पहले भी संगीत कार्यक्रम के बारे में शिकायतें आती थीं कि उच्च कोटि के संज्ञीतज्ञों को न बुलाकर नीची कोटि के संज्ञीतज्ञों को और विशेष रूप से बाई जी को बुलाया जाता था। अब 'केन्द्रीय संगीत के बोर्ड' को संगीत का कार्यक्रम तैयार करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है। केन्द्रीय

परामर्शदात्री बोर्ड में इस बोर्ड में भी श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय का नाम है। इस प्रकार किसी से रुष्ट हो कर मंत्री पर कोध निकालना एकदम अन्यायपूर्ण है। स्क्रीनिंग समिति में भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। यह समिति जगह जगह जायगी और संशीतज्ञों का चयन करेगी। अतः स्क्रीनिंग समिति, आकाशवाणी, हल्के संगीत आदि के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वे सब बेकार, निराधार, अपवित्र एवं कोरी बकवास हैं ।

श्री वेलायुधन (विवलोन व मावेलिकारा ----रिक्षत---अनुसूचित जातियां) : चट्टोपाध्याय ने कल अपने भाषण में जिन महिला का उल्लेख कियाथा इस प्रकार उल्लेख करना असंसदीय एवं अशोभनीय है। कोई भी सम्मानित सदस्य एसा करने का साहस नहीं कर सकता है । हमें भारतीय संस्कृति को प्रथम स्थान देना चाहिये । डा० केसकर के स्थान पर यदि श्री चट्टोपाध्याय मंत्री होते तो यह निश्चय था कि भारत के कलाकार हिमालय भाग गये होते।

जब डा० केसकर सूचना तथा प्रसारण मंत्री हुए थे तो मैं उनके पास गया और मैं ने उनको बताया था कि मैं उनके मंत्रालय तथा उस के कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या जानता था। मैं ने उन को बताया कि उन के मंत्रालय के कर्मचारियों में जब तक ग्रामूल परिवर्तन नहीं किया जायगा तब तक तो न भारत की संस्कृति की सेवा हो सकेगी और न भारत की जनता की ही शिक्षित किया जा सकेगा।

ऐसा करने में उन्हें उन बड़े विड़ सिनेतारकों का सामना करना पड़ा जो युद्ध के समय राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे पर संगीत कार्यक्रम पेश करते था। वही लोगः

आज उनके शत्रु हैं। क्योंकि उन्होंने इन को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया ।

इस सम्बंध में काफी मतभेद था। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिये तथा जनता की सेवा करने के लिये, फिल्म विभाग, सूचना विभाग, प्रेस सूचना कार्यालय तथा आल इंडिया रेडियों का किस प्रकार पुनर्संगठन किया जाना चाहिये इसके सम्बंध में उनके अपने विचार थे।

श्री चट्टोपाध्याय ने कुछ प्रोग्राम असिस्टेण्टों के सम्बंध में कहा । १९३९ से ले कर १९४५ तक किस प्रकार सिफारिशी टट्टू प्रोग्राम असिस्टेण्ट बना लिये जाते थे यह मुझे भली भांति ज्ञात है। डा० केसकर ने कर्मचारियों के पुन:-र्संगठन में वहुत दिलचस्पी ली। डा० केसकर ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी ले लिया है जिन के राष्ट्रीय विचार थे तथा जो अपने तरीक़े से भारत का पनुरुत्थान करना चाहते थे।

कुछ समय पूर्व में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में गया था। मैं ने वहां के रंगमंच पर रामायण तथा महाभारत के अपने प्राचीन नाटक खेले जाते देखें तथा आनंद से मेरा हृदय गद गद हो उठा । हमें भी ऐसे सांस्कृतिक नाटक तय्यार कराने चाहियें। इसके शिये राज्य की ओर से आवश्यक सहायता दी जानी चाहिये।

हम मध्यपूर्व के देशों को शिष्टमण्डल भेजने में बहुत रुपया व्यय कर रहे हैं। हमें चाहिये कि हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर ध्यान दें जहां हमारी प्राचीन संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंश अब भी पाया जाता है।

सूच्र तथा प्रसारण संगठन ने पंचवर्षीय योजना के प्रचार की एक योजना तय्यार

की है। इस के लिये एक नया विभाग खोले जाने का मैं समर्थन कर सकताहूं। प्रत्येक क्षेत्र में सूचना कार्यालय की शाखायें मौजूद इसके लिये कितने ही अफसर जगह जगह नियुक्त हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। हमें उन्हीं से यह काम भी लेना चाहिये।

मैं अनुभव करता हूं कि डा० केसकर को चाहिये कि उन्होंने जिस साहसपूर्ण नीति के अनुसार कार्य आरंभ किया है उसी के अनुसार कार्य करते रहें।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित--ग्रनुसूचित जातियां)ः डिप्टी स्पीकर महोदय इनफारमेशन एन्ड ब्राडकास्टिग मिनिस्ट्री ने सन् १९४३ में जिन प्रोग्राम <del>ब्र</del>सिसटेंट्स को एपायंट किया उनके बारे में भ्रपर हाउस में भी सवाल उठाया गया था ग्रौर में इस ग्रवसर पर आपसे ग्रपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो इतने वर्षों से लगातार काम करते रहे हैं उन को पबलिक सर्विस कमीशन के पास भेजने की ब्रावश्यकता नही हैं।

सन् १६४३ में जिस वक्त यह लोग डिपार्टमेंटली इम्पलायड किये गये थे उस वक्त इस तरह की उनके लिए कोई शर्त्त नहीं थी, ग्रब इतने वर्ष तक काम कर लेने के बाद उन पर यह पबलिक सर्विस कमीशन पास जाने की शर्त्त लगाना अनुचित वे कोई लोग हों, मेरी राय में उन पर यह ग्रन्याय हुग्रा है।

दूसरी बात जिस स्रोर मैं स्रपने माननीय मिनिस्टर का घ्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वस्दा आप देश को शिक्षित कर सकते हैं, ग्रौर अपनी संस्कृति

#### [श्री पी० एन० राजभोज]

३०३५

अपनी भाषा और रिवाज को बढ़ा सकते हैं और देश के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं लेकिन यह काम ऐसा है जिसमें आप को देश के हर क्षेत्र, हर भाषा भाषी और प्राणी के कोग्रोपरेशन की आवश्यकता है। अभी यह कहा गया कि ब्राडकास्टिंग के मुहकमे में काफी मराठे लोग जमा हैं, तो मराठे कोई एक जाति विशेष तो हैं नहीं, मराठी भाषा बोलने वाले मराठे कहलाते हैं। अब हमारे मोरे सहाब भी तो इस नाते मराठा हुए, लेकिन हम लोग तो मराठा नहीं हैं हम तो ग्रनटचेबुल्स हैं, शेडयूल्ड कास्टके हैं, मराठा अगर इस मिनिस्ट्री में ज्यादा हो जाते हैं तो उस से हमारा तो कुछ बनता नहीं है मेरे ख़्याल से तो इस मिनिस्ट्री में यह दोष है कि इस में ज्यादातर उच्च जाति के लोग हैं, हमारे अछूत भाई बहुत ही कम, नहीं के बराबर हैं। मैं चाहता हूं कि यह चीज खत्म हो जाय और हमारे भाइयों को भी उसमें स्थान मिले। यह छुहाछूत जातिपात का जो भेदभाव हमारे देश में चला आ रहा है, यह एक बड़ी नैतिक बुराई है और इसे देश ग्रौर अव समाज से शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहियाँ। हम देखित हैं कि कमेटी ने मिनिस्ट्री की तारीफ करने वाले और हां में हां मिलने वाले लोग ही लिये जाते हैं। ग्रौर वह कह देते हैं कि यह प्रोग्राम अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से काम ∤ोरहा है, तो इस तरह की खाना . पूरी सब जगह होती है और वही यहां भी हो रही है। आज आप किसी भी मिनिस्ट्री को ले लें आप देखेंगे कि वहां पर उच्च वर्ण के लोग ज्यादा से ज्यादा है। **भाज जरूरत इस बात की है** कि हम इस भेदभाव की नीति का परित्याग करें और अपने पिछड़े हुए भाइयों को आगे

आने का अवसर दें। आज हम इस सरकार और पंडित नेहरू के इस कारण खिलाफ हैं कि वह यह जाति पाति का झगड़ा मिटाने के सिक्तय कोशिश नहीं करते। इसी इनकारमेशम एन्ड ब्राड-कास्टंग मिनिस्ट्री में आप देखेंगे मानो उच्च जाति के लोगों ने इस में सर्व करने का कंट्रेक्ट ले लिया हो दूसरे जाति में काबिल लोग नहीं हैं? हमारेशमा जी बड़े होशियार ग्रादभी हैं और मेरें दोस्त भी हैं, लेकिन वे मुझे माफ करें अगर मैं यह कहूं कि उन्होंने जो नाम पढ़ें हैं, उन में एक ही जाति के ज्यादातर नाम मालूम होते हैं......

#### .एक माननीय सदस्म : ब्राह्मण।

श्री पी० एन० राजभोज : ठीक है, ब्राह्मण मैं बोलूंगा तो डिप्टी स्पीकर साहब कहेंगे कि ब्राह्मण के खिलाफ मत बोलो। उसी जाति के लोग ज्यादा हैं मैं सिर्फ इतनाहो कहूंगा कि इस देश में उन के अलावा और कितनी ही जातियों के लोग रहते हैं ग्रौर मेरी मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि दूसरे लोगों को दूसरी जाति वाड़ों को भी उसमें आने का अवसर देना चाहिए ! यह बड़े ही अफसोस और दु:ख को बात है कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट का एक भी आदमी उस संस्था में जिम्मेदार पद पर नहीं हैं, एक आध जगह टेम्परेरी तौर पर अगर ग्राप ने रख लिया तो उस से क्या बनता है। यह कह देना भर काफ़ी नहीं है कि आप में कलचर्ड लोग नहीं है, पढ़ लिखे लोग नहीं हैं, या ग्रच्छे आर्टिस्ट्स नहीं हैं या स्पीच देने वाले नहीं हैं। आप उनको म्रागे बढ़ाने म्रौर इस योग्य बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं डाक्टर काटजू साहब का शुक्रगुजार जरूर हूं कि कम से कम वह एक इस सम्बन्ध में छग्रा

छूत खत्म करने का बिल लाये हैं। आज ज़रूरत<sup>'</sup>इस बात की है कि रेडियो से जहां **ग्रौर दुनिया भर का प्रोपेगेंडा होता है** वहाँ इस जातिपाति की विषमता को नष्ट करने के लिये और खत्म करने के लिये रेंडियो में प्रोग्राम रखना चाहिये और इस देश में छुआ छूत को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। आज देहातों में यह जो छुआछूत की बीमारी फैली हुई है यह धर्म नहीं है अधर्म है और इसको खत्म करने के लिये इस मिनिस्ट्री को तरफ से बहुत कुछ हो सकता है ग्रीर उस विभाग के जो आज यहां अफ़सर बैठे हैं वह अगर इस मामले में सहानुभूति दिखलायें तो यह काम सम्यन्न कर सकते हैं। यह जो आज कल पक्षपात चलता है कि या तो कोई किसी का दोस्त है इस कारण उसको रख लिया जाता है या रिश्तेदारी की बिना पर अन्दर आ जाता है और मामला खत्म हो जाता है, इस तरह का पक्षपात आये दिन होता है। मैं नाम तो यहां पर नहीं लेना चाहता लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि नागपुर से एक र्भेंड्यूल्ड कास्ट के आदमी को ट्रान्सफर किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके ट्रान्सफर को कैंसिल किया और बम्बई के ग्रादमी को पूना भेज दिया और जो नागपुर का था उसको नागपुर में रखा। इस तरहसे गोलमाल होता है कि चार घंटे में उसका ट्रान्सफर बम्बई से पूना हो गया, क्योंकि पूना में उसका मकान है। ग्रीर जो पूना में ७ महीने से ग्राया था उसको बम्बई भेजा। मैं यहां पर इस चोज को रखना चाहता हूं कि ट्रान्सफर आदि मामलों में हम गरी वों के साथ बहुत अन्याय होता है।

मैं यहां पर इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि यह चीज कहना गलत है कि हमारे में टेलेन्ट नहीं है। हमारे लोगों में अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, और डामा

बनाने वाले हैं, अच्छी स्पीच देने वाले हैं, हमारे बीच में डाक्टर अम्बडकर सरीखे लोग विद्यमान हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हुं कि उन को आल इंडिया रेडियो पर टाक देने के लिये क्यों नहीं बुलाया जाता ?

यह सवाल जिस के लिये में खड़ा हुआ हूं बहुत ग्रहम सवाल है, यह नेशन ग्रौर राष्ट्रका सवाल है। दूसरी सर्विसेज के अन्दर जो हमारे लिये सोलह परसेंट का अनुपात रखा गया है वह अभी तक अमल में नहीं आ रहा है भ्रौर उसको अमल में लाने के लिये हमारे मिनिस्टर महोदय को जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिये क्योंकि वह ग्रवधि जल्द खत्म होने को है ग्रौर यह बहुत जरूरी है कि हमारा जो रिज़र्वेशन का कोटा है वह फिल हो जाय ग्रौर आज यह जो उच्च वर्ण को लेने में पक्ष-पातिकया जाता है जैसे कोई शर्मा है स्रौर कोई वर्मा हैं यह बन्द होना चाहिये .....

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): आप तो इतनी बड़ी एन० सी० सी० कमेटी के मेम्बर हैं।

श्री पी० एन० राजभोज: एडवाइज़री कमेटी रूरल कमेटी में भी हमारें मैसूर, मद्रास, हैदराबाद श्रीर बम्बई के लोग हैं, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के कौन हैं ? लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है हमको रेडियो द्वारा इस तरह का प्रोग्राम ब्राडकास्ट करना चाहिये सहज भाषा में जिसे हमारे गांव में बसने वाले भाई समझ सकें ग्रौर यह जान सकें कि देश में क्या हो रहा है। देहात के लिये अधिक कार्यक्रम होना चाहिये। बस ग्रधिक न कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया ।

सूचना 🙏था प्रसारिक मंत्री केसकर): व्यक्तिगत आरोपों का में [डा० केसकर]

३०३९

कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं। मेरा विचार है कि जब किसी के पास कोई श्रर्थपूर्ण तर्क नहीं होते हैं तो वह इस प्रकार के तर्कों पर उत्तर आता है।

जिन कार्यों के किये जाने या न किये जाने के दोष लगाये गये हैं उन का उत्तर देने के बजाय में सदन के सामने कुछ तथ्य उपस्थित करूंगा, जो परस्पर सम्बद्ध हैं तथा जिन से सदस्यों द्वारा लगाये अधि-कांश आरोपों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है ।

आल इण्डिया रेडियो के कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में सब से अधिक कीचड़ उछाली गई है। इस से सम्बन्धित सारा इतिहास मैं आप को बताता हूं।

सन् १९४७ में आल इण्डिया रेडियो के अधिकांश कर्मचारी तथा कुछ बड़े बड़े अफसर पाकिस्तान चले गये थे। उस समय प्रभारी मंत्री तथा रेडियो विभाग के अफसरों के सामने बड़ी कठिन समस्या आ गई थी क्योंकि उन के तुरन्त ही उसी मौके पर कई अफ़सरों को रखना पड़ा। इतना ही नहीं वरन् पर्याप्त संख्या में केन्द्र भी खोलने पड़े जिससे कि स्वतंत्रता के आरम्भ से ही देश की सेवा करने के लिये रेडियो केन्द्रों की संख्या पर्याप्त हो। इस लिये उन्हें कितने ही व्यक्तियों को तदर्थ तथा अस्थायी आधार पर रखना पडा। वह १९४७-१९४८ तथा १९४८ का असाधारणकाल था। इस लिये यह स्वभाविक था कि भर्ती के साधारण नियमों पर जोर दिया जाय।

इस प्रकार कितनी ही अनियमित नियुक्यां हो एई। इस के लिये किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

क्योंकि वह परिस्थिति ही असाधारण थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दो तीन वर्ष तक यही हाल चलता रहा।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि आल इंडिया रेडियो के यह कर्मचारी भारत सरकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं। इन के सम्बन्ध में यह सब ध्यान रखना आवश्यक था कि इस श्रेणी में कितने व्यक्ति होने चाहिएं, उन को कितना वेत्तेन मिलना चाहिएं, तथा उन स्थानों पर कैसे व्यक्ति रखे जायें। इन बातों पर न तो कोई मंत्री निर्णय कर सकता था और न भारत सरकार ही। यह तो लोक संघ सेवा ग्रायोग के अधिकार की बात थी। इसलिए संघ लोकसेवा आयोग के सामने पहले उच्चतर अधिकारियों का मामला रखा गया, बाद में आल इंडिया रेडियो के अन्य सभी कर्मचारियों के मामले विनियमन तथा परामर्श के लिए रखे गए। दुर्भाग्यवश संघ लोक सेवा आयोग को इस कार्य के करने में बहुत अधिक समय लगा। इस के लिए उस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उस के पास कार्य इतना अधिक था तथा कार्य करने वालों की संस्या इतनी कम थी कि ऐसा होना स्वाभाविक था। इस के अतिरिक्त बहुत अधिक व्यक्तियों के मामलों पर विचार करना था जिन में से अधिकांश को सेवायुक्त करने में साधारण निर्धारित प्रिक्रिया का उल्लंघन किया गया था। सरकार तथा संघ लोकसेवा आयोग दोनों ही के सामने यह समस्या थी कि क्या साधारण प्रक्रिया का पालन किया जाए। अखबारों में विज्ञापन निकाले जाएं और जब आवेदन पत्र प्राप्त हों तो एक एक को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाए और तब चुनाव किया जाए अथवा

इस कार्य में जैसा कि मैं कह चुका हूं आयोग को बहुत समय लगा तथा उस का परामर्श हमें लगभग छै मास पूर्व प्राप्त हुआ। जब आयोग ने हमें एक निश्चित आदेश भेजा है तो या तो हम उस का पालन करें या प्रत्येक व्यक्ति के मामले में हम कोई ऐसा कारण दिखाएं जिस के लिए हम उस के परामर्श को नहीं मान सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में उस नियमित प्रक्रिया का पालन करें जो संविधान में निर्धारित की गई है।

श्री वीरस्वामी (मयूरम---रक्षित--

अनुसूचित जातियां): मैं पूछना चाहता

अनुदानों की मांगें

डा० केसकर: शान्ति। शान्ति। श्री निम्बयार (मयूरम): मानतीय मंत्री ने स्वयं ही ग्रध्यक्ष के शब्द कह दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे जो कहना चाहिए था वह उन्होंने अनजाने में कह दिया है।

डा० केसकर: मैं क्षमा चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह बाद में पूछ सकते हैं। मैं उन के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, किन्तु उन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए।

कल चर्चा के समय एक बहुत झूठा आरोप लगाया गया था कि संव लोक-सेवा आयोग को क्लेवल कुछ थोड़े से मामले सौंपे गए थे अन्य मामले नहीं सौंपे गए थे। श्रीमान्न केवल सारे मामले ही सौंपे गए थे, अपितु सब यह जानते हैं कि इस बात का निर्णय करना इस मंत्रालय का काम नहीं है कि अमुक मामला संघ लोकसेवा आयोग को सौंपा जाए या न सौंपा जाये।

गृह मंत्रालय को, जो कि भारत सरकार की सारी नौकरियों का प्रभारी है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक मंत्रालय विनियमों के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं और सारी कार्य-वाही की गृह मन्त्रालय को सूचना दी जाती है, केवल इसी मामले की, जब कि किन्हीं विशेष व्यक्तियों को नौकरी से ग्रलग करना पड़ा था क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें नौकरी से ग्रलग करने की सिफारिंज की थी, सूचना दी गई हो ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने

### [डा० केसकर]

सरकार से अपील की थी। उनकी अपीलें भी गृह मन्त्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज दी गई थीं। गृह मन्त्रालय ने इन सब मामलों विचार कर लिया है और उसे इस बात से संतोष हो गया है कि सभी मामले निर्दिष्ट किये गये थे। परन्तु माननीय सदस्य अब भी झूठे आरोप लगा रहे हैं इंसलिए नहीं कि ये मामले नि-र्दिष्ट नहीं किये गये थे किन्तु इस कारण क्यों कि वे एक झूठे मामले को तूल देना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं। मुझे उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। यदि वे नौकरी में लगे रह सकें और यदि मैं नियमों के अनुसार उन्हें नौकरी में लगा रहने दे सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । जब सरकारी सेवा में कोई पदाली और इस प्रकार की महत्वपूर्ण पदाली बनाई जाती है तो उस पदाली के व्यक्तियों की संख्या निश्चित करना सरकार के लिए नितांत आवश्यक होता है। यदि मैं संख्या नि-श्चित न करूं तो मैं उस पदाली किसी को स्थायी नहीं कर सक्गा। 'स्थायं<mark>, या अघस्थायो न होते के कारण</mark> उन्हें निवृत्ति-वेतन या सरकारी नौकरी के ग्रन्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इतने वर्षों तक पदाली के विनियमित न होते के कारण और संख्या निश्चित न होते के कारण सैंकड़ों व्यक्ति त्रिशंकु के समान लटके हुए थे और उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे आकाशवाणी में नौकरी पर लगे रहेंगे या नहीं अथवा उनका भविष्य क्या होगा । मैं समझता हूं कि इनमें से अधिकांश के हित के लिए यह आवश्यक था कि इसे अन्तिम रूप

दिया जाय और गृह मन्त्रालय संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इसे अन्तिम रूप देना पड़ा। अन्यथा इनमें से बहुत से लोगों को जो इतने समय से कष्ट उठा रहे थे और कुछ समय तक कष्ट उठाना पड्ता। हमारे लिए यह सब करना आवश्यक था और हमने यह कर दिया। यदि हम ऐसान करते तो माननीय सदस्य हम पर यह दोष लगाते कि सरकार बहुत से लोगों को अनिश्चित अवस्था में रखे हुए है और उन्हें यह मालूम नहीं है कि उनका भविष्य क्या होगा। इस प्रश्न की संघ लोक सेवा आयोग को सौंपना सभी के हित में आव-श्यक था। यदि ये मामले भेजे न गए होते तो वह संविधान का उल्लंघन होता।

और फिर में तो इन्हें संघ लोक सेवा त्रायोग को नित्दंष्ट करने के अपराध का दोषी भी नहीं हूं। सम्भवतः यह कोई त्रपराध .है, जैसा कि माननीय सदस्य के भाषण से प्रतीत होता था। यह तो मेरे इस मन्त्रालय का कार्यभार संभालने से छै या आठ मास पूर्व ही किया जा चुका था। यह तो सरकार की सामान्य प्रिक्तिया हैं और इस सारे विषय को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने के लिए इस विभाग के तत्कालीन मंत्री पहले ही कार्यवाही कर चुके थे। मैं तो नियमों का परिणाम भुगत रहा हूं। सदस्यों के यहां खड़े होकर किसी की नौकरी से ग्रलग कर देने के लिए मुझँ बुराभला कहने से कोई लाभ नहीं है। मैं इसका उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेता हूं क्योकि सरकार का उत्तरदायित्व ग्रविभाज्य है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग ने निश्चय किया हो या गृह मन्त्रालय ने निश्चय किया हो, नियमों के अनुसार इसका

उत्तरदायित्व तो मुझ पर ही पड़ता है में इससे बच नहीं सकता हूं। मैं उन लोगो को फिर उन के पद्दों पर न रख सर्कूगा क्योंकि नियमों के अनुसार उन्हें वहां नहीं रखा जा सकता है।

माननीय सदस्य परस्पर विरोधी बातें नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य बार बार हम पर लोगों को चोरी से नियुक्त करनें और संघ लोक सेवा ग्रायोग से सलाह न करने का आरोप लगाते रहे हैं। प्रति दिन कोई न कोई यह कह देता है कि ग्रमुक नियुक्ति के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा स्रायोग की सलाह क्यों नहीं ली गई और अब इस प्रकार के मामले में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेने पर वे हमें कोस रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि कुछ मामलों में संघ लोक सेवा ग्रायोग की उपेक्षा कर दी जाये क्योंकि वे छटनी में ग्राये हए कुछ व्यक्तियों की हिमायत करना चाहते हैं। मुझे किसी को निकालने में प्रसन्नता नहीं होती है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब सरकार ने नौकरी के कुछ नियम बनाये हैं--मैं स्थायी नौकरी तथा स्थायी पदाली की बात कर रहा हूं--तो सरकार उन की ग्रवहेलना नहीं कर सकती है। मुझे स्मरण है कि गत वर्ष से पहले वर्ष माननीय सदस्यों ने इस मन्त्रालय पर यह ग्राक्षेप लगाया था कि इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता है ग्रौर सघ लोक सेवा ग्रायोग से सलाह नहीं ली जाती है। हम ने इस मामले को ग्रायोग को सौंपने ग्रौर इस की सलाह को मानने का निश्चय किया यद्यपि उस समय मुझे यह पक्का निश्चय था कि ग्रायोग के सलाह देने और हमारे उसे मान लेने पर माननीय सदस्य अवश्य हमारे विरुद्ध बोलेंगे क्योंकि

वे तो हर तरह से सरकार की ग्रालो-चना करना चाहते हैं। जब हमें यह भलीभांति विदित है कि हमने समझ बुझ कर नियमों का पालन किया है तो मैं इस प्रकार की ग्रालोचना को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमने न केवल नियमों का पालन किया ग्रपित सम्बद्ध पदाधिकारियों के बहुमत के हितों का भी ध्यान रखने की चेष्टा की है।

ग्रस्थायी कर्मचारियों के प्र**श्**न के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ! उस से पूर्व हम इन सब मामलों को लेते हैं। इस मामले से २४ व्यक्तियों का सम्बन्ध ह । क्योंकि पदाली की संख्या निश्चित कर दी गई थी, अतः ये २४ व्यक्ति नहीं रह सकते थे। इन २४ में से तीन व्यक्तियों को निम्न पदों पर वापस भेज दिया गया था, जिन पदों पर पहले वे काम करते थे। छः व्यक्तियों को और काम दिया जा चुका है। अब केवल १५ व्यक्ति बचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की यह नीति है कि जब स्थायी सेवा सम्बन्धी नियमों के कारण हम कुछ अस्थायी व्यक्तियों को नौकरी में नहीं रख सकते हैं तो यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र कोई काम दे देते हैं। हम अब भी उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि मैं ने बताया हम नौ व्यक्तियों को काम दे चुके हैं। हम इन छंटनी में निकाले गए व्यक्तियों को भी यथा-सम्भव शीष्ट्र से शीघ्र उपयुक्त काम देने का प्रयत्न करेंगे, किन्तु शर्त यह है कि वे उस काम के योग्य हों और उन की उस काम में रुचि हो । इन कर्मचारियों को निकालने के कारण मुझ अप्र व्यक्तिगत रूप से म्राक्षेप लगाए गए हैं। जैसा कि

[डा० केसकर]

मैं बता चुका हूं इस सम्बन्ध में कार्य-वाही तो मेरे कार्यभार सम्भालने से पहले ही की जा चुकी थी।

ग्रस्थायी कर्मचारियों का प्रश्न उठाया गया है। सदन को इस विषय में कोई एक निश्चय करना चाहिए । क्या सदन यह चाहता है---मैं इस सदन की बात मानने को तैयार हूं--कि यदि किसी व्यक्ति को गलत ढंग से और नियमों का उल्लंघन कर के भ्रानियमित रूप से नियुक्त कर लिया जाये और वह जैसे तैसे तीन या चार वर्ष तक नौकरी पर लगा रहे, तो क्या उसके कारण उसे यह ग्रधिकार मिल जाता है या इस कारण भूधारणाधि-कार मिल जाता है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण): ्रग्रापने जो कुछ भी किया, ठीक किया ।

डा० केसकर: मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि मुझे इस बता से सब से अधिक प्रसन्नता होगी और ५० व्यक्तियों को और नियुक्त कर दूंगा और उन्हें जिस किसी तरह से समय तक नौकरी में लगा रहने दूंगा। तीन चार वर्ष पश्चात् वे स्थायी किये जाने का दावा करेंगे।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): ग्राप को धन्यवाद है, मैं श्रब यह दाव ८ कर सकता हूं।

डा० केसकर: में माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि सदन में ग्रध स्था।यत्व के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ गलत धारणा ब्रनी हुई है। मुझे स्मरण हैं मेरे माननीय मित्र श्री सी० जी० के०

रेड्डी ने द्वितीय सदन में यह उठाया था और इस विषय में १५ मिनट तक प्रश्नोत्तर हुए थे।

श्री एस॰ एस॰ मोरे (शोलापुर) : क्या माननीय मंत्री दूसरे सदन की कार्यवाही का उल्लेख कर सकते हैं ?

डा० केसकर : मैं कार्यवाही को उद्धृत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मंत्रियों के वहां के वक्तव्यों को छोड़ कर और किसी विशेष कार्यवाही का उद्धरण नहीं देते हैं। द्वितीय सदन के अन्य सदस्यों के भाषणों को यहां उद्धृत करने की नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : वह तो एक भाषण का उल्लेख कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां क्या हुन्रा था इस का उल्लेख कर रहे हैं, किसी भाषण का नहीं।

डा० केसकर : मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रश्न इस सदन में भी उठाया गया था और हम ने इस का विस्तार से उत्तर दे दिया था । किन्तु मैं समझता हूं कि ग्रर्धस्थायित्व के प्रश्न के सम्बन्ध में सदस्यों के मन में एक बड़ी गलत **धारणा बैठी हुई है । सदस्यों** का विचार प्रतीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति तीन या चार वर्ष तक किसी सरकारी नौकरी पर जैसे तैसे जमा रह सके तो उसे अर्घस्थायी होने अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। यदि तीन या चार वर्ष से समय से सरकारी करने वाला कोई व्यक्ति ग्रर्हेताओं तथा काम के ग्रपने गुप्त ग्रभिलेख के निषय

में सब नियमों के अनुसार पूरा उतरता है और जब उस का मामला गृह मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किया जाता है और यदि वे उस के कार्य तथा सद्भाव के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाते हैं तो केवल उसी अवस्था में अधस्थायी होने का ग्रिधकारी वह होता है । क्योंकि, यदि इस ग्रधिकार को सेवा में किसी न किसी प्रकार चले ग्राने वाले व्यक्तियों को दे दिया जाय तो मेरा यह कहना है कि भ्रष्टा-चार का इससे अधिक अच्छा तरीका और कोई कहीं हो सकता है । इससे ग्राप केवल मन्त्रियों के लिए ही भ्रष्टाचार का द्वार नहीं खोल देंगे, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के लिए भी जो ग्रपनी पसंद के व्यक्तियों को नौकरी पर लगा लेंगे तथा बाद में उन्हें चालू रखेंगे। मैं समझता हूं कि सदन को इस बात पर अनुरोध करने का परामर्श देना ठीक नहीं होगा कि कुछ व्यक्तियों को नौकरी करते हुए काफी समय हो जाने मात्र से ही किसी न किसी काम पर लगाये रखा जाय । मुझे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। वे काम पर नियुक्त रहे है। मैं यह ग्रवश्य ग्रनुभव करता हूं कि कई लोगों के लिए विभिन्न नौकरियों का ढूंढना बहुत कठिन है । निश्चय ही हम अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें नौकरियां देने का प्रयत्न करेंगे तथा इस दिशा में हम अपना पूरा प्रयत्न कर भी रहे हैं, परन्तु ऐसा यहां स्राकर मुझे धमकियां देने, बुरा भला कहने या दबाव के ग्रौर तरीकों से नहीं हो सकेगा। किसी वैकल्पिक नौकरी के पाने का यह बुरे से तुरा तरीका है। वैकल्पिक नौकरियों के पाने का यह तरीका पहले ही प्रयोग में लाया जा रहा है। हमें इन लोगों से पूरी सहानुभूति है जो इतने समय से

नौकरी करते आ रहे हैं-चाहे वे किसी प्रकार से भी सेवायुक्त हुए हों--क्योंकि म्राखिरकार हमारी कुछ मानवीय भाव-नायें भी हैं, तथा हम यह देखना चाहते हैं कि वे बेकार न हो जायें। छंटनी के सम्बन्ध में तो मुझे यही है ।

ग्रब मैं प्रसारण के समूचे प्रश्न को लेता हूं। मैं उन सदस्यों का स्राभारी हूं जिन्होंने हमारे प्रसारण कार्यक्रम संबंधी प्रयत्नों के बारे में प्रसंशा के शब्द कहे हैं परन्तु क्या मैं यह बता दूं कार्यक्रम को केवल ग्रच्छा या बुराकह कर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है । ग्राखिरकार, कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई निर्णय तुलनात्मक ही हो सकता है। मुझे यह बात पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम विशेष को सुनकर यह कह दे कि समस्त भ्रच्छे नहीं हैं। मुझे एक माननीय मित्र के बारे में पता है जो प्राय: बोला करते थे। मैंने उनसे कार्यक्रम को सुनने के लिए कहा। उन्होंने कहा: "एक दिन मैंने इसे सुना था तथा यह कोई ग्रच्छा नहीं है।" कार्यक्रमों के बारे में निर्णय करने का तरीका यह नहीं है। यदि कोई मानतीय सदस्य कार्यक्रमे के बारे में कोई निर्णय करना चाहता है तो सबसे पहले मेरा उनसे यह कहना है कि वह कार्यक्रमों पर संतुलित दृष्टि-कोण से विचार करें। कोई रचनात्मक **ग्रालोचना करने से पहले उन्हें कु**छ समय के लिए कार्यक्रमों को चाहिए। यह नितान्त सम्भव है कि कुछेक सदस्य इन कार्यक्रमों को केवल इस लिए नहीं चाहते कि मन्त्री कोई 'क' महोदयं हैं तथा वे मन्त्री महोदय को पसन्द नहीं

# [डा० केसकर]

ग्रनुदा**नों की** मांगें

करते हैं। इसके लिए मेरा कोई उत्तर नहीं है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि में अनिश्चित तथा सामान्य प्रकार की आलोचना का उत्तर देने में ग्रसमर्थ हूं। सदस्यों का मापदण्ड विभिन्न हो सकता है। निश्चय ही जिस माननीय सदस्य ने मुझे इतना बुरा भला कहा है, उनका मापदण्ड मेरे माननीय मित्र म्राचार्य कृपलानी से ग्रथवा मेरे मित्र श्री श्यामनन्दन सहाय से विभिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति की पसंद तथा नापसंद पृथक पृथक होती है। प्रत्येक व्यक्ति क। अपना दृष्टिकोण होता है तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रसंशा की जानी स्वाभाविक ही है। यह एक मानवीय तथा स्वाभाविक बात है। इसके ग्रतिरिक्त कार्यक्रमों में मुधार एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रिक्रया है। कार्यक्रम कोई स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं हैं। कार्यक्रम तो दिन प्रति दिन रहते ही हैं। वे केवल कल कःर्यक्रम की पुनरावृत्ति ही नहीं होते हैं कार्य-कम चलते ही रहते हैं। उनमें परिवर्तन कर के उन का परीक्षरा किया जाता है यदि परिवर्तन काफी अर्च्छे सिद्ध नहीं होते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तब ग्राप नए कार्यक्रम को अपनाते हैं। ऐसा केवल इसी प्रसारण संस्था में नहीं हो रहा है। दूसरी प्रसारण संस्थाओं में भी ऐसा होता है। ग्रतएव कार्यक्रम का सुधार कोई सम्पूर्ण वस्तु नहीं है । यह एक निरन्तर चाल, बात है जो आधे दिन होती रहती है। इस बात को विचार में रखते हुए मैं माननीय सदस्यों के सामने कुछ बातों को रखता हूं।

पहली बात यह है कि बहुत से महानुभाव जो ग्रूटो ग्राकर हमारी ग्रालो-चना करते हैं--माननीय भित्र के कटु तथा

निन्दा के भाव से नहीं -- सचमुच ऐसा अनुभव करते हैं कि कार्यक्रम अच्छा नहीं है। उनमें से बहुत से सदस्य श्रनजाने में ही हमारे कार्यक्रमों की तुलना विदेशी प्रसारण संस्थाओं के कार्यक्रमों से करते है। मुझे एक बहुत अच्छे विदेशी श्रालोचक तथा प्रसारक का स्मरण है जिन्होंने भारत लौटने पर हमारे कार्यक्रमों को सुना तथा मुझ से कहा : "आप के कार्यक्रम मुझे ग्रच्छे, नहीं लगते हैं।" जब मैं ने उनसे जिरह की तथा उनसे पूछा कि उन्हों ने किस कार्यक्रम को सुना है तो कहने लगे, कि "मैं ने श्रंग्रेजी कार्यक्रम को सुना है।" स्रब हमारे कार्यक्रम का ६० प्रतिशत भाग भारा की प्रादेशिक भाषास्रों में होता है। हम ग्रंग्रेजी भाषा को कोई महत्व या ग्रिधमान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रेडियो श्रोताग्रों की ग्रधिकांश संख्या के लिए है। मेरा कहना तो यह है कि यह सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी ग्रभिव्यक्ति का एक मात्र माध्यम है जो भारतीय भाषात्रों को प्रथम स्थान देने की चेष्टा करता है तथा इसने हमारी भाषात्रों के उद्देश्य तथा हमारी संस्कृति और साहित्य को उन्नत करने में बहुत बड़ा काम किया है। अब जब हम देखते हैं कि हमारे प्रादेशिक स्टेशन हैं जो ९० प्रतिशत से भी ग्रधिक कार्यक्रमों को प्रादेशिक भाषाश्रों में प्रसारित करने की चेष्टा कर रहे हैं तो ग्रापको उस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धि भाषा में उपबन्ध योग्यता को सामने रख कर कार्य करना होगा तथा साथ ग्राप को उन सांस्कृतिक ग्रभिव्यक्तियों को विचाराधीन रखना होगा जिन्हें उस भाषा में अच्छा समझा जाता है । ग्राप मलयालय या तेलगु, बंगाली अथवा मराठी भाषा के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उसी मापदंड से

कोई निर्णय नहीं कर सकते जिससे आप को लम्बियां प्रसारण समवाद या बी० बी० सी० के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कर सकते हैं। कारण यह कि उनका संसार ही और है। वे विशेष जातियों की ग्राव-श्यकताको पूरा करते हैं तथा हम अपनी जनता की ग्रावश्यकतानुसार चलते हैं तथा हमारे कार्यक्रमों को हमारी अपनी पसन्द या नापसन्द, हमारी अपनी संस्कृति तथा साहित्य के दृष्टिकोण से ग्रच्छा या बुरा समझा जाना चाहिये। हम इनके सम्बन्ध में विदेशी प्रमाणों तथा बाहर से स्राये विचारों तथा विरोधी भावनाम्रों के म्राधार पर कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। अतएव प्रसारण के भविष्य में अभिरुचि रखने वाले मित्रों से मेरा यह कहना है कि वह इस बारे में बी० बी० सी० ग्रादि के कार्यक्रमों के आधार पर कोई निर्णय करने का प्रयत्न न करें।

उदाहरणार्थ आप नाटक या नाटकीय लेखों आदि को लें। बी० बी० सी० में यह बहुत लोकप्रिय हैं। नाटक साहित्य का एक ऐसा रूप है जो कुछेक भाषाओं में बहुत उन्नत ग्रर्थात् विकसित हो चुका है । पश्चिमी देशों में इसका अधिक विकास हो चुका है। जिस प्रकार के नाटकों को वहां प्रसारित किया जाता है, वे निश्चय ही ऐसे नहीं हैं जिन्हें यहां प्रसारित किया जा सके क्योंकि इसमें भी **आ़**पको अन्तर की बहुत सी बातें मिलेंगी। कुछेक भारतीय भाषात्रों में नाटक का यहां तक विकास हो चुका है कि वे किसी भी विदेशी भाषा के समान ऐसे कार्यक्रमों को उपस्थित कर सकती हैं। आप बंगाली, गुजराती अथवा मराठी के उदाहरण लें। कुछेक ग्रविकसित भाषायें अच्छा कार्यक्रम उपस्थित नहीं कर सकती हैं। क्या इस कारण हम हिन्दी या दूसरी भाषात्रों में 77 PSD

नाटक के कार्यक्रम का तिरस्कार कर देंगे ? मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी भद्रपुरुष द्वारा बी० बी० सी०, एन० बी० सी० या किसी और विदेशी कार्यक्रमों में रुचि रखने के कारण भारतीय भाषाओं के नाटक आदि पसन्द न होने से ही इन्हें तिरस्कृत समझा जाय।

अनुदानों की मांगें

अब सुनने की आदतों में भी ग्रन्तर होता है। आप ग्रमेरिका का उदाहरण लें। वहां के लोगों की अपनी विचित्र म्रादते हैं। मैं ने अमरीकी घरों में देखा है कि रेडियो प्रातःकाल से लेकर आधी रात तक चलता है तथा चाहे कोई व्यक्ति इसे सुने या न सुने, यह पार्श्व संगीत का काम देता है। यह बजता भी काफी ऊंचे स्वर में रहता है। बालक पढ़ते हैं, लोग घरों में काम करते हैं। परन्तु वे इसे बेचैनी का सामान नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कुछ भारतीय घरों में अमेरिका की नकल की गई हो, परन्तु मैं समझता हूं कि भारतीय लोग ग्रपने घरों में ऐसी कोई वस्तु पसंद नहीं करेंगे जो छः बजे प्रातः से ग्रर्थ रात्रि तक बोलती ही रहे। इसका कारण यह कि वह ऐसी अवस्था में शान्तिपूर्वक काम नहीं कर सकेंगे। में अमेरिकनों को दोष नहीं दे रहा हूं अथवा उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। उनकी अपनी आदत है। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि रेडियो कार्यक्रम सारा दिन चलता रहना चाहिये। अब कार्यक्रम चौबीस घंटों के प्रत्येक मिनट में इतना अच्छा नहीं हो सकता। ग्रतएव स्वाभावतः रेडियो में सारा दिन किसी न किसी प्रकार का कमबद्ध शोर होता रहता है। वे लोग इसे पसन्द करते हैं। वे इसे घर पर काम कूरने के लिए आवश्यक समझते हैं। वे ऐसा कर भी सकते हैं। [डा० केसकर]

उनकी इच्छा है, वे ऐसा कर लें।
परन्तु कोई व्यक्ति मुझसे यह नहीं चाहता
कि में भी भारत में केवल इस लिए ऐसा
करूं क्योंकि अमेरिका या किसी और देश
में ऐसा किया जाता है। मेरी यह भावना
है कि मैं इस सुझाव को इस कारण स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे विचार से
हम अपने स्वभाव, मन तथा मनोविज्ञान
के विचार से दिन भर कानों में शोर का
सुनना पसद नहीं करेंगे।

दूसरे देशों की सुनने की आदतों भी ग्रौर प्रकार की हैं। यहां के लोग रूस का उद्धरण बड़े चाव से करते हैं। मैं इतना कहूंगा कि उन की सुनने की आदतों बहुत अच्छी हैं तथा उन्हों ने जो सदैव रूस के प्रशंसक रहते हैं हमारे मित्रों की अपेक्षा हमारे प्रयत्नों की बहुत अधिक सराहना की है।

श्री निम्बयार : सारी चर्चा में रूस का प्रश्न नहीं उठा है।

डा० केसकर: इस चर्चा में तो नहीं, परन्तु आप प्रायः उस देश को नमूने के रूप में पेश करते हैं । कुछ लोग दुर्भाग्यवश प्राय: रूस के नहीं बल्कि अमेरिका के श्रालोचक हैं। वह हमारी बी० बी० सी० तथा एन० बी० सी० से तुलना करते हैं श्रौर इसी विचार से हमारे सामने सुझाव रखते हैंहैं। आप हमारी तुलना मराठी, गुजराती, बंगाली, हिन्दी तथा दूसरी भाषात्रों से करें और उनके साहित्य तथा प्रमाणों से करें । हम उन्हें रेडियो के स्वभाव वाला बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें रेडियों पर प्रसारित करते हैं, इन भाषाओं में अभिव्यक्ति के नये रूप देते हैं तथा यह ्रुऐसी बात नहीं है जिसे एक दिन में किया जा सकता है। इसमें

समय लगेगा तथा जैसा कि मैंने कहा हैं कि विभिन्न भाषाश्रों का विकास-स्तर भी विभिन्न है। जहां तक किसी भाषा विशेष के कार्य-कम का सम्बन्ध है, तो आपको उस भाषा के कार्य-कम को सुनने वाले से ही यह राय लेनी होगी कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। अन्त में, मैं इतना ही कहूंगा कि रेडियो कार्य-कमों का स्तर केवल वही हो सकता है या उससे थोड़ा ऊंचा हो सकता है जो देश में किसी भाषा विशेष के सम्बन्ध में प्रचलित सामान्य सांस्कृतिक स्तर हो!

यहां कई सदस्यों ने रेडियो सीलोन, रेडियो पाकिस्तान आदि की बहुत प्रशंसा की। चूं कि मुझ से बहुत से लोगों ने तारीक की थी, इसलिये में भी यह देखना चाहता था कि रेडियो सीलोन कैसा कार्य-क्रम देता है और शायद हमें भी अपने कार्य-क्रमों को अच्छा बनाने में उस से कुछ सहायता मिल जाय । तो में ने रेडियो सीलोन और रेडियो पाकिस्तान आदि को सुना । मेरे पास यहां इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कई कार्य-क्रम हैं परन्तु मैं उन में से एक कार्य-क्रम आपको पढ़कर सुनाता हूं जिस से आप अनुमान लगा सकेंगे कि उन के यहां से किस प्रकार का प्रसारण होता है । यह कार्य-क्रम इस प्रकार है।

"कुरान शरीफ़ से उद्धरण, अंग्रेज़ी में समाचार, उर्दू में समाचार, कुरान शरीफ़ से उपदेशक धार्मिक कवितायें, शास्त्रीय संगीत, उर्दू के गाने, गीत, खेल-कूद, कवितायें, शास्त्रीय संगीत, काश्मीरी संगीत, वाद्य संगीत, बच्चों का कार्य-क्रम, शौकिया गाने वालों के लिये कार्य-क्रम, पंजाबी था गुजराती गायन, सुनने वालों का

८ अप्रैल १९५४

अनुरोध, अंग्रेज़ी में समाचार, उर्दू में समाचार, संगीत, समाप्त।"

में ने आप के सामने एक कार्य-क्रम रखा है जिस से आप को पता चल सकता है कि उन के यहां से किस प्रकार के कार्य-क्रमों को प्रसारित किया जाता है। में इन कार्य-क्रमों की बुराई करना नहीं चाहता; मैं ने इन को सुना है । यद्यपि यह कार्य-क्रम अच्छे हैं और रोचक हैं परन्तु उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिन से यह कहा जा सके कि यह बहुत श्रेष्ठ कार्य-क्रम हैं; न ही यह कहा जा सकता है कि वहां से अधिक प्रकार के कार्य-क्रम प्रसारित होते हैं । वास्तव में ग्रन्थ प्रसारग-संगठतों की तुलना में हमारे यहां के कार्य-क्रमों में ही का.ठी विविधता है।

जहां तक रेडियो सीलोन का प्रश्न है वहां से िल्मी गाने और शास्त्रीय तथा लोक संगीत प्रसारित किया जाता है परन्तु इसके बीच बीच में वे बहुत से विज्ञापन देते हैं । यह ीक है कि बहुत से लोगों को विभिन्न वस्तुओं जैसे डी० डी० टी० पाउडर आदि के विज्ञापनों में रुचि होती है, परन्तु जहां तक कार्य-क्रम का सम्बन्य है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस से कहा जा सके कि वे हमारे कार्य-क्रमों से अच्छे हैं और उन में हमारे यहां से अधिक विविधता है।

यह सम्भव है कि बहुत से लोगों को रेडियो के द्वारा विज्ञापन किया जाना **ग्र**च्छा लगता हो। यहां भी एक विशेष व्यापारी-वर्ग ने तथा कुछ विज्ञापकों ने यह प्रयत्न किया था कि इस देश में वाणिज्यिक प्रसारण आरम्भ किया जाये । इस विषय में मैं आप से केवल दो शब्द कहुंगा । इस बात के अलावा कि

वाणिज्यिक प्रसारए। हमारे प्रसारए।स्त, को नीचा ही नहीं कर देगा बल्कि इसको एक तमाशा बना देगा क्योंकि इसको विज्ञापनों को सुनने के लिये ग्रधिक से अधिक संख्या में लोगों को आकर्षित क्रूंना पड़ता है, मेरे मानतीय मित्र इस बात को भूलते हैं कि हमारे देश में विभिन्न समाचार-पत्रों ग्रादि में विज्ञापन से जितनी आय होती है उसका ८० प्रतिशत भाग अनरीकी, ब्रिटिश व ग्रन्य विदेशी स्रोतों से ही प्राप्त होता है। यदि आज रेडियो अपनी आय का अधिकतर भाग विदेशी स्रोतों से प्राप्त लगे तो इस में सन्देह नहीं कि एक या दो वर्ष के ग्रन्दर उसे उनकी हरेक बात माननी होगी, कि किस प्रकार का कार्य-क्रम हो, किस समय वह प्रसारित हो, आदि, म्रादि। क्योंकि जो व्यक्ति पैसा देगा उसकी बात श्राप को माननी हो होगी

में यह कहने का साहस करूंगा कि इस प्रकार की ग्रालोचना अर्थहीन ही नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ स्वार्थी पक्षों का हो हाथ है। वाणिज्यिक प्रसारण पर मैं कुछ ग्रौर बोलना नहीं चाहता ।

ग्रब मैं फ़िल्मी गानों के प्रश्न को लेता हूं जिसमें बहुत से मित्रों को रुचि है ग्रौर जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य यहां बोले हैं। सब से पहले तो मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हालांकि कुछ स्वार्थी पक्षों ने बहुत कुछ प्रचार कर रखा है परन्तु हमने कभी यह नहीं कह। कि हम किसी विशेष प्रकार के संगीत पर या यों कहिए कि फ़िल्मी संगीत पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। हमने हमेशा यह कहा है कि हम जनता के सामने ग्रधिक से ग्रधिक प्रकार के कार्य-क्रम प्रस्तुत करने का प्रयत्वा करेंगे। फ़िल्मी संगीत के बारे में जो विदाद चल रहा है उसका इतिहास कुछ रोचक है

## [डा० के**सक**र]

३०५९

श्रौर उसका संक्षेप में मैं श्रापके सामने जिक करूंगा। जब मैंने कार्य-भार संभाला तो हमने रेडियो द्वारा प्रसारित फ़िल्मी संगीत में कुछ कमो करने का प्रयत्न किया क्योंकि कुछ, केन्द्रों पर संगीत का पचास प्रतिशत समय इन फ़िल्मी गानों को दिया जाता था; इसके ग्रलावा इनमें कुछ गाने इतने गन्दे होते थे कि हमने इनका प्रसारित किया जाना उचित नहीं समझा। बहुत से निर्भातात्रों ने हमारी इस नीति पर दो कारणों से ग्रापत्ति उठाई। एक तो उनका कहना था कि ग्रापकी यह बात गलत है कि हमारे गाने गन्दे हैं; हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राप अपने शब्द वापस लीजिए ग्रौर यह कहिए कि हमारे गाने अच्छे हैं। दूसरे वह कहने मिंगे कि हमें ग्रापकी नीति पर ग्रापत्ति है। क्योंकि ग्राप हमारी फिल्मों ग्रौर हमारे निर्मााओं का पर्याप्त प्रचार नहीं करते ; जब तक ग्राप ऐसा नहीं करेंगे हम ग्रापके साथ फ़िल्मी गानों के बारे में कोई समझौते करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कि हम सारे फ़िल्मी गानों को अच्छा नहों समझ सकते ; हम अपनी राय से काम लेंगे और उन्हीं गानों का प्रसारण करेंगे जिन्हें हम अच्छा समझते हैं। हमने उनसे कहा कि रेडियो को फ़िल्म उपयोग के प्रचार तथा विज्ञापन का साथन बनाना भी संभव नहीं है। हम किल्मों के या किल्मी गानों के खिलाफ नहीं है; यदि लोग उन्हें सुनना चाहते हैं तो वे सुन सकते हैं ग्रीर हम कार्य-कम में त्रिव ∤ता लाने के लिए उन्हें कुछ सी∤ा तक फ़िल्मी संगीत दे सकते हैं; परन्तु हम इन गानों का चुनाव करेंगे और उनका किसी निश्चित सीमा तक ही प्रसारण करेंगे। हम रेडियो स्टेशनों को सवेरे से शाम तक फ़िल्मी, म्हाने ही प्रसारित नहीं करने देंगे। यह बात उन्हें पसन्द नहीं स्राई और

उन्होंने कहा कि हम ग्रपना समझौता या ठेका खत्म कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि यह ग्रापकी इच्छा है; में ग्रापकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए अधिकांश निर्माताओं ने ग्राल इंडिया रेडियो से ग्रपने समझौते खत्म कर दिये । थोड़े से निर्माताओं का हम से ग्रब भी समझौता है ग्रौर उनके चुने हुए गाने हम अब भी प्रसारित करते हैं। हमारा रवैया वही चला आ रहा है। हमें फ़िल्मी संगीत से कोई शिकायत नहीं है। फ़िल्मी निर्माता या उनका समर्थन करते वाले मेरे माननीय मित्र भले ही मुझे गालियां दें, परन्तु मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसा मैंने कहा फ़िल्मी संगीत से मुझे कोई शिकायत नहीं। यदि फ़िल्मी गाने अच्छे होंगे तो हम उन्हें प्रसारित करने के लिए तैयार हैं, हमें इसमें कोई स्रापत्ति नहीं है। परन्तु ग्राप हम पर यह दबाव नहीं डाल सकते कि क़ाफ़ी ऋधिक संस्या में फ़िल्मी गाने प्रसारित किये जायें और फिल्मों का विशेष प्रकार से प्रचार किया जाए । हम उनकी यह बात नहीं मान सकते ग्रौर इसल्एि हमें बड़े खेद के साथ उनके समझौते खत्म करने पड़े या यों कहिए कि उन्होंने खत्म कर दिये।

ऋनुदानों की मांगें

जब से ये समझौते खत्म हुए हैं, स्वार्थी पक्षों द्वारा रुपये-पैसे वालों की सहायता से सारे समाचार-पत्रों में और अन्यत्र भी यह प्रचार किया गया......

अः चार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): कुछ कांग्रेसी भी शामिल थे।

डा०केसकर: जी हां। कुछ कांग्रेसी भी थे। तो इनके द्वारा यह प्रचार किया गया कि रेडियो बिल्कुल बेकार हो गया है। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं परन्तु उन सब का मतलब यही था कि रेडियों से फ़िल्मी ८ अप्रैल १**९**५४

गाने नहीं सुनाये जाते । मैंने इस बात को जानने की कोशिश की है कि फ़िल्नी गानों की मांग क्यों की जाती है। यह तो स्वाभाविक है कि फ़िल्म देखने वाले लोगों को यदि फ़िल्म पसन्द आती है तो उसके गाने सुनना चाहते हैं । परन्तु हमारे विश्लेषण ग्रौर हमारी जांच-पड़ताल के अनुसार हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फ़िल्मी गाने बच्वों ग्रौर १५ से १८ वर्ष की ग्रायु वालों को ही ज्यादा पसन्द आते हैं, जो किसी बात को ठीक तरह से समझते नहीं हैं और बिना सोचे-समझे किसी चीज की ओर ग्राकर्षित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार में बड़े लोग इस फ़िल्मी संगीत से घृणा करते हैं परन्तु बच्चे हमेशा इसे सुनने का अ। ग्रह करते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उसका बहुत से लोग समर्थन करेंगे। यही लोग फ़िल्मी संगीत ज्यादा मांगते हैं। फ़िल्मी संगीत चाहते वाले लोग भी हैं; संसार में सब प्रकार के लोग रहते हैं ; कोई कुछ पसन्द करते हैं ग्रौर कोई कुछ। किसी को फ़िल्मी गा । प्रच्छे लगते हैं और किसी को नौटंकी और तमाशे। सब तरह की पसन्द वाले लोग होते हैं। हम अपने कार्य-क्रमों में ग्रिधिक से ग्रिधिक विविधता लाने का प्रयत्न करते हैं भ्रौर प्रसारण-संगठनों की नीति भी यही होनी चाहिए, परन्तु रेडियो के लिए एक निश्चित स्तर से नीचे जाना संभव नहीं। साथ ही रेडियो के लिए यह भी संभव नहीं कि वह वही चीजें प्रसारित करता जाए जिससे लोगों का मनोरंजन हो। मैं समझता हूं कि रेडियो मनोरंजन का ही नहीं है, वह शिक्षा और संस्कृति का भी माध्यम है और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में जहां लोग पिछड़े हुए हैं, जहां हमें उनकी उठाने के लिए काम करना है, वहाँ इस महत्वपूर्ण

माघ्यम को हमें शिक्षा और संस्कृति की उन्नति के लिए उपयोग में लाना है। हम इस प्रकार के मनोरंजन के लिए रेडियो का दुरुपयोग कभी नहीं होने दे सकते।

ग्रब में कतिपय उन बातों की ग्रोर निर्देश करना चाहता हूं जो मनिनीय सदस्यों ने उठाई है। सरदार हुनम सिंह बहुत सी बातों के बारे में मुझ से ऋुद्ध थे। परन्तु सर्वप्रथम वे शास्त्रीय संगीत को पसन्द नहीं करते हैं। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि उन्हें इसे पसन्द न करने का भ्रधिकार नहीं क्योंकि वे इसे नहीं समझते ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): मैं ने यह नहीं कहा कि मैं शास्त्रीय संगीत को पसन्द नहीं करता।

डा० केसकर: मैं ने यह कहा है कि वे इसे नहीं समझते। वे इसे नापसन्द नहीं करते परन्तु वे इसे नहीं समझते, ग्रौर लोग इसकी सराहना नहीं करते। इस प्रकार मैं ग्रपनी गलती सुधार लेता हूं। मैं पूर्णतः अनुभव करता हूं--हम भी यह म्रनुभव करते हैं--- िक लोगों की बड़ी संख्या का, विशेषतः उत्तर भ∤रत में शास्त्रीय परम्परा से सम्बंध नहीं रहा है। (अन्तर्बोधाएं)

सरदार हुक्म सिंह : उत्तर भारतीय भी कर देते हैं। उन्हें भी वह सुनने का ग्रिधकार है जिसे वे पसन्द करते हैं।

डा० केसकर : मैं उन का ध्यान इस तथ्य की स्रोर दिला रहा था कि उत्तर के विशेष केन्द्र जालंधर ग्रौर दिल्ली में विशेषतः जालंधर में हल्के संगीत की ग्रधिक मात्रा होती है, चाहे वह लोक संगीत हो ग्रथवा अन्य प्रकार का ैसेंगीत हो—−त्रह हल्का संगीत होता है जिसे लोग पसन्द डि किसकरो

करते हैं मैं यह थोपना नहीं चाहता... (अन्बाधाएं) उन्होंने जो कुछ कहा है में उसके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि जहां प्रतिष्ठापित परम्परा से लोग परिचित नहीं हैं और जहां शाल्त्रीय संगीत स्रथवा परम्परागत संगीत की अधिक मात्रा लोग पसन्द नहीं करते उन के लिए यह संगीत ऋधिक न हो। मेरा यह भी निवेदन है कि शास्त्रीय संगीत ग्रथवा वह संगीत जो ग्रज्ञात काल से चला ग्राता है-ग्रीर यह देश की अति भव्य परम्पराओं में से एक है-- जहां यह संगीत समझा नहीं जाता वहां लोगों को शनै: शनै: यह संगीत सुना कर हमें लोगों को इसे समझाना चाहिये ताकि वे इसे जानने लगें। मेरा विचार है कि उन्हें इस से कोई आपत्ति नहीं 🕻

सरदार हुक्म सिंह: तो धीरे धीरे ही ऐता कीजिये।

डा० केसकर: इस पर मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं। में कहना चाहता हूं कि जहां तक शास्त्रीय संगीत का सम्बंध है हम शास्त्रीय संगीत की मात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जब कि लोगों में यह भावना पैदा की जा रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं। उदाहरणतः शास्त्रीय **ग्रौर अशास्त्रीय संगीत की मात्रा में बहुत** कम अन्तर है--यह ५ प्रतिशत इधर या उधर हो सकता है परन्तु क्योंकि सिनेमा संगीत नहीं था इसलिये ऐसा हुआ कि छः मास के लिए शास्त्रीय संगीत की मात्रा अधिक रही और जिसका फिर ब्रनुपात सामान्य रखा गया है। हन शास्त्रीय संगीत लोगों पर थोपना नहीं चाहते, हम लोगों को लोक संगीक लोक गीत अमैर संगीत के भ्रौर उचित रूप देंगे जिन्हें वे सुगमता से

समझ सकोंगे भ्रौर शास्त्रीय संगीत का अनुपात--सिवाए उन प्रान्तों के जहां जनता उसे पसन्द करती है ग्रीर उस की मांग करती है, जैसा कि दक्षिण में जहां की परम्परा ऐसी है कि वहां के भजन, भवित के गीत और संगीतीय अभिव्यक्ति में शास्त्रीय परम्परा और शास्त्रीय ध्वनि है—नहीं बढ़ाई जायेगी। मेरे लिए उन क्षेत्रों के लोगों से यह कहना उचित नहीं है कि आप शास्त्रीय परम्परा को नहीं समझ सकते इस लिए आप को ग्रौर प्रकार के गाने चाहियें। परन्तु हम विभिन्न प्रदेशों के मामलों को पृथक पृथक लेंगे और में उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस का अनुपात बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया जाये गा। वरन् हम शास्त्रीय संगीत के अनुपात को घटाने का प्रयास करेंगे और लोकप्रिय संगीत देंगे । इसलिए वे विश्वास रखें कि उन्हें उनकी पसन्द के अधिक अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे।

हम लंका और गोआ ग्रीर अन्य रेडियो की चर्चा कर रहे थे ग्रौर बहुत से सदस्यों ने कहा है कि लोग लंका रेडियो सुनते हैं। मैं ने लंका रेडियो के सुने जाने के बारे में, न केवल अपने संसाधनों से वरन् उन संसाधनों से अन्वेषण किया है जो लंका रेडियो को सामग्री देते हैं, ग्रौर उन मित्रों से, जो इस के पक्षपात हैं, इस बात में सहमत नहीं कि इस का सुना जाना लोक प्रिय हो रहा है। इस की लोक प्रियता घट रही है। अत: हम इतना ग्रधिक शोर क्यों सुनते हैं कि लंका रेडियो लोकप्रिय है ? इसके पीछे विज्ञापकों के हित हैं जो यह विरूपात करना चाहते हैं कि लंका रेडियो लोकप्रिय है क्योंकि ग्रन्यथा विज्ञापक लंका रेडियो को अपने विज्ञापन नहीं देंगे। इस के

लिए यह बात फैलाने की ग्रावश्यकता है कि वह रेडियो बहुत लोकप्रिय है। मैं स्वयं कभी कभी लंका रेडियो सुनता हूं, ताकि मैं जान सकूं कि वे क्या कर रहे हैं। लोग मास्को अथवा बी० बी० सी रेडियो भी सुनते हैं। क्या इस का यह स्रभिप्राय है कि लोगों पर यह प्रतिबंध लगाया जाए कि वे लंका, मास्को, ग्रथवा न्यूयार्कया ग्रन्य किसी रेडियो को न सुनें। मैं यह पसन्द करता हूं कि लोग विभिन्न रेडियो की पारस्परिक तुलना करें। हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिये। और मैं इसके विरुद्ध नहीं । यदि लोग लंका रेडियो को पसन्द करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वे लंका रेडियो सुनने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र हैं । परन्तु लंका रेडियो के विस्तृत प्रभाव की बात जो फैलाई जा रही है वह एक चाल है और विज्ञापन प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या इन रेडियो को सुनने वालों की संख्या कम हुई है।

डा० केसकर : मैं इस से सहमत हूं कि जब सिनेमा के गीतों को पसन्द करने वाले लोगों को वे गीत नहीं मिलते तो वे दूसरे रेडियो सुनते हैं । यदि मेरे माननीय मित्र पाकिस्तान रेडियो ग्रथवा लंका रेडियो या पड़ोसी देशों के ग्रन्य रेडियों को ध्यानपूर्वक सुनें तो उन्हें पता लगेगा कि वे हमारी नीति ग्रपना रहे हैं और वे हम से यह सबक सीख रहे हैं । वस्तुतः पाकिस्तान रेडियों के सम्बन्ध में मैं ने पाकिस्तान के समाचारपत्रों में पढ़ा है, वहां गीतों के बारे में बहुत ग्रालोचना है जिस में कहा गया है कि कार्यक्रम के लिए भारत से गीत क्यों नहीं लिए जाते।

मेरा अभिप्राय है कि इस प्रकार के पत्र सदा छपते हैं। यदि झुकाव देखने का प्रयास करें तो आप को पता लगेगा कि ग्रन्य देश यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वह उसकी सराहना करते हैं। यहां मैं यह कह दूं कि जब लंका प्रसारण आयोग इस देश में ग्राया था तो उन्होंने हमारे कार्यक्रम और उसकी विविधता की सराहना की थी, और मुझे विश्वास है कि हमारे बीच सहकारिता के फलस्वरूप कार्यक्रमों का, सिनेमा के गीतों का नहीं परन्तु ग्रन्य चीजों का ग्रच्छा विनिमय हो सकेगा।

श्री जोकीम आत्वा : वित्त मंत्रालय से क्यों नहीं कहा जाता कि लंका रेडियो को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में भारतीय व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाया जाये।

डा॰ कंसकर : यह प्रश्न वित्त मंत्रा-लय को भेजा गया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

स्रवा हूं कि इस समय जारी अनुज्ञित्यों की संख्या आठ लाख तक पहुंच गई है और वह शनैः शनैः बढ़ रही है। परन्तु देश में और अनुज्ञित्यों के प्रश्न का सम्बन्ध सस्ते रेडियो सेटों से है, जिस की हम व्यवस्था नहीं कर सकते। मेरे माननीय मित्र श्री दामोदर मेनन ने इस बात की ओर निर्देश किया था और मैं उन से सर्वथा सहमत हूं। परन्तु जब तक हम मीडियम वेव का जाल देश भर में न फैला दें तब तक न तो हम ही और ब निर्माता ही लोगों को सस्ते रेडियो सेटों के प्रश्न में कई बातें सिन्हित हैं और मैं उनके

[डा० केसकर]

सम्बन्ध में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे
पास समय कम है। परन्तु हम प्रयत्न कर
रहे हैं कि निर्माताओं के पास कहने के
लिए यह बहाना न रहे कि हमारे केन्द्र
ग्रथवा ट्रान्सिमटर ऐसे हैं कि हमें बहुत
जटिल सेट बनाने पड़ते हैं ताकि लोग
ग्रच्छी प्रकार सुन सकें। ग्रगले दो वर्षों
में ग्राप देखेंगे कि हमारे पास इतनी
मीडियम वेव चेनल होंगी जो देश के
दो तिहाई भाग में फैल जायेंगी।

श्री मेघनाद साहा: इस देश में ५०० में से एक व्यक्ति सुनने वाला है जब कि पश्चिमी देशों में पांच छ: में से एक । इतने सुधार की ग्रावश्यकता है। (अन्तर्बा-धाएं)

डा० केसकर: यदि माननीय सदस्य सुनें तो मैं उनकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं । वे सुनने वालों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, परन्तु मैं कह रहा हूं कि इस देश में ग्राय स्तर ग्रौर जीवन स्तर ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति ३०० या ग्रधिक रुपये का रेडियो सेट नहीं खरीद सकता। मध्य वर्ग के परिवार भी जो सबसे ऋधिक श्रनुर्ितधारी हैं, इतना ऊंचा मूल्य नहीं दे सकते और जब तक मूल्य कम होकर १५० रुपया ग्रथवा उससे भी कम अर्थात् १०० रुपये प्रति सेट नहीं हो जाता, हमारे लिए सुनने वालों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है । मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहता हूं कि हम सस्ते सेटों के निर्माण के प्रश्न की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं और यदि उद्योग ने इस दिशा में क्रूछ न किया तो ऐसा समय आयेगा जब कि सरकार को यह काम ग्रपने हाथ में लेकर सस्ते सेटों का निर्माण कराना होगा ।

श्री दामोदर मेनन तथा ग्रन्य सदस्यों ने जो बात उठाई थी ग्रब मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा उन्होंने कहा कि हम ने इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं किया कि फिल्म डिविजन में गैर सरकारी उद्योगों से म्रिधिकाथिक सहायता पा<mark>ति की</mark> जाय। मुझे नहीं मालूम कि श्री मेनन ने इस बात को पूर्व तथ्यों को उठाने से का प्रयत्न किया है या नहीं। हमारे कृछ उत्पादन के एक तिहाई भाग का उत्पादन गैर सरकारी उद्योग द्वारा किया जाता है हम उनसे प्रलेखीय चल चित्र तैयार करवाते हैं । कभी कभी बड़ी कठिनाई से हम इन प्रलेखीय चल चित्रों को तय्यार करवा पाते हैं भ्रौर हमें इनके उत्पादन लिये निर्मातात्रों से कहना पड़ता है। हम निर्माताग्रों को प्रलेखीय चल चित्रों के लियें अधिक समय देने के लिये नहीं कह सकते हैं क्योंकि इससे उन्हें लाभ नहीं होता है प्रलेखीय चल चित्र वर्णनात्मक स्वरूप होते हैं और अधिक रुचिकर नहीं होते और अन्य चल चित्रों के समान उनसे उतना आर्थिक लाभ भी नहीं होता है। निर्माताओं केसामनेतो लाभ काही प्रश्न होता है इसलिये हम उनसे इस प्रश्न के विषय में ग्रधिक नहीं कह सकते। इसी कारण-वश हम उनसे प्रलेखीय चल चित्र तैयार करने के मामले में हमारा सहयोग देने के लिये राजी नहीं कर पायें हैं। यदि निर्माता इसके लिये उद्यत हों तो मैं निश्चय ही इसका स्वागत करूंगा। प्रलेखीय चल चित्रों का तैयार करना एक टेक्निकल विषय हैं जो कि रूपकचित्र तथा सामान्य फ़िल्मों से बहुत भिन्न होते हैं जिनमें पट दृश्यों या कल्पित कथा की ग्रपेक्षा वास्तविक दृश्यों की ग्रधिकता होती है। जो व्यक्ति एक विशेष कार्य में अधिक निपुण होते हैं वे उसे विशेषता से दूर नहीं

हट सकते ग्रौर यह भी एक कारण है कि वे प्रलेखिय चल चित्रों का उत्पादन नहीं कर सके हैं। मै अपने माननीय मित्रों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उद्योग द्वारा सहयोग दिये जाने की बात का स्वागत करता हूं और यदि वे इसके लिये उद्यत हों तो हम उन्हें ग्रधिकाधिक फिल्म देंगे। माननीय सदस्य ने कालीकट का प्रश्न उठाया। मैं उन्हें यह बता दूं कि मलयालम के मामले में हम गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं यह प्रक्त केवल कालोकट के रेडियो स्टेशन की प्रसारण शक्ति को ही बढ़ाने का नहीं है अपितु इसका सम्बन्ध तो पूरे मलयल्म भाषाभाषी क्षेत्र के लिये रेडियो कार्यक्रम की पर्याप्त व्यवस्था से भी है । पंच वर्षीय योजना को जिनमें ट्रांसमिटर्स लगाये जाने की बहुत सी योजनायें हैं, और अधिक बढ़ा दिया गया है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हम जालंधर, कलकत्ता में ट्रांसिमटर लगा रहे हैं। कालीकट में एक बड़ा शक्तिशाली शार्ट वेव ट्रांसमिटर है ग्रौर हम बंगलोर में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसिमटर लगायेंगे ग्रौर मद्रास ग्रौर हैदरा-बाद में एक २० किलोवाट का ट्रांसमिटर, लगायेंगे। इनके अतिरिक्त हम पटना तथा मलयालम प्रदेश में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटर लगायेंगे । इन्हें पहले ही मंजूर कर लिया गया है इसलिये क्षेत्र के लिये भी पर्याप्त कार्यक्रम की व्यवस्था शीघ्र ही की जायेगी।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल-पश्चिम कटक) : कटक के बारे में क्या बात है ?

डा० केसकर: कटक में १० किलो-वाट का मीडियम वेव ट्रांसमिटर है भ्रौर वहां हम एक उच्च शक्ति वाला शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगायेंगे । माननीय सदस्यों ने मुझ पर जो आरोप लगा कर जो निराधार धारणायें बनाई हैं मैं ने उन्हें दूर करने का

प्रयत्न किया है। मैं तो तथ्य ही बताऊंगा श्रीर सदन को उनपर विचार करना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में संगीत तथा संगीतज्ञों के बारे में बहुत कुछ कहा स्रौर इस सम्बन्ध में भी क्रीलाय्धन को यह बता दूं कि इस संगठन में बहुत ग्रिधिक स्वार्थी लोग बुस आये थे। गत पांच वर्षी में इसमें वे काफी जम गये थे ग्रौर यह संगठन ऐसा है कि इसमें कलाकारों की बहुत धन देना पड़ता है। जो स्वार्थी लोग इस संगठन में घुस गये थे उनको निस्सन्देह इस नीति से हानि हुई होगी यद्यपि गुणावगुणों के आधार पर ही उन्हें हटाना पड़ता है । माननीय सदस्य इन स्वार्थी तथा प्रतिक्रियावादी लोगों की स्रोर से बोल रहे थे। मैं सदन को यह बता दूं कि मैं प्रतिकियावादी या स्वार्थी लोगों की ओर से इस प्रकार की किसी भी मांगों को स्वीकार करने के लिये तय्यार नहीं हूं। और यदि वह यह समझते हों कि डराने धमकाने या गन्दी बातें कहने से वह हमें हमारे पथ से विचलित कर सकेंगे तो यह उनकी भूल है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब में मुखबन्ध का प्रयोग करूंगा और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें ५९, ६० तथा १२७-मतदान के लिये प्रस्तुत∴ की गईं तथा स्वीकृत हुईं।

\*अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : ग्रब सदन परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों के लिये मांग संख्या ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १३५, १३६ तथा १३७ पर विचार करेगा।

१९५४-५५ के लिये अनुदानों की यह मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्र्स्तुत की :

<sup>\*</sup>राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत ।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
९६	परिवहन मंत्रालय	३६,७१,००० रुपये
90	पत्तन तथा पोतमार्ग प्रदर्शन	५७,१९,००० रुपये
.96	प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पो <b>त</b>	७३,२३,००० रुपपे
९९	। केन्द्रीय सड़क निधि	४,२३,९८,००० रुपये
700	यातायात (राष्ट्रीय राज पथों समेत)	४,४८,११,००० रुपये
:१०१	परिवहन मंत्रालय के ग्रधीन विविध व्यय	६,०२,००० रुपये
१३५	पत्तनों पर पूंजी व्यय	४,४०,०२,००० हपये
१३६	सड़कों पर पूंजी व्यय	१२,५६.५७,००० रुपये
१३७	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	८४,७९,००० रुपये

# निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती ग्राधार	कटौती राशि
९६	श्री साधन चन्द्र गुप्त	सरकारी डाक्टरों द्वारा नाविकों की डाक्टरी जांच	१०० रुपये
१६	श्री नम्बियार	राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण पर पर्याप्त घ्यान न देना	१०० रुपये
९६	श्री नम्बियार	दिल्ली परिवहन सेवा कर्मचारियों की अत्यार्थक मांगें	१०० रुपये
<b>९</b> ६	श्री नम्बियार	दिल्ली में दिल्ली परिवहन सेवा कर्म- चारियों के लिये क्वार्टर बनाने की अविलम्ब ग्रावश्यकता	१०० रुखे
<b>९</b> ६	श्री एन० बी० चौधरी	नाविकों का कल्याण	१०० रुपये
.6 €	सरदार <b>हु</b> क्म सिंह	राज्यों में परिवहन सेवाग्रों के प्रबन्ध के लिये एक समान नीति निर्धारित करने में असफलता	१०० रुपये

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
<b>९</b> ६	श्री एन० श्रीकान्त <b>न</b> नायर	ग्रत्लेपी, क्विलन तथा त्रिवेन्द्रम के छोटे पत्तनों के विकास की ग्रावश्यकता	१०० रुपये
९६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश में सर्वंत्र तथा विशेषकर कर्नाटक में राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल	१०० रुपये
30	श्री नम्बियार	मद्रास राज्य में टूटीकोरिन प् <sub>रा</sub> न का विकास	१०० रुपये
90	श्री एन० बी० चौधरी	कलकत्ता पतन के उचित विकास कार्यं को आरम्भ करने में असफलता	१०० रुपये
·\$ <i>\</i> 9	श्री शिवमूर्ति स्वामी	उत्तरी तथा दक्षिणी कन्नड़ के प्रवीतों का विकास	१०० रुपये
90	श्री शिवमूर्ति स्वामी	करवाड़ तथा भत्कल के प्राकृतिक पत्तनों के विकास की उपेक्षा	१०० रुपये
<b>९</b> ८	श्री ए० के० गोपालन	समुद्र तटीय क्षेत्रों में देशी नावों की पर्याप्त रक्षा तथा सहायता न कर सकना	१०० रुगये
१००	श्री पी० सुब्बा राव	साबरी नदी पर पुल की व्यवस्था न कर सकना	१०० ह

श्री निम्बयार : श्रीमान्, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं परिवहन मंत्रालय के सब पहलुओं पर बोल नहीं सकता । मैं सड़क परिवहन की और विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं । सड़क परिवहन की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया गया है । वास्तव में सड़क परिवहन के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा है। सरकारी क्षेत्र में भी समानरूप प्रिक्तिया नहीं चलायी जाती है। नगरों तथा देहातों में यात्रियों से बहुत ऊंचे दर का किराया लिया जाता है। दिल्ली परि-वहन सेवा का भी यही हाल है और मद्रास में भी स्थिति ऐसी ही है । मद्रास में हाल ही में ट्रामें चलनी बन्द हो गईं जब कि सरकार ने कुछ और बसें चलानी <del>ग्रारम्भ की । परन्तु स्थिति सुधर नहीं</del> गई है। लोगों को कई घन्टों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। जहां कहीं भी सरकार का हाथ पड़ा है स्थिति यही है। देहातों में भी दरें बहुत ऊंची हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र भी ग्रपना ही ढंग चलाता है । ग्रब समय आ गया है कि सरकार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में सड़क परिवहन की यात्रियों के किराये तथा भाड़े की दरें विनियित्रित, करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करे ।

परिवहन कर्मकरों की स्थिति सुधारने की ओर भी सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया है । मोटर गाड़ी ऋधिनियम, १९३९ ग्रभी विधि-पुस्तक में है और इस में कोई संशोधन नहीं हुम्रा है, सरकार अपनी रिपोर्ट में कहती है कि वह इस का संशोधन करने पर विचार कर रही है। फिर यह संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक कर्मकर, ग्रर्थात, ड्राइवर को नौ घंटे काम करना पड़ता है और इस के म्रलावा और चार घंटे भी उस को काम बुलाया जा सकता है । अर्थात्, एक प्रकार से १३ घंटे काम पर रहना पड़ता है। ऋन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन ने ऋानी सिफारिश में कहा है कि यह गलत तरीका है और किसी भी श्रमिक से सप्ताह में ४८ घंटे से ग्रधिक काम नहीं लेना चाहिये । यद्यपि मोटर गाड़ी अधिनियम में नौ घंटे निश्चित किये गये हैं। वास्वव में ड्राइवरों भ्रादि को नौ घंटे से भी ग्रिधिक समय के लिए काम पर रखा जाता है । पंजाब में दस घंटे गाड़ी चलाने का काम करना होता है और इस के ग्रलावा ग्राठ घंटे के लिए काम के लिए उपस्थित रहना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में स्थिति कुछ कुछ भिन्न है जहां कहीं भी ऐसा होता हो, श्रमिकों से ग्रिधिक काम लेना ग्रमानुषिक है। इस लिए उक्त ग्रधिनियम का संशोधन करके श्रमिकों की सेवा-शर्तों में कुछ सुधार होना चाहिए ।

१९३९ का अधिनियम अब समयानुकूल नहीं । इस को रद्द कर के सड़क परिवहन का सुधार करने के लिए एक नया विधान बनाने की न्य्रावश्यकता है। यदि सरकार उचित समझे तो इस का राष्ट्रीय-

करण होना चाहिये । काम का समय निश्चित करने के ग्रलावा, परिवहन श्रमिकों की सेवा सम्बन्धी सुरक्षा का भी प्रश्न है। इन के लिए कोई विनियमित सेवा-शर्ते नहीं है। और स्वामियों की इच्छा पर ही यह लोग निर्भर रहते हैं । अपील करने का इन को ग्रधिकार नहीं । स्रौद्योगिक विवाद स्रिधिनियम इन पर लागू नहीं । राज्य श्रम व्यवस्था से इन की कोई सहायता नहीं होती। इन के लिए सेवा-शर्ते भ्रवश्य होनी चाहियें भ्रौर साथ ही न्यूनतम वेतन तथा भत्ते की भी व्यवस्था होनी चाहिये। मद्रास में एक न्यायाधिकरण ने कुछ न्यूनतम वेतन की दरें निश्चित की थीं परन्तु इस से बचने के लिए स्वामियों ने खूब छंटनी करनी आरम्भ किया ग्रौर स्थिति बहुत खराब है ।

मंत्रालय का भी श्रमकों के प्रति व्यवहार बहुत बुरा है । सरकारी में भी, उदाहरणतः ग्रागरा में सरकारी सड़क परिवहन श्रमिक संघ को भी नहीं किय। जाता क्योंकि कहा जाता है कि कार्मिक संघ अधिनियम् के अन्तर्गत वे "श्रमिकों" में नहीं गिने जा सकते । सरकार द्वारा ऐसी बात करना उचितः नहीं । यदि सरकार की यह धारणा हो तो गैर-सरकारी त्रेत्र में क्या नहीं हो सकता।

दिल्ली परिवहन सेवा के सम्बन्ध में मैं ने सरकार के ध्यान में कई लाई हैं। थोड़ा सा सुधार ग्रवक्य हुग्रा है। और यह सुधार प्रबंधकर्ताओं की धारणा बदलने के फलस्वरूप हुम्रा है क्योंकि ग्रब श्रमिक उन से सहयोग र्करते हैं । परन्तु प्रबंधक द्वारा दियेµवचन

प्राधिकार कुछ नहीं करता । वह ग्रफ्नी मन मानी चलाते हैं। श्रमिकों के लिए कोई मकान नहीं हैं। उन को दूर दूर से लार्भे पर भी व्यय होता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह प्राधिकार को शीझातिशोझ मकान बनाने को कहें। चिकित्सा सुविधा का भी वचन दिया गया है। परन्तु श्रमिकों को अभी कोई वास्तविक सुविधा प्राप्त नहीं है ।

भेरा ठोस सुझाव यही है कि सरकार को एक नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ।

नाविकों की भी स्थिति देखिये। उन के लिये जो कलकत्ता में डाक्टरी जांच रखी गई हैं वह उचित नहीं। उसे हटा कर पहले वाली पद्धति ही चालू रखनी चाहिए ।

कोचीन पत्तन के बारे में कहा गया है कि श्रमिकों को कुछ दिक्क़तें थीं और ग्रब स्थिति सुधर गई है। मेरा निवेदन है कि श्रमिकों की स्थिति अभी खराब ही है। बहुत संख्या में छंटनी हो रही है और ठेकेदार श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए रहने का कोई प्रबंध है ही नहीं । मट्टनचेरी में, जहां श्रमिक रहते हैं। पीने के पानी की सुविधा भी प्राप्त नहीं । इसी प्रकार विलिगंटन ग्राइलैंड में भी सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है । टूटिकोरिन पत्तन के विकास का कुछ सुझाव था परन्तु स्रभी केवल कागज़ी बात है अब इस में ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए।

ग्रन्त में मैं परिवहन मंत्रालय के पर्यटक विभाग के बारे में कुछ, कहना चाहता हूं। मैं पर्यटकों का स्वागत करता हुं परन्तु पर्यटकों को ग्रन्धा धुन्ध नहीं

बुलाया जा सकता ग्राज कल स्थिति यह है कि न्यूयार्क में हमारी प्रचार व्यवस्था है जिस के द्वारा हम ग्रधिक से ग्रधिक ग्रमरीकन पर्यटकों को यहां आने के लिये ग्राकर्षित करते हैं। १६५१ की तुलना में १९५४ में ३००० के बदले ६००० ग्रमरीकन पर्यटक आये । इन लोगों को वीसा, यात्रा की सुविधायें आदि दी जाती हैं । अब हमें पता है कि अमरीकन पाकिस्तान को फौजी सामान दे रहे हैं। इस लिये हम अमरीकन पर्यटकों के इस प्रकार हमारे देश में ग्राने का प्रोत्साह न नहीं कर सकते । हमें राजनैतिक का भी ध्यान रखना चाहियें । यह पर्यटक यहां पर सीर्ध नहीं रहते । इस मामले को केवल इसी आधार पर नहीं देखना चाहिये कि हमें कुछ डालर अर्जित करने का अवसर मिलेगा । हमें यह भी देखना चाहिये कि राजनैतिक दृष्टिकोण से क्या उचित है।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (अमृतसर)ः सभापति जी, मैं रोड ट्रांसपोर्ट के मुत्तिल्लंक ही चन्द बात कहना चाहता हूं । ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस सवाल पर हमारे देश में एक जबरदस्त मतभेद है। प्लानिंग कमीशन जिस ने देश की डेवलपमेंट में नुमाया रहनुमायी का बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है उन्होंने जहां देश की डेवलपमेंट के लिये २२६९ करोड़ रुपये खर्च करना है वहां रोड ट्रांसपोर्ट के लिये सिर्फ ८ करोड़ ९७ लाख रुपया रखा है। यानी करीब ९ करोड़ रुपया रखा है जो जीरो प्वाइंट चार (०,४) परसेंट से ज्यादा नहीं बनता । इसके अलावा जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड है जिस की राय बड़ी अहिमयत रखती है। उस ने भी कानिंग कमीशन की इस सिफारि ूको मंजूर किया है

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर] और जो ११ प्वाइंट देश के डेवलग्रमट के लिये रखे गये हैं उस में जो रोड ट्रासपोर्ट का सवाल है उस में उन्होंने अपनी बड़ी स्पष्ट राय दी है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को ही सूबा सरकारें बढ़ावा दें । इसके अलावा टैरिफ कमीशन की भी इसी तरह की रिपोर्ट हैं। तो अगर हमको इस तरफ पूरा ध्यान देना है तो चूंकि इस मुआमले पर इतना इल्तिलाफे-राय है इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस की पहले पूरी पूरी जांच कर लेनी चाहिए । और में तजवीज करता हूं कि इस जांच पड़ताल के लिये एक अच्छी कमेटी बनायी जाय जो कि पूरे तौर पर पड़ताल कर के अपनी रिपोर्ट पेश करे। इसके बाद ही रोड ट्रांसपोर्ट के राष्ट्रीयकरण के सवाल को लिया जाय । वैसे जाहिर तौर पर तो राष्ट्रीयकरण का जो सवाल है यह जो लफ्ज है यह एक बड़ा पापुलर लफ्ज है। बड़ा हरदिल अजीज लफ्ज है। प्रिंसिपल के तौर पर मेरा ख्याल है इसे सब मानेंगे और इस प्रिसिपल के मामले में इतना मतभेद नहीं होगा। मगर जब गौर किया जाय और दरजा बदरजा सोचा जाय । पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में रायपुर में आल इंडिया मोटर आपरेटर्स यूनियन की एक बड़ी नुमायंदा कान्फ़्रैन्स हुई जिस को कि श्री एस० के० पाटल ने प्रसाइड िया और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शुक्ला साहब ने उस को इनआगुरेट किया। उस वक्त जन्होंने अपनी इब्तदाई तकरीर में कहा था कि ग्रगर प्राइवेट आपरेटर्स अपने अन्दर एफिशेंसी को कायम रखें और बढ़ायें तो फ़िर हमें कोई एत राज नहीं होगा कि उन को मौका दिया जाये कि वह इस काम को अञ्छी तरहु से चलायें और हमारी राष्ट्रीयकरण की तरफ तवज्जीह न होगी।

मेरा कहना यह है कि यह एक ऐसा सवाल है कि जिस पर इस्तलाफे राय मौजूद हैं। चार बातों का रूबाल यह रोड ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करने में हमें रखना पड़ता है। पहली चीज यह है एफिशेसी जिस से पब्लिक सहलियत के लिये ज्यादा सामान पैदा हो। दूसरी बात है वर्कर्स की, जो इसमें काम करने वाले हैं उनका फायदा किस बात में है। तीसरी चीज फायदा यानी का माली है गवर्नमेंट एकानामिक क्वेश्वन ग्रौर चौथी बात है इन्डस्टरी का सवाल। हम एक एक बात को लें तो पता लगेगा कि हर एक सवाल पर इस्तलाफे राय मौजूद है। एफीशैंसी के मुताल्लिक तो अभी तक यह बात हमारे देश में नूर्मीयां तौर पर कही जाती है कि भाई यह तो सरकारी काम है हमारी ज्हनियत ऐसी है कि हम फौरन कह हैं कि यह तो सरकार का काम है। इस में कुछ ज्यादा जरूरत सोचने की नहीं हैं। इसमें जैसे सरकार चल येगी वैसे यह चलता जायेगा । जब पहले ही मन में यह ख्याल मौजूद हो तो उस वक्त वह एफीशेंसी की तरफ बढ़ नहीं सकता तो जब तक हमारे देश में पूरी जाग्रति नहीं ग्रा जाती ग्राैर हम को इस बात का पूरा ग्रहसास नहीं हो जाता कि जो सरकारी काम हैं हमारे ग्रपने ही काम हैं और उन में हमें अपना पूरा को प्रापरेशन देना चाहिये । उस वक्त तक हमारे दरम्यान में यह शिकायत माजूद रहेगी। इस के बरअक्स जो लोग अपनी प्राइवेट बसिज चलाते हैं वह हर तरह से पब्लिक के आराम और सहूलियत का रूथाल रखते हैं ग्रौर अपने अन्दर एफीशैंसी पैदा करते हैं।

पंजाब में में खात तौर पर देखता हूं कि वह कई जगह साथ साथ काम चल रहा है। वहां गवर्नमेंट ने भी कई रूट नेशनेलाइज किये हैं ग्रौर प्राइवेट आपरेटर्स भी अपना काम चला रहे हैं। हम देखते हैं कि जहां जहां प्राइवेट कम्पिनयां काम कर रही हैं वहां एफीशैंसी भी ज्यादा है और मुसं/फिरों के लिये सहलियतें भी ज्यादा हैं ग्रीर पब्लिक का वहां पर भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी बसों में पूरी तौर पर कामयाबी नजर नहीं आती। मेरा कहना सिर्फ यह नहीं है कि जहां जहां सरकार की बसें चल रही हैं वहां पर इन्तजाम बिल्कुल ही खराब है मगर जैसा मैंने पहले कहा कि वह चीज मौजूद है ग्रौर वह यह समझकर बैठ जाते हैं कि यह तो सरकार का काम है इस में कुछ ज्यादा तरद्द की जरूरत नहीं भ्रौर कुछ खास ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है और यही वजह है कि जब सरकारी बसें कोई सामान ले जाती हैं तो वह काफी अपने को स्रोवरलोड कर लेती हैं क्योंकि उन को सरकारी बसों को इसका डर नहीं रहता कि कोई उन को चैक कर लेगा या चालान कर देगा लेकिन इसके बरअक्स जो प्राइवेट मोटरगाड़ियां हैं उन को हर वक्त फिकर रहती है कि कहीं हम चैक न कर लिये जायें और उनका डर बना रहता है कि अगर हम ने कायदा से ज्यादा बोझ रखा तो हमारा चालान हो जायगा भ्रौर हम पर इस के लिये जुरमाना हो जायेगा। इसलिये वह जरा ध्यान ग्रौर फिर्क्र से काम करते हैं।

दूसरी बात है वरकर्स का फायदा। इस के मुताल्लिक मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी की ताज। रिपोर्ट हमारे सामने है इस में रोड ट्रांसपीर्ट के छदें चेप्टर में जहां इसको डील किया गया है वहां इस बात को माना गया है--

"आजकल ४८००० आपरेटर्स हैं जिन में से केवल २५ ऐसे हैं जिनके पास १०० से अधिक मोटरें हैं, ५० ऐसे हैं जिन के पास ५० मोटरों से ग्रधिक पर १०० से कम हैं । १५०० ऐसे हैं जिनके पास ५ मोटरों से ग्रधिक पर ५० से कम हैं। ४६००० ऐसे छोटे ग्रापरेटर्स हैं जिन के पास ५ या उससे कन मोटरें हैं"

इन फिगर्स से साफ जाहिर होता हैं कि ९५ परसेंट के करीब ऐसे आपरेटर्स हैं जो बिल्कुल निचले दरजे के या दरम्यानी दरने के मैं ग्राप को बता दूं कि पंजाब में तो हालत यह है कि आपरेटर्स खुद और जो शेयर होल्डर्स कम्पनी के हैं वह खुद कहीं ड्राइवर का काम करते हैं ग्रौर कहीं-कहीं पर तो क्लीनर्ज का काम भी करते हैं। वह कोई बहुत सरमायादार लोग नहीं हैं । थोड़ा रुपया किसी से कर्ज लेकर या जेवर बेच कर इकट्ठा कर लेते हैं ग्रौर एक ग्राध बस खरीद लेते हैं और ग्रपनी रोजी कमाते हैं या दो तीन आदमी मिल कर एक कोई छोटी सोसायटो वना लेते हैं भौर तरह अपना गुजारा करते हैं। इस तरह मैं समझता हूं कि पंजाब के जो स्रापरेटर्ज हैं वह बरकर्ज हैं और इससे ज्यादा उन को हैसियत भ्रौर अहमियत नहीं दी जा सकती । इसलिये मैं समझता हूं कि मुश्रामले पर फिर हमारे देश में इख्तलाफ मौजूद है कि वरकर्ज का फायदा किस बात में है इसलिये मैंने इस बात पर जोर दिया है कि रोड ट्रांसपोर्ट के राष्ट्रीय-करण करते वक्त हमें इस बारे में पूरी तरह जांच ५ड़ताल कर लेनी चाहिये।

तीसरी बात जो माली फायदा यानी एकानामिक कवैश्चन है इस् के बारे में में भी समझता हूं कि बाज जगहों पर यह [ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]
स्याल किया गया है कि इस तरह यहां
मोटर बिजनेस से काफी रुपया ग्रा जाता
है इस से गवर्नभेंट क्यों न फायदा उठाये।

क्रामदनी के बारे में यह बात ठीक है कि इस में ग्रापरेटर्ज को भी घोखा हुम्रा है म्रौर गवर्नमेंट को भी धोखा हुआ है । इसमें चूं कि रोजाना आमदनी हो जाती हैं इस से यह ख्याल पैदा होता है कि **ब्रापरेटर्ज के पास बड़ा रुपया आ गया** और गवर्नमेंट भी यह ख्याल करने लगी ्है कि रोजाना इतना रुपया आ जाता है। तो न गवर्नमेंट ही इस की तरफ ख्याल करती है ग्रौर न ही आपरेटर्ज ने कभी · ख्याल किया था कि उन की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। किसी ने भी इन की रोजाना ग्रामदनी का एवरेज नहीं निकाला। चृंकि रोजाना ग्रामदनी ग्रा जाती है इसलिये ग्रापरेटर्ज खुश होते रहते है। ग्रौर इसी खुशी को देख कर शायद गवर्नमेन्ट के दिल में भी यह ख्याल आया कि यह काम कोई बड़े फायदे के हैं। जैसा मैंने कहा है इस में इख्तलाफे-राय हो सकता है। सरकार को अगर रुपये का फायदा किसी तरह से पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि पब्लिक का ही फायदा हुआ। इस पर किसी को एतराज नहीं है सकता। मगर ग्रन्दाजा करते वक्त ज्रूर हर एक ख्याल को सुनना चाहिये।

मिसाल के तौर पर देहली ट्रांसपोर्ट सरिवस—-१०५३ की रिपोर्ट मेरे हाथ में है—-इसमें उन्होंने पिछले साल यानी १९५३ में ३ लाख ९९ हजार का फायदा दिखाया। इसमें १५८ डीजल वैहिकल्ज चलीं और १०६ पेट्रोल वैहिकल्ज । यानी इस प्रोपोरशन से, इस निसबत से अगर अन्दाजा लगाया जाय तो यह जो माइलेज

के भिगर्ज दिये गये हैं उन के मुताबिक १९५३ में २२५०० मील कवर किये गये हैं और इस निसबत से हिसाब लगाने पर तो इन रोड्स पर १३५०० मील डीजल वैहिकल्ज ने कवर किये हैं ग्रीर बाकी पर दूसरी वहिकल्स चलायी गयी है। इस तरह से समझ लीजिये कि कोई १५०० गॅलन पैट्रोल की बचत रोजाना का गयी है। डीजल वैहिकल्ज चला कर जो भी पेट्रोल बचाया गया है उस में यह समझ लेना चाहिये कि १५ आना फी गैलन के हिसाब से रोड फन्ड जो है उस नुक्सान पहुंचा है। पेट्रोल पर ड्यूटी है। अगर इस तरह से ग्रन्दाजा लगाया जाये तो १४०० रुपया रोज का रोड फन्ड को नुक्सान पहुंचा है। १४०० रुपया रोज का मतलब है ४२००० हपया माहवार श्रीर ५ लाख रुपया सालाना नुक्सान रोड फंन्ड को पेट्रोल वैहिकल्ज चला कर पहुंचाया गया है। ग्रगर अन्दाजा लगाया जाये तो ३ लाख ९९ हजार रुपये की बचत अगर देहली ट्रांसपोर्टने की हैतो ५ लाख का नुक्सान रोड फन्ड को पहुंचाया है। हमारे इस देश को जिस की रोड्स को ग्रभी डवेलप होना है, जिस के एक-एक मील के टुकड़े को बनाने की जरूरत है, अगर वह रुपया सरकार के पास आता तो उस से कितनी सडकें बन सकती थीं।

श्रव श्रायंदा जो स्कीम है देहली ट्रांसपोर्ट की, उस के मुताबिक १४० डीजल वैहिकल्ज श्रगले साल में खरीदिती हैं जिस के लिये ७० लाख रुपया मरकजे हिन्द को देना है। मेरा कहना है कि जितनी डीजल वैहिकल्ज यहां चलाई जायगीं उतना ही पेट्रोल ड्यूटी श्रौर रोड फन्ड को नुक्सान पहुंचेगा। मैं ने श्रापके सामने एक यह मिसाल पेश की है। श्रगर ह मारी सरकारें इसी तरह से फायदा का अन्दाजा कर लेती है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ी गलतफहमी है क्योंकि इससे तो नुक्सान पहुंच रहा है। बचत नहीं हो रही है। इस गलतफहमी को नहीं रहना चाहिये। और भी बातें हैं जिन से अन्दाजा लगाया जा सकता है। मैं तो यह भी कहता हूं कि मैं इसे मानता हूं कि अगर सरकार के पास रुपया त्राता है तो इस से वह पब्लिक को फायदा पहुंचा सकती है। मगर इस तरह से रोड फन्ड को तो नुक्सान हुन्ना है। इसी तरह से जो रुपया रोड ट्रांसपोर्ट के राष्ट्रीयकरण पर खर्च किया जाना है वह किसी और अच्छे काम के लिये फ्रीअञ्हाल खर्च किया जाये तो इससे एक तो जो हमारे दरम्याना दरजा के लोग है वह बेकारी से बच रुकते हैं ग्रीर सरकार का भी इसमें कोई ज्यादा नुक्सान नहीं है। मैं ग्राप को पंजाब की एक मिसाल देता हूं । हमारे पंजाब में ८० कम्पनियां हैं । उन में से ५० परसेंट कम्पनियां रिफ्यूजीज की हैं। सभापति जी, चूं कि यह सवाल बड़ा ग्रहम है इसलिये ग्रापको इजाजत से दो तीन मिनट में इन के बारे में कहना चाहता हूं । इन कम्पनियों में ४००० शेयर होल्डर्ज हैं। जो कि ग्रापरेटर्स हैं। तो २०,००० अफरादतो इनके ही बन जाते हैं जो कि इसमें कोग्रपरेटिव बेसिज पर काम करते हैं। किसी एक की कम्पनी नहीं है। मैं ने रॉयपुर मं शुक्ला जी की स्पीच सुनी थी। उन्होंने कहा था कि बड़े-बड़े युनिट बन जायें। यहां पंजाब में तो पहले ही इस किस्म के यूनिट बने हुये हैं। राष्ट्रीयकरण से पंजाब में ४००० आपरेटर्ज जो हैं जिन को आप वरकर्ज ही कह सकते हैं इन सब के लिये गवर्नमेंट काम मुहैया नहीं कर सकती है। मैं ने ग्रन्दाजा लगाया है कि इस तरह से कोई ७५००० के करीब 77 PSD

लोग पंजाब में बेकार हो जायेंगे। स्रगर स्राज मोटर ट्रांसपोर्ट नैशनेलाईज कर दिया जाये। इस तादाद में मोटर बिजनेस से ताल्लुक रखने वाळे सब लोग शामिल हैं। मैं कहता हूं कि राष्ट्रीयकरण का जो प्रिंसिपल है इसके कोई खिलाफ नहीं है। मगर हर एक बात का, हर एक काम का कोई न कोई वक्त होता है। जितने लोग दरम्याना दरजे के बेकार होंगे उतना ही हमारे देश का ज्यादा नुक्सान है क्योंकि यह हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं । जो लोग **काम करने वाले हैं ग्रगर उनको काम न** मिला तो उससे बड़ा नुक्सान होता है।

जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है, ग्राज मुल्क में बड़े-बड़े इन्डस्ट्रीयलिस्टस हैं उनकी राय देखनी चाहिये। मिस्टर बी० एस० बिरला की तकरीर को जो उन्होंने पिञ्चले वर्ष चैम्वर्स ग्राफ कामर्स के इजलास में दी थी। उस में उन्होंने कहा था कि अगर सरकार इस इन्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करने की तरफ कदम उठायेगी तो इस इन्डस्ट्री, को बड़ा नुक्सान पहुँचेगा मेरे कहते का तात्पर्य सिरफ़ यही है कि इस मुग्रामला की जांच पड़ताल करने के लिये एक कमेटी बनाई जाय। जो कि पूरी जांच करके, हर लिहाज से, हर नुक्ता से इन चारों बातों पर जो कि मैं ने वजाहत से पेश की हैं, ख्याल कर के, ऋपनी रिपोर्ट पेश करे। ऋौर सरकार इसकी जांच करे उसके बाद कोई फैसला करें। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर राष्ट्रीयकरण जरूर करना है तो फिर यह एक ऐसा व्योपार है जिस के लिये फुल क्रिपनसेशन देना चाहिये। बिना फुल कम्पनसेशन के इन का काम चलने वाला नहीं है।

इन ग्रल्फाज के साथ में ग्राप से ज्यादा वक्त लेने की मुआफी चाहता हूं।

श्री **दाभी** (कैरा<sup>,</sup>उतुतर) : गत वर्ष कौ भांति मैं इस वर्ष भी यह कहना चाहता

## [श्री दाभी]

हूं कि दिल्ली परिवहन सेवा जैसी अत्यन्त ही अनियमित तथा नाकाबिल सेवा में ने देश में कहीं भी नहीं देखी है। संसद् के हर सत्र में मुझे इस की अक्षमता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। मैं अधिकारियों का ध्यान इस और दिलाता हूं। उनका जबाव यह होता है कि वह सेवा को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है।

संसद-सदस्यों के लिए नार्थ एवेन्यू तथा साऊथ एवेन्यू में बसों का इंतजाम किया गया है। परन्तु प्रायः देखा गया है कि यह बसें वहां मिलती नहीं हैं। मैं प्रतिदिन इस सर्विस से एक दो बार सफर करता हूं तथा मुझे मालूम है कि किस तरह लोग इन बसों की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। उन्होंने इस में सुधार की प्रत्येक आशा छोड़ दी है।

प्राप्त सूचना से पता चलता है कि
प्रतिदिन सभी मार्गों पर २५-३० अवसर
ऐसे आते हैं जबिक बसें बिल्कुल आती ही
नहीं हैं यद्यपि टाइम-टेबुल के अनुसार
उन्हें आना होता है। इस तरह से जनता
का न मालूम कितना समय नष्ट हो जाता
है। तिलपत जाते समय इन बसों का
क्या हाल रहा, यह हमें मालूम ही है।
जिस बस में लगभग ३५ व्यक्तियों के
लिए जगह थी, उसमें ८७ व्यक्ति बिटाए
गये।

मंत्रालय की १९५३-५४ की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी, १९५४ के अन्त तक ३० और नई बसें लाई गई हैं जबकि ८८ पुरानी बसें छोड़ दी गई हैं। इस तरह से उपयोगी बसों की संख्या कम हो गई। गत वर्ष भी इस तरह की कमी हुई थी। इसका परिणाम यह होगा कि जनता की कठिनाई बढ़ती ही जायगी।

मुख्य बस स्टैंडों पर छादित जगहों की कोई व्यवस्था नहीं। सैकीटेरियेट के बस स्टैंड को ही लीजिये वहां एक भी छादित जगह नहीं।

कई जगहों पर खम्बों के साथ टाइम टेबुल चिपकाये गए हैं, परन्तु रात को वहां रोशनी न होने के कारण वह पढ़े नहीं जा सकते हैं।

राजधानी में होने के नाते दिल्ली की बस सर्विस एक ग्रादर्श सेवा होनी चाहिए। मुझे ग्राशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सभी शिकायतों का निवारण करके इस सेवा में सुधार करेंगे।

डा० जयसूर्य (मेदक) : सरकारी सड़क परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरा अपना वैवितक अनुभव है तथा इस का कारए। यह है कि भारत में हैदरा-बाद ही पहला ऐसा राज्य था जहां कि सड़क परिवहन सरकार के कार्यभार में था। इसके कुछ गुण भी थे तथा ग्रवगुरा भी । परन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इन पर विचार किये बिना ही सड़क परि-वहन के तथा-कथित राष्ट्रीयकरण की ठान ली। उन्होंने समझा कि यह ग्रामदनी का एक बड़ा स्रोत है ग्रत: इसे हाथ से न जाने दिया जाना चाहिए । उन्हें चेतावनी दी गई कि इस में खतरे भी हैं। प्रशुल्क आयोग ने उन्हें यह चेतावनी दी तथा लोक सभा की एक प्रवर समिति ने १९५० में उन्हें यह चेतावनी दी थी।

विदेशों में ग्रब रेलवे लाइ नें बिछाने की अपेक्षा सड़कें ही अधिक बनाई जा

रही है। हमारे इतने विशाल देश में सड़कें बहुत कम हैं। हमें इस स्रोर विशेष ध्यान देना होगा। इसका परिणाम यह भी होगा कि हमें मोटर गाड़ियों को अधिक उपयोग में लाना होगा।

भारत में प्राइवेट चालकों की संख्या ४७,५७५ है। इन में से ४६,००० छोटे छोटे चालक हैं जिन्होंने कि ग्रपना सर्वस्व इसी उद्योग में लगाया है । योजना आयोग के मतानुसार प्राइवेट चालकों ने इस उद्योग में १३१ करोड़ रुपया लगःया है जबिक सरकार इस समय तक इस उद्योग में केवल १७ करोड़ रुपये लगा सकी है। हो सकता है कि १९५५-५६ तक वह इस में कुल २१ करोड़ रुपये लगा सके। बृह उस समय तक ज्यादा से ज्यादा दस हजार बसें अपने स्वामित्व में रख सकती है जबिक इसके मुकाबले में प्राइवेट चालकों के पास लगभग ४० हजार मोटर गाडियां हैं । प्रशुल्क आयोग के विवरण के अनुसार मई, १९५२ में प्राइवेट चालकों के पास १००, ८५५ . गाडियां थीं । इन लोगों **ने** इतना बड़ा उद्योग जो स्थापित किया है उसका आप क्या करने जा रहे हैं, विशेषकर जबकि आप अपनी बसों का भी प्रबन्ध कार्य सम्भाल नहीं सके हैं ?

बम्बई की राज्य परिवहन सेवा में है करोड़ रुपये लगा हुआ है । उन्हों ने ८ लाख रुपये का वार्षिक लाभ दिखाया है अर्थात् यह एक प्रतिशत से भी कम है । यह वचत भी केवल तब हुई जबिक उन्हों ने पेट्रोल के स्थान पर डीजल प्रयोग में लाया, अन्यथा उन्हें ४२ लाख रुपये का घाटा होता । बंगाल सरकार को भी इस मद पर ६,४५,००० रुपये का घाटा हुआ है और चालू वर्ष के लिए उनका

घाटे का संशोधित प्राक्कलत १६,४४,००० हमये हैं। यह भी उस दशा में है जबिक अवक्षयण के लिए केवल १६ २/३ प्रतिशत भाग रखा गया है। सामान्यतः उद्योगपित इसके लिए २५ प्रतिशत रखते हैं।

दिल्ली परिवहन सेवा के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष यह पिछले कई वर्षों के घाटे को पूरा कर सकी है। इसका कारण स्वष्ट है कि उन्हों ने अपनी ६० प्रतिशत गाडियां डीजिल गाडियों में परिवर्तित की हैं। परन्तु ऐसा करके आप ने केवल अपनी एक जेब से पैसे निकाल कर दूसरी जेब में डाल दिए हैं।

मेरे विचार में प्राइवेट परिवहन उद्यम में १५० करोड़ रुपया लगा हुआ है। इसके अलावा कर्मशालाओं, फालतू पुर्ज़ो ग्रादि के रूप में भी १५० करोड़ रुपये की सम्पत्ति और है। यदि आप इस उद्योग को नष्ट करेंगे तो आप इस के साथ ग्रौर भी सहायक उद्योग नष्ट करेंगे।

इस समस्या का मेरा अपना एक हल है। उत्पादन मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार प्राइवेट पूंजी के साथ सांझा करके करोड़ों रुपये विभिन्न उद्योगां में लगा रही है तथा इनका प्रबन्ध कार्यं भी विभिन्न प्राइवेट अभिकरगों को सौंपा जा रहा है। यदि ऐसा हो सकता है तो इस उद्योग के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था क्या नहीं हो सकती हैं ? सहकारिता के ग्राधार पर इस उद्योग को संगठित कीजिये। सरकार भी इस में शामिल हो सकती है। इस तरह से सम्पूर्ण सड़क परिवहन उद्योग का विकास किया जा सकता है। आप के पास सारी व्यवस्था है। आप अपनी शर्ते मनवा सकते हैं, तथा प्राइवेट परिवहन उद्योग को अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत [डा० जयसूर्य]

ला सकते हैं; अन्यथा हमारे पास कहां इतने साधन हैं कि हम परिवहन सुविधाओं का पर्याप्त रूप से विस्तार कर सकें। वस्वई को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता मिल रही है, तभी तो वह परिवहन सुविधाओं का विस्तार कर सके हैं।

योजना आयोग के अनुसार निर्मातावर्ग प्रित वर्ष तीस हजार गाड़ियां बना सकता है । परन्तु वास्तव में यह संख्या चार हजार से अधिक नहीं, जैसे कि प्रशुक्क आयोग ने भी बताया है । कारण यह है कि प्राइवेट क्षेत्र अनिश्चितता के कारण इस उद्योग में पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं । मैं किसी के साथ भी अपनी उक्त योजना पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं । हैदराबाद सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया । देखना यह है कि यह सरकार कहां तक इसे स्वीकर करती है।

सरदार अकरपुरी (गुरदासपुर): चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक हाउस में कोई दो राय नहीं हैं कि इस बक़्त मोटर ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज नहीं करना चाहिये। इसी हाउस में अभी बताया गया है कि सन् ५० में हाउस में इसी मामले पर बहस हुई और उस वक्त यह तय हो पाया कि मिनिस्टर साहब मोटर वेहिक्छ ऐक्ट में कोई तरमीम लायें जिससे कि इन आपरेटर्स को माकूल मुआविजा दिया जाय और तब गवर्तमेंट इस इंडस्ट्री को नेशनेलाइज कर सकती है। मैं समझता हूं कि किसी इरादे को नेशनेलाइज करने के लिये कोई इस्तलाफ़ नहीं हो सकता, लेकिन यह बात देखनी होती है कि स्राया उससे पबलिक को क्या फ़ायदा है ग्रौर सरकार की क्या फ़ायदा है और यह चीज जिन २ सूबों

में ट्रान्सपोर्ट्स नेशनेलाइज हुए हैं वहां की हालत पर गौर करने से पता चल सकता है। जहां तक पबलिक के फायदे का ताल्लुक है, उसके लिये दिल्ली ही काफी है और इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पबलिक को कितना फायदा है। एक एक बस स्टैंड पर दस, दस, बीस बीस और पचासों ग्रादमी खड़े रह जाते हैं और उनके सामने बस स्टैंड से वस गुजर जाती है और वह बेचारे यों ही लाइन बनाये वहां बस के इंतजार में खड़े रहते हैं । मैंने प्रताप ग्रखबार में आज ही पढ़ा कि बहुत से हमारे रेफ्यूजी भाई जो दूर कौलोनीज में बसे हुए हैं वह इस वजह से कि उन्हें बस ठीक वक्त पर नहीं मिलती नौकरी से हटा दिये गये हैं, उनको काम पर से हटा दिया गया है। इसलिये में समझता हूं कि नेशनेलाइजेशन से जहां तक पबलिक के मफाद का ताल्लुक है उसका देहली की हालत से बख्बी ग्रन्दाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा मैं यू० पी० के बारे में ग्रापको ग्रपना तजुर्बा बतला सकता हूं कि वहां पर मोटर नेशनेलाइजेशन के बाद क्या हालत हो रही है। आज वहां हालत यह है कि सरकारी बसों पर जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स हैं वह पुलिस वालों से भी ज्यादा हुक्म जताते हैं और पबलिक की दिक्कत को कम करने की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता । अब वहां बस स्टैंड पर तो कुर्ली मिल जाता है और उससे आप सामान उतरवा और चढ़वा सकते हैं लेकिन बीच रूट पर जो आदमी सवार होता है उसको बहुत दिक्कत पेश आती है, ग्रकेले बिनां मदद के उसको अपना सामान ऊपर चढ़ाना होता है या ऊपर से नीचे उतारना होता है, कोई आदमी उसका सामान चढ़ाने और उतारने में

मदद नहीं करता या उसे सहारा नहीं देता मेरे साथ ऐसा इत्तिफ़ाक पेश आया है ग्रौर मैं आये दिन देखता हं कि वह लोग कुछ पर्वाह नहीं करत्र, क्योंकि उन की जिम्मेदारी कोई नहीं है, वह सर्विस पूरी सरकारीं हो गयी है इस वास्ते वह जिम्मेदार नहीं है और पबलिक के स्राराम का कोई ख़्याल नहीं करते हैं।

अनुदानों की मांगें

दूसरी बात मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि अगर इसको नेशनेलाइज करना है तो उसके लिये माकूल मुआविजा जरूर देना चाहिये और देना है तो उसमें सरकार को कितना खर्च ग्रायेगा, मैं पंजाब की मिसाल देकर बयान करना चाहता हूं। पंजाब में इस वक्त १३९७ बसेज हैं और इन १३९७ बसेज़ के मुताल्लिक पंजाब का रवैया इस वक्त यह है कि यहां की गवर्नमेंट कहती है कि जो ग्रच्छी २ बसेज हैं वह हम ले लेंगे खराब नहीं लेंगे और रवैया उनका नज़र आता है उस के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि वह १३९७ में से सिर्फ ९७ बस लेंगे और १३०० नहीं लेंगे। वह १३०० बसेज मुल्क की वेल्थ हैं, मुल्क की जायदाद हैं ग्रौर वह इस त्तरह खन्दक में जा पड़ेंगी और जाया हो जायेंगी।

और इन १३०० बसों की जगह अपर गवर्नमेंट ग़ौर करे तो मैं समझता हूं कि दूसरी बस खरीदने से २० हजार खर्च आयेगा। अगर पेट्रोल वाली ली जायेंगी सो २२, २३ हज़ार एक बस पर खर्च ग्रायेगा। इस लिये मेरा ग्रन्दाजा है कि अगर १३०० नई बसें खरीदनी हैं तो चार करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं आयेगा यह चार करोड़ रुपया कहां जायेगा? यह अमरीका जायेगा, या इंग्लैंड जायेगा, सब का सब रूपया बाहर जायेगा मैं समझताः हुं कि अगर इसे नेशनेलाइज करना है तो उन को वक्त दो, कम से कम दस साल तक इस काम को नहीं करना चाहिये। यह जो १३०० बसें आज कन्डम हो जायेंगी, उन को पांच साल तक वह लोग चलायेंगे अगर यह पांच साल तक इसी तरह चल जायेंगी तो मैं समझता हूं कि इस चार पांच साल के अर्से में हम ग्रपने देश में यह बसें पैदा करने के लिये, इंजन पैदा करने के लिये अपना रुपया बचा लेंगे और उन लोगों को भी जो लोग नेशनेलाइ-जेंशन से भूखों मर जायेंगे उन की जान भी बचा लेंगे।

एक और बात से मैं मिनिस्टर साहव को खबरदार करना चाहता हूं और वह यह है कि यह सवाल पंजाब में बड़ी तेजी से उठ रहा है, और बड़े खराब तरीके से उठ रहा है कि एक लाइन ले ली जाती है, उस में दो, तीन या चार बसें चला देते है लेकिन उन लोगों को किसी किस्म का मुआवजा वगैरह नहीं देते और उन को बेकार करते चले जाते हैं जिन में कि ५० फीसदी रिफ्यूजी हैं। उन लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है । पंजाव में अगर यह राष्ट्रीयकरण हो गया तो हिन्दुस्तान के हर सूबे में हो जायेगा । हिन्दुस्तान के सूबों की जहां तक मुझे वाक़फियत है, बंगाल में, बम्बई में और यू० पी० में जो बड़े बड़े शहर है जैसे कानपुर वैगरह, उन में पंजाबी ही हैं जिन के पास बहुत काम है । अगर वहां पर भी ट्रान्सपोर्ट को नेशनेलाइज कर दिया गया तो उन के पास कोई काम नहीं रह जायेगा, वह लोग पंजाब में आयेंगे। पंजाब की आज कल क्या हालत है ? हर एक किसान के पास चार चार, प्रांच पांच एकड़ जमीन होती है जिन पर दस दस आदमी

पल रहे हैं। अगर और सूबों से पंजाबी आ गये तो वह लोग वहां जाकर क्या करेंगे ? वह लोग गवनंमेन्ट के खिलाफ ही झंडा उठायेंगे। जो लोग कह रहे हैं इस काम को जल्दी करो, वह इस निगाह से नहीं कह रहे हैं कि मुल्क का भला हो। वह इस लिये कह रहे हैं कि जो लोग बेकार होंगे, वह उन लोगों के पास जायेंगे और गवर्नमेन्ट के खिलाफ़ बग़ावत करेंगे। इस लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस के लिये वक्त देना चाहिये, समय देना चाहिये। जो कुछ ज्ञानी जी ने इस सिलसिले में कहा है मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि इस के लिये हाउस में एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये जो कि तमाम पहलुओं से सोच कर अपनी रिपोर्ट पेश करे।

इस क साथ ज्ञानी जी जो नहीं कह सकें हैं उस के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बाकी जो स्टेट्स हैं उन से कहना चाहिये कि वह किसी एक लाइन को नेशनेलाइज न करें । अगर आप ऐसा स्टेप नहीं लेंगे तो लोगों को बहुत नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि इसी में देश की भलाई है और देश की बेहतरी है। इसी तरह से देश का सरमाया बचेगा और जब कि हम और बहुत सी चीजों में सरमाया लगाना चाहते हैं, उस वक़्त इस रूपये को उस में लगा देने से हमारा बहुत फायदा हो सकता है

इतना कह कर मैं ब्गैर आप के घंटी बजाये हुए ही, ग्रपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस-मध्य): श्रीमान्, मैं एक दिषय पूर बोलना चाहता हूं जिस का सम्बन्ध हिन्दुस्तान के जहाजों

से है, या कि जहाजरानी से जो कि एक बहुत उपेक्षित विषय रहा है । मैं हाउस का ध्यान इस ओर ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी समुद्री सीमा करीब दो हजार मोल की है, लेकिन हमाराजो ओवरसीज ट्रेंड होता है वह हिन्दुस्तान के जहाजों द्वारा सिर्फ ६ परसेन्ट होता है। ६४ परसेन्ट ओवरसीज ट्रेड जो होता है वह दूसरे देशों के जह।जों और दूसरे देशों की कम्पनियों के द्वारा होता है। इस में ३० परसेन्ट तो सिर्फ इंग्लैंड के द्वारा ही होता है मेरी समझ में नहीं ग्राता है इतना बड़ा देश, जिस देश में केवल ६ परसेन्ट व्यापार देशी जहाजों द्वारा होता है, वह देश कैसे पनप सकता है।

साथ ही साथ मैं आप का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जो स्क्रैप हमने जापान के हाथ बेचा, वही स्क्रैप आज जहाज बन कर हमारा गला घोट रहा है। जैसा कि लास्ट क्वार में कहा गया था कि अमरीका ने स्क्रैप बेचा और वही अमरीका का स्क्रैप बुलेट बन कर, गोली बन कर फिछली लड़ाई में अमरीका की छाती को छेदने लगा। वहीं अवस्था आज हमारी जहाजरानी की है। जो स्क्रैप, जो लोहा, हम ने जापान के हाथ बेच दिया उसी लोहे से जहाज बना कर के आज वे हम से कम्पीट कर रहे हैं। जापान ने दो ऐग्रीमेन्ट किये। लेकिन हिन्दुस्तान ने किसी विदेशी कम्पनी से या किसी विदेश से कोई एग्रीमेंन्ट नहीं किया। जापान ने एक परशियन गल्फ ऐग्रीमेन्ट किया और दूसरा जागन पाकिस्तान ऐग्री-मेन्ट किया। इस का फल यह हुम्रा कि ग्ररव सागर में हमारा जितना ट्रेड था, इंडियन स्रोशन में जितना ट्रेड था, धीरे धीरे जापान के हाथ में चला गया ग्रौर

हमारे हाथ से बराबर ट्रेड बाहर होता चला जा रहा है।

३०९७

इस के बाद मैं दूसरी बात की तरफ घ्यान दिलाना चाहता हूं । "बंकरिंग ग्राफ दि कोल ऐंड बंकरिंग ग्राफ दि ग्रायल"। दुनिया में जितने जहाज हैं, १९२९ में उन में से करीब १८ परसेन्ट जहाज ऐसे थे जो तेल से चलते थे, आज ६० परसेन्ट जहाज तेल से चलते हैं। जो विदेशी जहाज हमारे हिन्दुस्तान के पोर्टस से आ कर कोल लेते थे, कोयला लेते थे, श्राज वह हमारे पोर्टस पर कोयला लेने नहीं श्राते । इस वास्ते नहीं आते कि हमारे पास तेल नहीं है, आयल की बंकरिंग हमारे पास नहीं है, हमारे पास ग्रायल का स्टोर नहीं है। आज हालत यह है कि हमारा कोयले का ट्रेड दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। आज बर्मा ग्रौर सीलोन को छोड़ कर कोई कोयले का ट्रेड हमारे पास नहीं हैं। आज से दस वर्ष पहले आस्ट्रेलिया को कोल एक्सपोर्ट करते थे, जापान को करते थे, यहां तक कि इंग्लैंड को भी हम कोल एक्सपोर्ट करते थे। आज क्या हालत है ? ग्राज हम बर्मा और सीलोन को छोड़ कर कहीं को कोल एक्सपोट नहीं करते । पाकिस्तान कोल इम्पोर्ट करता है इंग्लैंड से, पोलैंड से, साउथ अफ़्रीका से। आज हमारी पालिसी ऐसी है कि जो हमारे साथ के देश हैं, जहां कि हम कोयला भेज सकते थे, वह मुल्क भी आज हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। मैं भ्राप का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जर्मनी और जापान जो युद्ध में जर्जर हो गये थे, जिन की शिपिंग खत्म हो गई थी नेवी खत्म हो गई थी, उसी जापान ने दो वर्ष के ग्रन्दर १५ लाख टन के जहाज बनाये.

जर्मनी ने ७ लाख टन के जहाज बनाये।
लेकिन हमने कितने जहाज बनाये ? हम
स्वतंत्र थे, हम युद्ध के बाहर थे। हमारे
पास लोहा है, हमारे पास कोयला है,
लेकिन हम ने जितना लोहा और जितना
स्कैप जापान के हाथ बेचा था, दूसरे देशों
के हाथ बेचा था उस से हम अपने यहां
जहाज तैयार नहीं कर सके।

मैं ग्रापका ध्यान इस ग्रोर ग्राकित करना चाहता हूं कि ग्रगर ग्राप हिन्दुस्तान की रक्षा करना चाहते हैं, तो ग्राज यह **अ**त्यन्त ग्रावश्यक है कि ग्रगर ग्राप के पास जहाज नहीं हैं तो ग्राप विदेशों से, किसी देश से, जैसे कि जापान पाकिस्तान का एग्रीमेन्ट हुग्रा, जापान परशियन गल्फ ऐग्रीमेन्ट हुम्रा, ऐग्रीमेन्ट कीजिये तथा दूसरे देशों से पुराने जहाज लीजिये। इस में कोई हर्ज नहीं है, जैसे म्राप इंजिन इम्पोर्ट करते हैं, वैगन्स इपोर्ट करते हैं, इस में **ग्राप** को क्या शर्म है ग्रगर जहाज दूसरे देशों से उधार लें, या पुराने जहाज ख़रीदें ? इन जहाजों को लेकर श्राप श्रपनी छोटी सी शिपग की उन्नति करें ग्रौर विकास करें । शास्त्री जी ने ग्रभी हाल में इंडियन शिपिंग ट्रेडर्स से बातचीत की थी। उन की डिमान्ड थी कि स्राप स्रगर उन को चीप रेट पर, थोड़े इन्टरेस्ट पर रुपया दीजिये तो वह लोग इस व्यापार की तरक्की कर सकते हैं। मैं आप से कहता हूं कि इन व्यापारों को और इन व्यापारियों को म्राप जिन्दा कीजिये । उन से आप एक पैसा भी इन्टरेस्ट मत चार्ज कीजिये, उन को रुपया दे दीजिये कि वह जहाज बनायें, जहाजों को हिदुस्तान में पैदा करें। आप शिपयार्ड बनाइये, डाक्स बनाइये और इसी तरह की दूसरी चीजों बनाइये तो ग्रापाने मुल्क की तरक्की हो सकेगी। हमारा दो हजार मील का समुद्र [श्री रघुनाथ सिंह]

तट है। इतने बड़े देश में कोई जहाज हमारे पास नहीं है । एक टैंकर हमारे पास नहीं है। जैसा में ने ग्रापसे कहा, आज करीब ६० प्रतिशत जहाज ग्राइल से चलते हैं। **ग्र**गर<sup>.</sup> हमारे पास आइल बंकरिंग नहीं हो<mark>गा</mark> तो हमारे पोर्ट्स में कौनसे विदेशी जहाज आकर लगेंगे और हमसे तेल लेंगे। लिहाजा यह जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब कि हम हिन्दुस्तान में आयल रिफाईनरी कायम करनें जा रहे हैं, कि आप टैकर लें, दूसरे देशों से उधार लें या मोल लें, लेकिन आप को लेने चाहिए। कारण यह है कि इस वक्त मारकेट आपके हाथ में है। स्राप को टैंकर के वास्ते मारकेट नहीं खोजना पड़ेगा । आप फारस की खाड़ी से जो तेल बम्बई लावें वह ग्रपने टैकरों में लावें और आप यह नियम बनावें कि हिन्दुस्तान में जो रिफाइनरी कायम होगी वह उसी तेल को लेगी जो कि हिन्दुस्तानी टैंकरों द्वारा लाया जायगा। इस में आप को लाभ है, यह बहुत ग्रच्छी चीज है, इस को आप छोड़ने की कोशिश न करें।

सरदार हुक्म सिंह: मैं कई मानतीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा। इस मांग से लगभग सभी सहमत हैं कि इस सिलसिले में सरकार को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये। एक मा ननीय सदस्य ने बताया कि विभिन्न राज्यो द्वारा इस विषय के सम्बन्ध में जो नीति बरती गई है वह एकरूपी नहीं। उन्हों ने यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार को एक समानरूपी नीति निर्धारित करनी चाहिए। तथा राज्य सरकारों को उस पर चलना चाहिए। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह स मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करें तथा केवल ग्रपनी पूर्व भारणा के आधार पर ही काम न करें। अभी सदन के समक्ष कई

उदाहरण रखे गए कि विभिन्न सरकारें किस तरह से इन सेवाओं को सक्षमता से तथा मितव्ययता से नहीं चला सकीं हैं। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य वास्तव में जनता को ग्रधिक सुविधाएं देना है उनकी कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं।

देश के ग्राधिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इसमें विशेषज्ञों की राय से पूर्ववर्तिताएं निब्चित की गई हैं ताकि हम अपना धन तथा समय गवां न बैठें जैसे कि हम पहले गवां वैठे हैं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों के लिए इस योजना तथा इन पूर्ववर्तिताओं को अपेक्षा करना उचित है। योजना में सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण को वह पूर्व-वर्तिता प्राप्त नहीं जो कि अन्य परि-योजनाओं को प्राप्त हैं। क्या राज्य सरकारों के लिए यह उचित है कि वह म्रन्य परियोजनाम्रों को एक ओर रख के पहले सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के मामले को हाथ में लें वित्त मन्त्री जी शिकायत कर रहे हैं कि राज्य सरकारें अपना सहयोग नहीं दे रही हैं अपना अंशदान नहीं दे रही हैं जिसके कीरण की परियोजनात्रों को समय पर कियान्वित नहीं किया जा रहा है। इधर की स्थिति यह है ग्रीर इधर राज्य सरकारें अनुत्पादक कार्यों में अपना धन नष्ट कर रही हैं।

मोटर गाड़ी उद्योग का मामला प्रशुल्क श्रायोग को सौंपा गया था। इसने पूर्णतः जांच की तथा कुछ निष्कर्ष निकाले। यह श्राश्चर्य की बात है कि इस श्रायोग की सिफारिशों की श्रवहेलना की जा रही है। सारे कार्यक्रम को विध्वंसित किया जा रहा है। योजना आयोग ने सड़क पितृहिन के सम्बन्ध में राज्यों से अपनी अपनी परियोजनाएं मांगी थी। कुछ राज्यों ने इसके राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा किन्तु कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने कि इसे अपनी योजना में शामिल नहीं किया था। उन्हें इसका कोई विचार न था। यह आश्चर्य की बात है कि जिन राज्यों को इसका विचार न था वह ही अब इस मामले में बड़ी उत्मुकता दिखा रहे हैं तथा इस तरह उन चालकों को निर्वाह साधनों से वंचित कर रहे हैं जिन्होंने कि यह उद्योग बनाया है। केन्द्रीय सरकार भी इन लोगों के हितों के

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कोई भी नहीं। यह केवल पूर्ववर्तिता का तथा पंचवर्षीय योजना को कार्यरूप देने का प्रश्न है।

प्रति उदासीन है।

पाक-अमरीकी सैन्य-संधि के कारण आज देश के लिए खतरा पैदा हुआ है। हमें दूसरे देशों पर ग्रब निर्भर न रहना चाहिए। मोटरगाड़ी उद्योग को प्रोत्साहन देने का यह एक विशेष कारण है। प्रशुल्क ग्रायोग ने भी इसकी सिफारिश की है। प्रशुल्क आयोग के मतानुसार इस उद्योग का प्रोत्साहन न मिलने का एक कारण यह है कि मोटर गाड़ियों के लिए मांग कम है क्योंकि प्राईवेट चालक राष्ट्रीयकरण के भय से नई गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। जब कि हमें प्रतिवर्ष २५,००० गाड़ियों की स्रावश्यकता है गत उत्पादन केवल ४००० गाड़ियां रही है, कारण यह कि लोग मोटरगाड़ियां खरीदने के लिए ग्रब तैयार नहीं। प्रशुल्क ग्रायोग के मतानुसार यदि राष्ट्रीयकरण के हीभ्रा, को कुछ समय के लिए दूर किया जाय तो प्राईवेट चालक नई गाड़ियां खरीदकर ग्रपनी सेवाओं क, विस्तार कर सकते हैं।

१९५० में जब हम निगम ग्रिधिनियम पर चर्चा कर रहे थे तो प्रवर समिति के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया थ। कि इसमें प्रतिकर की कोई धारा रखी जानी चाहिए। उस समय परिवहन मन्त्री ने ग्रास्वासन दिया था कि दह इस नामले पर विचार करेंगे तथा यथा-सम्भव शीघ्र ही मोटर गाड़ी ग्रधिनियम के संशोधन के लिए एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिस के अन्तर्गत 🗗 चालकों को उचित प्रतिकर दिया जा सकेगा। १६५० से जो भी रिपोर्टें हमें दी गई उनमें लिखा गया है कि यह विधेयक तैयार हो रहा है। गलूम नहीं कि उसके तैयार होने में कितना सतय लगेगा। केन्द्रीय सरकार के इस मामले के प्रति उदासीन होने के कारण राज्य सरकारें **ग्र**ागे बढ़ रही हैं तथा उसके परिणाम-स्वर्षेप हमारे चालक बेकार हो रहे हैं तथा हजारों बसें बेकार हो रही हैं। किसी भी चालक को एक पाई भी प्रतिकर के रूप में नहीं दी गई है। मोटरगाड़ी अधिनियम के अघीन राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञिन्तयों के नवीनीकरण से इंकार करने की प्रथा उक्त अधिनियम के उपबन्ध का दुरुपयोग था। इस तरह उन्होंने अपने गाढ़े पसीने की कमाई से उद्योग का निर्माण करने वाले श्रद्धावान नागरिकों को वञ्चित कर दिया है। श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि यह किस की सम्पत्ति नष्ट हो रही है ? क्या यह देश का धन नहीं है ? हम देखते हैं कि सब राज्य सरकारें उन गाड़ियों का अधिग्रहण कर रही हैं<sup>:</sup> अथवा उन्हें खरीद रही हैं, जो पेट्रोल से न चल कर डीजल से चलती हैं। बम्बई में [सरदार हुक्म सिंह]

डीजल आयल १ रुपया ५ आने प्रति गैलन मिलता है जब कि पेट्रोल की कीमत २ रुपये ११ आने प्रति गैलन है। वह जनता को यह लाभ बताना चाहते हैं। बीमे के सम्बन्ध में एक निधि है। यदि निजी सवारी द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय में जाता है ग्रौर उसे तूरन्त मुआवजा मिल जाता है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी दुर्घटनाओं में जिन में राज्य की बसें ग्रन्तर्ग्रस्त हैं बीमे की निधि में से कुछ रक्तम दी गई है ? क्या जनता एवं नागरिकों के प्रति यही न्याय है ? वह उसी लाभ को बताते हैं जो करों के भुग-तान न करने तथा पन्द्रह आने प्रति गैलन पर बचता है । यदि सरकार इस विषय पर विचार करे तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि इस उद्योग में शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं है। स्पष्ट है कि सरकारी प्रबन्ध का अर्थ सरकारी स्वामित्व का होना नहीं है।

जहां तक मितव्ययता का प्रश्न है मैं ऐसे आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं जिन में जनता से अधिक से अधिक प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने न्यूनतम किराया निश्चित कर दिया । जिस दिन सरकार जालन्धर-अमृतसर लाइन का कार्य संभालने दाली थी, उस के एक दिन पूर्व किराये में एक पाई की वृद्धि कर दी गई। निजी सवारियों के प्रबन्धक इसे पांच पाई पर चला सकते हैं ग्रौर वह ऐसा करने के लिए प्रस्तुत हैं। यद्यपि सरकार ने न्यूनतम किराया निर्धारित कर दिया है इस में मितव्ययता नहीं है। मेरे माननीय मित्र ने अभी बताया कि किस तरह सवारियों को अपना सामान, ढोना पड़ता है। राजकीय उद्योग के रूप में कार्यालयों की इमारतों

के अतिरिक्त यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देता हूं जो यह कहता हो कि राष्ट्रीयकरण से सेवा में सुधार हुआ है। माननीय मंत्री और सरकार से मेरा निवेदन है कि वह उन प्रबन्धकों को अलग न करें जिन्होंने अपने रक्त से इस उद्योग का निर्माण किया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामीः श्रीमान्, अनेक वक्ताओं ने सड़क परिवहन की समस्याओं पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात कहने की मेरी इच्छा है। रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि 'ट्रांसपोर्ट इज सिविलिजेशन' ग्रर्था ् परिवहन ही सभ्यता है । सभ्यतापूर्ण अस्तित्व के लिए परिवहन आवश्यक है। परिभ्रमण ही शिक्षा है, अनुभव है, कि सब कुछ है। परिवहन स्रौर परिवहन की सुविधाओं पर ही यात्रा सम्बन्धी अनुभव निर्भर हैं। किसी भी देश की सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रगति परिवहन पर निर्भर है। समस्त परिवहन सेवाओं में सड़क परिवहन अत्य-धिक महत्वपूर्ण है । देश में इस का सही पद्धति पर विकास नहीं हो रहा है। यह बात में दलीय व्यक्ति की हैसियत से नहीं कह रहा हूं।

परिवहन पर करों में समानता नहीं है। विविध प्रकार के कर लगाये जाते हैं तथा प्रत्येक राज्य में यह अलग-अलग हैं। इन करों की ज्यादती के कारण ही अनेक चालकों ने कार्य स्थगित कर दिया है। यद्यपि में राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता हूं। मेरा मत है कि राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त में प्राथमिकताएं होनी चाहिएं। हम देश की समस्त वस्तुओं और सेवाग्रों

का राष्ट्रीयकरण एक क्षण में नहीं कर सकते। राष्ट्रीयकरण के लिए प्रत्येक स्तर पर योजना होनी चाहिए। जब मैं यह देखता हूं कि कुछ राज्यों ने परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण के सूत्र-पात का गलत मोड़ अपनाया है। हमें सर्वप्रथम मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करण करना चाहिए। अन्य उद्योगों से पहले परिवहन का राष्ट्रीयकरण एक मजाक है। यह असफल सिद्ध हुम्ना है। मेरा विचार है कि परिवहन मंत्री इस विषय से विमुख नहीं हैं। मैं म्नाशा करता हूं कि वह राज्य की नीति क्री उचित राह पर लगायेंगे।

एक और विषय अर्थात गोदी के मजदूरों की कठिनाइयों की ओर मैं निर्देश करना चाहता हूं। बम्बई गोदी के मजदूरों का एक अभ्यावेदन मुझे मिला है। दिसम्बर, १९५३ में बम्बई पत्तन न्यास में मजदूर संघ से परामर्श किये बिना ही कुछ परिवर्तन कर दिये गये। एक परिवर्तन यह था कि रविवार की छुट्टी के स्थान पर सप्ताह में अन्य किसी भी दिन बिना सूचना के छुट्टी की घोषणा की जा सकती रविवार के दिन भी मजदूर काम के लिए बुलाये जा सकते हैं। आम तौर पर रविवार को छुट्टी रहती है । दूसरा प्रश्न रात्रिमें काम के घन्टों से सम्बन्धित है। लोगों को रात्रि में बुलाया जाता है। उन्हें छः घन्टों के स्थान पर ग्राठ घन्टे काम करना पड़ता है इस पर भी बीच में चाय अथवा काफी और विश्राम आदि के लिए उन्हें कोई अवकाश नहीं मिलता । वहां पर रात्रि का कार्य रोजमर्रा की बात हो गई है पहले ऐसा नहीं होता था।

इस के बाद अधिनिर्णयन की मांग है। यद्यपि दो महीने पूर्व यह मांग रखी गई थी, वह अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। उसे इसी स्थिति में यहीं छोड़ देना चाहिये। स्थिति दिनों दिन खतरनाक हो रही है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप गोदी के मजदूरों में असन्तोष बढ़ रहा है। मंत्री महोदय को इस दिशा में एक निश्चित वक्तव्य देना चाहिये और समस्या के संतोष-जनक हल के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

इसके बाद कतिपय पत्तनों के विकास का मामला है। कुछ समय पहले इस कार्य के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी । उसकी सिफारिशों पर सरकार को कुछ कार्यवाही करनी थी। मेरेक्षेत्र में पत्तनों की कोई सुविधा नहीं है। यदि मंत्री जी अपनी और से स्वीकृति दे दें तो बहुत थोड़ी लागत में उनका विकास किया जा सकता है। पत्तन की सुविधा न होने से कर्नाटक में आर्थिक विकास की कमी है। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है लेकिन हमें उस सम्बंध में कुछ मालूम नहीं है। मंत्री जी से मेरा ग्राग्रह है कि वह भाटकल, याल्पी और यदि संभव हो तो करवार को अच्छे पत्तनों में विकसित करने का प्रयत्न करे।

अंत में मैं कहूंगा कि तटीय नौपरिवहन के विकास के लिये कोई नीति नहीं है। तटीय व्यापार विदेशियों द्वारा संचालित है।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) अाप यहां गलती पर हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: यदि तटीय व्यापार भारतीयों के हाथ में है तो मुझे बड़ी प्रसन्तता है।

.[श्री एम. एस. गुरुपादस्वामंर्री मैं गोदी के मजदूरों की स्थिति की ओर ध्यान देने के लिये सरकार से प्रार्थता करूंगा।

सड़क परिवहन के सम्बंध में सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निदेश दिया जाना चाहिये कि वह वर्तमान दुर्धर्ष स्थिति में राष्ट्रीयकरण न करें। इसके लिये समय आने वाला है । हमें उसकी प्रतिक्क्षा करनी चाहिये। अभी हमें दूसरी परियोजनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिये । हमें अन्य बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

मैं सरदार हुवम सिंह के विवतव्य का समर्थन करता हूं कि छोटे छोटे चालकों को मुआवजा दिया जाना चाहिये कुछ ऐसे बड़े चालक हैं कि यदि मुग्रावजा नहीं दिया गया तो इन्हें कोई चिन्ता नहीं होगी। छोटे लोगों को मुग्रावजान मिलने पर अवश्य ही कठिनाई का सामना करना पडेगा।

इन शब्दों के साथ मैं कह दूं कि भविष्य में सरकार को निर्मीक, सिकय और प्रगतिशील नीति का अनुसरण करना चाहिये।

सभापति महोदय : श्रव मैं उत्तर के लिये माननीय मंत्री का नाम पुकारूंगा।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी॰ शास्त्री): माननीय सदस्यों दारा रखे गये विभिन्न सुझावों को मैंने ध्यान-पूर्वक सुनाहै। मैं उन पर सहर्ष विचार करूंगा । मैं वस्तुतः आभारी हूं कि आलोचना रचनात्मक थी मुझे आप यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि पहिवहन मंत्रालय की विभिन्न, शाखाओं में अर्थात् नौवहन, पत्तन, सर्ड़क. यात्री पर्यटन आर्दि

के सम्बंध में हमने संतोषजनक प्रगति की है ।

ज़ैसा श्रो रघुनाथ सिंह ने कहा था मैं संक्षेप में कह दूं कि हमारे जहाजों की माल ढोने की सामर्थ में वृद्धि हुई है। नौपरिवहन में योजना युग आरम्भ होने के पूर्व ३,९०,७०८ कुल पंजीबद्ध टनभार ले सकते थे: अब यह साम≸र्य कुल ४,३३, ५२४ पंजीबद्ध टनभार हो गई है। १९५४-५५ में कुल ७२,१०० पंजीबद्ध टनभार हो जाने की आशा है। इसकै सिवाय योजना युग की समाप्ति के पूर्व हमारे पास दो स्रायल टैंकर्स होते की आशा है।

मेंने निजी जहाजों के स्वामियों को मुझाव दिया है कि उन्हें कुछ टेंकरों को रखने की योजना पर विचार करना चाहिये, ताकि देश के अधिकार में कुछ टैंकर तो रहें।

# [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हूए]

परिवहन मंत्रालय ने १९५२-५३ में ३०० लाख रुपये का उपबन्ध किया था जिसमें से २०० लाख समुद्रपार के जहाजों की खरीद के लिये निर्धारित थे। कुछ महीने पहले जहाजों के स्वामियों के प्रमुख प्रतिनिधि का ध्यान इस तथ्य की ग्रोर आर्काषत किया था कि हमें ग्रपर्याप्त धारिता को ्दूर करना चाहिये । मुझे हर्ष है कि उनका प्रत्युत्तर संतोषजनक था। मैं यहां जो आंकड़े प्रकट कर रहा हूं उनसे ऋणों की उपयोगिता की प्रगति का श्रनुमान लगाया जा सकता है। १९५२-५३ के बजट में ऋणों का उपबन्ध ३ करोड़ रुपये था जिसमें से केवल ८१ रै६ लाख का उपयोग किया गया। १९५३-५४ यह उपबन्ध ३५२ लाख

था और श्री रघुनाथ सिंह को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इसमें से उन्होंने ढाई करोड़ का उपयोग किया जब कि १९५२-५३ में उन्होंने ८१ लाख रुपये का उपयोग किया । १९५४-५५ में नौवहन समवायों को ऋण देने के लिये हमने ४ करोड़ ४५ लाख रुपये का उपबन्ध किया है । मेरा विक्वास है कि १९५४-५५ में खरीद किये गये जहाजों की संख्या में सोलह की वृद्धि हो जायेगी और टनभार भी ७२,१०० हो जायगा । इनमें से कुछ जहाज नवीनतम डिजाइन के हैं, उनकी तेज रफ्तार से अच्छे परिणाम निकलेंगे। इनमें से पांच जहाज हिन्दुस्तान शिपयार्ड से मंगाये गये हैं । १९५३-५४ में जहाजों की कुल संख्या १२४ थी ग्रौर उनका टनभार ४,३३,००० था । १९५४-५५ में जहाजों की संख्या १२४ से १४० हो गई है और टनभार ५,५६,०२४ तक बढ़ गया है हमें उम्मीद है कि योजना युग के अंत तक जहाजों की संख्या १४० से १५३ के आसपास हो जायेगी। टन भार के ६,००,००० तक बढ़ जाने की आशा है। प्रथम पंच वर्षीय योजना का यही लक्ष्य है।

पत्तनों के सम्बंध में भी मैं कुछ शब्द कह दूं। प्रत्येक बड़े पत्तन के विकास के लिये हमारे पास कार्यऋम हैं तथा प्रत्येक के सम्बंध में प्राक्कलन स्वीकार कर दिये गये हैं। ४८ पत्तनों में से ३६ पर विकास कार्य आरम्भ हो गया है। योजना के अन्त तक हमारा कार्य अस्सी प्रतिशत पूर्ण हो जाने की आशा है। कुछ विकास योजनाएं विशाल पैमाने पर हैं और उनके पूरा होने में कुछ समय लगेगा । केन्द्र से ऋण का सम्पूर्ण आवेदन २२ करोड़ रुपये हैं और पत्तनों का कार्य पूरा करने के लिये शेष रकम पत्तन न्यास से प्राप्त

करनी पड़ेगी, जिसका अनुमान ३१ करोड़ रुपये है ।

श्री गुरुपादस्वामी ने भाटकल और करवार पत्तनों के सम्बंध में प्रश्न पूछा। उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम है कि छोटे छोटे पत्तनों का दायित्व राज्यों पर है । ऐसा होते हुए भी हम कुछ समय से इन राज्यों को इस प्रकार की सहायता दे रहे हैं, ग्रौर ऋण दे कर उन के इन पत्तनों का विकास एवं प्रचार करवा रहे हैं। इस वर्ष छोटे छोटे पत्तनों के लिए आयव्ययक में २६ ३ लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और जहां तक मुझे मालूम है, राज्य सरकारें भी इस के लिए चन्दा देंगी और विकास की इन योजनाओं को चालू करेंगी। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने करवार और भाटकल पत्तनों के जल-सम्बन्धी सर्वेक्षण को पूर्ववर्तिता दी है, ग्रौर अब निकट भविष्य में यह सर्वेक्षण-कार्य शुरू किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद ही इस सुधार-विकास की सारी बातें मालूम होंगी चुनाचे बम्बई सरकार स्वेंक्षण-कार्य पुरा कर रही है। वास्तव में बम्बई सरकार ने अपने लोक निर्माण विभाग के अधीन एक नौवहन सर्वेक्षण संस्था स्थापित की है जो इस सर्वेक्षण-कार्य के साथ साथ पत्तन विकास अथवा आवश्यक सुधार के सामान्य पहलू के द्वाला अध्ययन भी करती रहेगी।

लारी परिवहन के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी कुछ एक शब्द कहूंगा। संविधान के निर्दोष पाठक सरदार हुक्म सिंह जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले में हमारे दायित्व को समझ लें और. यह भी जानने का प्रयत्न करें कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों की स्वायत्तता क्या है।

श्री एल० बी० शास्त्री: माननीय सदस्य और दो मिनट मेरी बात सुनें। संविधान की सातवीं ग्रनुसूची की साथ वाल सूची में मशीन से चलने वाले जहाजों गाड़ियों का उल्लेख किया जा चुका है, और सड़क परित्रहन के सम्बन्ध में जो कार्य-कारी प्राधिकार है वह राज्य सरकारों में निहित है; अतः इस के परिगाम स्वरूप, परिवहन सेवाग्रों के पुनर्संगठन की योजनाओं को शुरू करने का काम मुख्यतः राज्य सरकारों का है। किन्तु अभी तक यात्री लारियों का ही राष्ट्रीयकरण हो सका है, ग्रीर वह भी, बम्बई जैसे दो एक राज्यों को छोड़ कर, बहुत कम मार्गों पर। मुझे बताया जाता है कि राष्ट्रीयकरण वियंगये उद्यमों के नियंत्रण में केवल ६,००० के करीब लारियां हैं। लारियों से सामान, ग्रादि ढोने का काम निजी क्षेत्र के ड्राइवरों पर छोड़ा गया है, ग्रौर राज्य सरकारों ने कहा है कि हम योजना **त्र्**यविध में इस क्षेत्र को नहीं ऋपनायोंगे। मद्रास जैसे राज्यों ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम मुफ़िस्सलों में परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते । श्री जयसूर्य ने राष्ट्रीयकृत परि-वहन सेवाग्रों की कार्यक्षमता के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं इसलिए ग्रपने विचार प्रगट नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें द्वेषित समझा जाएगा, चुनाचे श्री हुक्म सिंह ने ग्रपने भाषण में मेरे लिए यही बात कह दी थी।

सरदार हुक्म सिंह: मैं उन विचारों को स्वीकार करूंगा। श्री एल० बी० शास्त्री: मैं माननीय सदस्य को अपने विचार नहीं बता दूंगा, बिल्क मोटर गाड़ी करारोपण पूछताछ सिमिति के, जिन की रिपोर्ट को वे सराहते हैं, विचार पेश करूंगा।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ग्राप के विचारों की भी सरहाना करता हूं।

श्री एल बी० शास्त्री: मैं आशा करता हूं कि वे उन विचारों को स्वीकार करेंगे जो सिमिति ने राज्य मोटर-लारी सेवाओं के कार्यकौशल के सम्बन्ध में प्रगट किये हैं। राज्य परिवहन के उद्यमों के सम्बन्ध में उनकी यह धारणा बनी कि बहुत ही दुष्कर स्थिति में उन्होंने यह सारी व्यवस्था की ओर कार्यक्षम पदाधिकारियों द्वारा उनका सारा काम चलता रहा। यह सत्य, है कि १९५० में सड़क परिवहन निगम विधेयक पर वाद-विवाद करते समय, राज्यों में सड़क परिवहन की व्यवस्था करने वाली राज्य सरकारों की यह आलोचना की गई़ थी कि उन्होंने विस्थापित ड्राइवरों को अपर्याप्त मुआवजा दिया और उस समय के परिवहन मंत्री श्री सन्थानम् ने सदन को यह ग्राइवासन दिय[था कि इस बात की जांच की जायेगी, और मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३६ का संशोधन करते समय इसका उपचार किया जाएगा । मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी दे सकता हूं कि परिवहन मंत्रालय उस अधिनियम का पुनरीक्षण कर रहा है। मैं जानता हूं कि गाड़ियों को लाइसेन्स दिये जाने और मोटर गाड़ियों पर टैक्स लगाये जाने के प्रश्नों पर इस देश की विविध संस्थाओं ने कई बार चर्चा की है, और चारों ओर से ग्रावाज़ लग रही है कि वर्त्तमान

₹११३.

विधि का पुनरीक्षण और, यदि आवश्यक हो तो, रूपभेद भी किया जाना चाहिए। में इस के विस्तार में नहीं जाऊंगा, यद्यपि इस में बहुत से महत्वपूर्ण और आवश्यक मामले अन्तर्गस्त हैं। मैं सदन को इतना ही बताना चाहता हूं कि नये मोटर गाड़ी विधेयक का प्रारूप लगभग तैयार है। और मैं शीघ्र ही सदन में उसे पुरःस्थापित करूंगा। यदि और कोई आवश्यक बात बीच में न आ जाय तो मैं इसो सत्र में उसको पुरःस्थापित कर दूंगा। आशा करता हूं कि वह विधेयक पर्याप्त रूप से विशद होगा, और इस विषय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेगा।

श्री निम्बयार ने बताया कि कमकरों को—वे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी क्षेत्र में—कुछ न्यूनता सुविधायें दी जानी चाहिए । श्री गुरुपादस्वामी ने भी बम्बई पत्तन के कमकरों की समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे । मैं श्री गुरुपादस्वामी को यह सूचना दूं कि उन की पार्टी के एक गणमान्य सदस्य श्री मेहता ने मुझे लिखा श्रीर उस संस्था के एक सचिव श्री पटेल ग्रभी तीन चार दिन पहले मुझ से मिले भी । मैं ने उनके साथ इन मामलों पर चर्चा की है, ग्रीर मैं ग्राशा करता हूं कि कोई संतोषजनक हल निकल आएगा।

निजी क्षेत्र के कमकरों के सम्बन्ध में में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंिक पहले राष्ट्रीयकृत परिवहन के कमकरों के कल्याण पर ही ध्यान केन्द्रित करना अच्छा है, इसके बाद ही निजी क्षेत्र के कमकरों के सम्बन्ध में सोचा जा सकेगा । मैं श्री निम्बयार को यह भी बता दूं कि हम ने दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस के कमकरों की दिल्ली में गृह-व्यवस्था कराने के लिए ३० लाख रुपये का उपबन्ध किया है—

मेरा विचार है कि यह कम उपबन्ध नहीं है। उन्हें यह भी मालूम है कि हम ने दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस के कमकरों की कई मांगों को स्वीकार किया है। उन की अन्य उचित मांगें अभी भी विचाराधीन हैं, और में स्राशा करता हूं कि कमकरों को शीघ्र ही इस बात का पता चलेगा कि उनकी मांगों को पूरा करने में सरकार ने कोई देर नहीं की है।

यह सही है कि दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस की सेवायें पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं स्वयं इस सर्विस से संतुष्ट हूं और मैं यह भी समझता हूं कि दिल्ली के नागरिकों के लिये इस सम्बन्ध में भ्रभी हमारा बहुत काम बाकी है। ग्राशा है कि सदन मुझे यह कहने का अवसर देगा कि इस सिलसिले में न केवल खराबी रोकी गई है अपितु कई पहलुग्रों में निश्चित 🔖 से सुधार भी हुम्रा है। उदाहरण के तौर म्राप देख लीजिए कि जहां पहले कोई भी डिपो नहों होता था वहां अब गाड़ियों के मरम्मत और संधारण के लिए दो डिपो बनाये गये हैं । भ्रब सड़कों पर अधिक लारियां चलाई जा रही हैं, सड़क के किनारे ग्रधिक संख्या में छप्पर बनाये गये हैं, ग्रौर वित्त की दृष्टि से भी दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस पहले से अधिक समृद्ध है। कमकरों से सम्बन्ध भी ग्रच्छे हो गये हैं, और स्वाभाविक है कि इस से दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस की कार्यक्षमता बढ़ गई है।

आशा की जाती है कि इस वर्ष में और १४० लारियां बढ़ाई जाएंगी, और केन्द्रीय वर्कशाप का काम भी पूरा किया जाएगा । हम ने दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस की विविध शाखाओं में, सुधार करवा के लिए बम्बई के एक अनुभवी

[श्री एल० बी० कास्त्री] परिवहन पदाधिकारी की सेवाओं ऋण पर लिया है।

इस में कोई संदेह नहीं कि कई मार्गों पर इन लारियों की वारंवारता को बढ़ना पड़ेगा ग्रौर बहुत भीड़ भड़के और चहल-पहल की ग्रविधयों में विशेष रूप से विशेष लारियों को चलाना पड़ेगा । ग्रब दिल्ली सब से बड़े नगरों में एक शमार की जाती है, मैं यह भी जानता हूं कि दिल्ली ट्रांस्पोर्ट सर्विस को दिल्ली के लोगों की ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए और भी बहुत काम करना पड़ेगा । श्रीमान्, मैं सदन को यह अश्वासन दिला दूं कि मानतीय सदस्यों को भविष्य में परिवहन की व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार दिखाई देगा । धन्यवाद ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा एक प्रश्न है ? क्या केन्द्रीय सरकार . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कई प्रश्न पूछे गये। मुझे गलत न समझा जाय। ७ तो बज चुके हैं। मैं समय में वृद्धि नहीं करना चाहता ।

अब मैं सदन के समक्ष मतदान के लिए कटौती प्रस्ताव रखूंगा।

### कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें-संख्या ९६, ६७,९८, ६६, १०० १०१, १३४, १३६ और १३७--सदन के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुई।

इसके पश्चात् सभा, शुक्रवार, ९ अप्रैल १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।